

दूसरी SECOND

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2020-2021

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2021

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरे और अंतिम बैच 2020-2021.

वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच में 79 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹6,28,379.99 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹4,12,653.48 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹2,15,725 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹151 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2020-2021.

The Second & Final batch of Supplementary Demands for Grants for 2020-21 includes 79 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹6,28,379.99 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹4,12,653.48 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹2,15,725 crore. Besides, token provision of ₹151 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		(470.9 V45 Kupe				
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नक	द व्यय	Ca	sh Outgo			
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	Ml	NISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	5	Department of Chemicals and Petrochemicals For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Central Institute of Plastic			
6.	उर्वरक विभाग	6	Engineering and Technology. Department of Fertilisers	3.64		3.64
0.	(क) 1.स्वदेशी पीण्ड के सब्सिडी (₹9,722.53 करोड़), आयातित पीएण्ड के सब्सिडी (₹5,719.37) और शहरी कम्पोस्ट (₹43.98 करोड़) के भुगतान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत व्यय पूरा करने के	O	(a) For meeting expenditure under Atmanirbhar Bharat Abhiyaan 3.0 towards payment for Indigenous P&K Subsidy (₹9,722.53 crore), Imported P&K Subsidy (₹5,719.37 crore) and City			
	लिए। (ख) स्वदेशी यूरिया (₹36112.80 करोड़) और यूरिया सब्सिडी का आयात (₹12999.62 करोड़) के भुगतान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत व्यय पूरा करने के		Compost (₹43.98 crore). (b) For meeting expenditure under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0 towards payment for Indigenous Urea (₹36,112.80 crore) and Import of Urea	15,485.88	1	5,485.88
	लिए। (ग)` सिन्दरी, बरौनी और गोरखपुर में स्थित 3 यूरिया कारखानों को पुनजीर्वित करने के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड को		Subsidies (₹12,999.62 crore). (c) For grant of interest free loan to Hindustan Urvarak & Rasayan Limited for revival of 3 urea plants located at	49,112.42		9,112.42
_	ब्याज रहित ऋण के अनुदान के लिए। भेषज विभाग	_	Sindri, Barauni and Gorakhpur.	•••	813.23	813.23
7.	(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान (₹ 45.00 करोड़) और जनऔषधि स्कीम	7	Department of Pharmaceuticals (a) For National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (₹45 crore) and			
	(₹0.81 करोड़) (ख) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंघान (₹ 76.82 करोड़) (ii) जनऔषधि (₹14.19 करोड़)और (iii) साझा सुविधा केन्द्र के लिए थोक औषधि		Jan Aushadhi Scheme (₹0.81 crore). (b) For National Intitutes of Pharmaceuticals Education and Research (₹76.82 crore) (ii) Jan Aushadhi (₹14.19 crore) and	45.81		45.81
	लिए।		Common Facilitation Center (₹13.55 crore).	91.01		91.01
	(iii) साझा सुविधा केन्द्र के लिए थोक औषधि उद्योग को सहायता (₹ 13.55 करोड़)के		(ii) Jan Aushadhi (₹14.19 crore) and(iii) Assistance to Bulk Drug Industry for	91.01		91.0

		(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय 8. नागर विमानन मंत्रालय (क) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i)एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एसपीवी) (₹10.50 करोड़ रूपए)।और (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के अंतर्गत (19.68 करोड़) 2. अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (₹ 1 करोड़)। 3. निम्नलिखित के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) क्षेत्रीय संपर्कता योजना (₹234.83 करोड़) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (₹29.99 करोड़)। (ख) विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो योजना के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु। (ग) नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत चालू ई-जीसीए परियोजना हेतु तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (₹10 करोड़)के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 8 Ministry of Civil Aviation (a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) Air India Assets Holding Ltd. (SPV) (₹10.50 crore) and (ii) Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (₹19.68 crore) 2. Grants- in-aid Salaries under Airport Economy Regulatory Authority (₹1 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under (i) Regional Connectivity scheme (₹234.83 crore) and Airport Authority of India for NE region (₹29.99 crore). (b) For construction of combined office complex under Aircraft Accident Investigation Bureau scheme. (c) For ongoing E-Governance for Civil Aviation project under Director General Civil Aviation (₹10 crore) and for construction of combined office	286.56	14.00	286.56 14.00
(₹4करोड़)। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	complex under Bureau of Civil Aviation Security (₹4 crore). MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY		14.00	14.00
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़) और (ii) 'परिवहन(सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85 करोड़)। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 800 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय/औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1400 करोड़)।	and Internal Trade (a) For meeting expenditure towards Subsidies under the scheme (i) Refund of Central and Integrated GST of Industrial Units in NER and Himalayan States (₹200 crore) and (ii) Transport Subsidies Scheme/Freight Subsidies scheme (₹85 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies under the scheme Refund of Central and Integrated GST of Industrial Units in NER and Himalayan States (₹800 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹1,400 crore).	200.00 777.51		200.00 777.51
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय 14 उपभोक्ता मामले विभाग (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'मूल्य/स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹980 करोड़)।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 14 Department of Consumer Affairs (a) For release of Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund for North Eastern Region (₹980 crore).	977.35		977.35
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'मूल्य/स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी	 14 Department of Consumer Affairs (a) For release of Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund for 	977.35		97

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue Total सहायता अनुदान जारी करने के लिए - नकद पूरक (PMGKAY-I & II) and Atmanirbhar अनुदानों के रूप में ₹ 2760.56 करोड़ (ii) मूल्य Bharat Schemes (ANB) (₹2,760.56 स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान crore) and (ii) Price Stabilization Fund जारी करने के लिए (₹59.44 करोड़)। (₹59.44 crore). 2,760.56 2,760.56 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 15 Department of Food and Public Distribution राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 For 1. food subsidy (i) to Food Corporation के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को of India under National Food Security Act खाद्य सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न (NFSA), 2013 and for additional allocation योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यन्नों के of foodgrains under Pradhan Mantri Garib अतिरिक्त आवंटन और आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) Kalyan Anna Yojana and Atmanirbhar पैकेज और भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ Bharat Package and for repayment of NSSF ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए (₹250208.76 Loan to FCI (₹ 2,50,208.76 crore), for करोड़),अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) welfare of Schedule Caste Sub Plan के कल्याण के लिए (₹10464.39 करोड़) और (₹10,464.39 crore) and for welfare of Tribal अनुसूचित जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के कल्याण Area Sub Plan (₹5,421.31 crore) and (ii) के लिए (₹5421.31 करोड़) (ii) एनएफएस के अंतर्गत for Decentralized Procurement of खाद्यन्नों की विकेन्द्रीकरण खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी Foodgrains under NFSA (₹31,000.63 crore) (₹31,000.63 करोड़) 2. (i) एनएफएफएस के अंतर्गत 2. assistance to (i) State Agencies for intra-अंतर्राज्य आबाजाही खाद्यान्न आवागमन राज्यक एजेंसी state movement of foodgrains and FPS और एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए सहायता (₹2,500 dealers margin under NFSA (₹2,500 crore) करोड़) ((ii) वर्ष 2017-18 के लिए चीनी मिलों की (ii) Sugar Mills for 2017-18 season (₹10 सहायता (₹10 करोड़), वर्ष 2018-19 के लिए चीनी crore), 2018-19 season (₹700 crore), 2019-मिलों को सहायता (₹700 करोड़), वर्ष 2019-20 के 20 season (₹3,400 crore) 3. creation and लिए चीनी मिलों को सहायता (₹3400 करोड़) 3.(i)चीनी maintenance of (i) buffer stock of sugar के बफर स्टॉक सृजन और अनुरक्षण (100 करोड़)। (₹100 crore) and (ii) buffer stock of 40 LMT (ii) 40 एलएमटी चीनी की बफर स्टॉक सृजन और sugar (₹300 crore) 4. subsidy to sugar mills अनुरक्षण (₹300 करोड़)। 4. निर्यात पर अन्य शुल्कों for defraying expenditure towards internal और आन्तरिक परिवहन, माल भाड़ा, संचालन के transport, freight, handling and other charges लिए व्यय को चूकाने हेतू चीनी मिलों को सब्सिडी on export (₹101 crore) 5. extending soft loans (₹101 करोड़)। 5. चीनी मिलों के आसान ऋण देना to sugar mills (₹298 crore) 6. extending (₹298 करोड़)। 6 एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा financial assistance to sugar mills for देने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता का enhancement and augmentation of ethanol विस्तार करना (₹100 करोड़। 7. अन्य अनुमेय दावों production capacity (₹100 crore) 7. Subsidy के भुगतान और चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी under Reimbursement of Internal Transport मिलों को आंतरिक परिवहन और मालभाड़ा शुल्कों की and Freight charges to sugar factories on अदायगी के अंतर्गत सब्सिडी (₹0.37 करोड़)। export shipment of sugar and payment of other permissible claims (₹0.37 crore). 3,04,557.83 3,04,557.83 रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Defence Services (क) 'भूमि' (₹4.51 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (a) For meeting additional expenditure (₹161.50 करोड़) के लिए। अनुदान के इसी arising out of court decree for Navy भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते under 'Land' (₹4.51 crore) and 'Naval हुए। Fleet' (₹161.50 crore). 159.50 159.50 (ख) (i) सेना के लिए '(निर्माण कार्यों' (₹ 676.03 (b) For meeting additional expenditure for करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 441.04 करोड़), (i) 'Construction Works' (₹676.03 'चल स्टॉक' (₹ 50 करोड़), 'सेना के लिए crore), 'Other Equipment' (₹441.04 भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' crore), 'Rolling Stock' (₹50 crore), 'Ex-(₹3.47 करोड़) (ii) नौसेना के लिए 'वायुयान' serviceman Contributory Health (₹4,047.39 करोड़), '(अन्य उपकरण' Scheme' (₹3.47 crore) for Army (ii) (₹2,950 करोड़) और '(नौसेना बेड़ा' 'Aircraft' (₹4,047.39 crore), 'Other (₹4,486.70 करोड़) (iii) वायुसेना के लिए Equipment' (₹2,950 crore) and ₹Naval 'वायुयान' (₹ 2,515.14 करोड़), '(अन्य Fleet' (₹4,486.70 crore) for Navy (iii)

'Aircraft' (₹2,515.14 crore) and 'Other

उपकरण' (₹ 9,211.68 करोड़) और (iv)

			रोड़ रुपए Rupees पंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जाड़ Total
'(निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत नमूना विकसित करने हेतु सहायता' पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए ₹ 28.50 करोड़।	Equipment' (₹9,211.68 crore) for Air Force and (iv) ₹28.50 crore for Technology Development on 'Assistance for Prototype Development under Make Procedure'.		20,466.50 2	0,466.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
37 पेंशन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और 'निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम' के अंतर्गत सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	37 Pensions For meeting additional expenditure towards payment of pensions and other retirement benefits and increase in Government Contribution from 10% to 14% under Defined Contribution Pension Scheme.	981.58		981.58
मत्स्य, पशु चिकित्सा और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL			
39 मत्स्य विभाग प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत (₹7.50 करोड़) सहायता अनुदान-सामान्य में (₹78.99 करोड़) तथा एस.सी.एसपी. संघटक टी.ए.एस.पी. संघटक के अन्तर्गत (₹9.99 करोड़)।	HUSBANDRY AND DAIRYING 39 Department of Fisheries For meeting expenditure towards Grants-in- aid-General (₹78.99 crore), SCSP Component (₹7.50 crore) and TASP Component (₹9.99 crore) under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	85.42		85.42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
·	WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) सहायता अनुदान सामान्य ((₹4,050.22 करोड़)), पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान (₹989.45 करोड़)), और वेतन सहायता अनुदान (₹2,987.85 करोड़)), और (ii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान से इतर अन्य मदें (₹3,644.30करोड़)	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹4,050.22 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹989.45 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,987.85 crore) and (ii) other items other than Grants-in-aid (₹3,644.30)			
व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹13,389.49 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹19,355.70 करोड़) के लिए व्यय को	crore) under the various schemes. (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹13,389.49 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹19,355.70 crore) under the various	127.00		127.00
पूरा करने हेतु (ग) (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹511.57 करोड़)) और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1,121.99 करोड़) व्यय को पूरा करने के	schemes. (c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹511.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1,121.99 crore) under the various	162.01		162.01
लिए। (घ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹2395.90करोड़), (i) राष्ट्रीय (ii) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹4करोड़) (iii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (₹5.26 करोड़) (iv) अखिल भारतीय भौतिक दवा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹0.46 करोड़) (v) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड श्रीमित एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹98.97 करोड़) (vi) डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	schemes. (d) For meeting additional requirement under the schemes/Programmes/ Institutions etc. (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹2395.90 Crore) (ii) National AIDS and STD Control Programme (₹4 Crore) (iii) Central Government Health Scheme (₹5.26 Crore) (iv) All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹0.46 Crore) (v) Lady Hardinge Medical College &	310.95		310.95

	2020 2021 0011 EEMENTIN 1 DEMINDO 1 0		ोड़ रुपए Ruped	es in Crore)
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
संस्थान नई दिल्ली (₹13 करोड़) (vii राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र (₹ करोड़) (vii) एनसीडीसं कसौली (₹6.48 करोड़) (viii) एनसीडीसं शाखाओं की स्थापना और सुद्ढ़ीकरण तैयारी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय तथ जूनोटिक रोग नियंत्रण और अन्य उपेक्षित शीतोष्ण रोग, वायरल हेपेटाइटिस कं निगरानी, एन्टी-माइक्रोबियल रेसिसटेंप (₹5.20 करोड़) (ix) कलावती सरन बात अस्पताल नई दिल्ली (₹0.22करोड़) योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं इत्यादि वे अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करके लिए।	Crore) (vi) Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Post Graduate Medical Education and Research, New Delhi (₹13 Crore.) (vii) National Centre for Disease Control Programme (Rs. 1 Crore) (vii) Central Research Institute, Kasauli (₹6.48 Crore) (viii) Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives Inter-Sectoral Coordination for Preparation and Control of Zoonotic		1,497.25	1,497.25
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
47 मंत्रिमण्डल एयर इंडिया को लंबित देयताओं को जारी करने दे लिए (₹ 184.10 करोड़)।	47 Cabinet	100.84		100.84
विधि और न्याय मंत्रालय 66 भारत का उच्चतम न्यायलय वेतन (₹10.04 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹9.3 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 66 Supreme Court of India For meeting expenditure towards Salaries (₹10.04 crore) and Office Expenses (₹9.35 crore).	19.39		19.39
कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
73 कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी चया आयोग (एसएससी) (₹ 27.79 करोड़)।	GRIEVANCES AND PENSIONS 73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For meeting expenditure towards Professional Services for Staff Selection Commission (SSC) (₹27.79 crore).	25.41		25.41
योजना मंत्रालय 76 योजना मंत्रालय (i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटत नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) (₹38 करोड़) (ii स्थायी विकास लक्ष्यों हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीर सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के लिए सरकार विकास सहायता (ओडीए) (₹87 करोड़) (iii राष्ट्रीय श्रम अर्थ अनुसंधान और विकास संस्थार (₹0.50 करोड़) की योजनाओं के अंतर्गत सहायत अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त आवंटन क पूरा करने के लिए।	Grants-in-aid General under the scheme (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (₹38 crore) (ii) Official Development Assistance (ODA) for Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development	120.00		120.00
सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) (₹4,510 करोड़) जीबीएस से वित्त पोषि विशेष अभिवृद्ध सड़क विकास कार्यक्र	(a) For meeting additional expenditure			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
और (ii) (₹460 करोड़) जीबीएस से वित्त पोषित रोड़ विंग के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य।	schemes (i) Special Accelerated Road Development Programme financed from GBS (₹4,510 crore) and (ii) Road Development Works under Road Wing		4 070 00	4 070 00		
(ख) 1. सीआरआईएफ से वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश (₹6500 करोड़), भारतमाला परियोजना (₹50 करोड़), और सीआरआईएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹3,586.50 करोड़), 2. (i) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्कता के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹30 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्यक्रम-सीआरआईएफ से वित्त पोषित जनजातिए क्षेत्र उपयोजना (₹3140 करोड़) 3.एनएचएआई में निवेश हेतु सीआरआईएफ के लिए अंतर खाता अंतरण (₹6550 करोड़) और अन्य योजनाएं (₹3464.50 करोड़)।	- financed from GBS (₹460 crore). (b) For 1. Investment in National Highways Authority of India (NHAI) financed from CRIF (₹6,500 crore), Bharatmala Pariyojana (₹50 crore) and additional expenditure under National Highways Original Works financed from CRIF (₹3,586.50 crore) 2. additional expenditure on Major Works under (i) Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremist Affected Area (₹30 crore) and (ii) National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan finance from CRIF (₹3,140 crore) 3. Inter Account Transfer to CRIF for Investment in NHAI (₹6,550 crore) and for other schemes (₹3,464.50 crore).		4,970.00 5,030.00			
शहरी विकास मंत्रालय 85 शहरी विकास विभाग (क) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7000 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गांरटी निधि के लिए निधियों का अंतरण (₹10,000 करोड़)।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 85 Department of Rural Development For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹7,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹10,000 crore).	3,457.83		3,457.83		
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	3,79,689.00	32,964.48 4	1,12,653.48		
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹2,15,725 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुरूपी बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :	3. This batch of Supplementary Demands for Grasupplementary grants/appropriations for ₹2,15 additional receipts/recoveries or corresponding sat The items are as follows:	,725 crore v	vhich are m	atched by		
तकनीकी पूरक अनुदान	Technical Supplementary Demands for grants	(कर	ोड़ रुपए Rupee	es in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry					

For meeting expenditure towards (i)

Subsidies under the scheme Refund of

Central and Integrated GST of Industrial

Units in NER and Himalayan States (₹800

crore) and (ii) Grants for Creation of Capital

and Internal Trade

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक

इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को

वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु

व्यय पूरा करने के लिए (₹800 करोड़) और (ii)

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन

अनुदानों की पूरक मांगें,	2020	-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(vii)
			(करो	ड़ रुपए Ruped	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1,400 करोड़)।		Assets under the scheme National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹1,400 crore).	671.60		671.60
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक संवितरण	MI				
मंत्रालय 14. उपभोक्ता मामले विभाग	14	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION Department of Consumer Affairs			
(i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	17	For release of Grants-in-aid General under			
(पीएमजीकेएवाई-I और II) तथा आत्मनिर्भर भारत		(i) Price Stabilization Fund for free			
(एएनबी) स्कीमों दालों के निःशुल्क वितरण के		distribution of Pulses under Prime Minister			
लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के रूप में ₹2,760.56 करोड़ (ii) मूल्य स्थिरीकरण निधि' (₹59.44 करोड़)		Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY-I & II) and Atmanirbhar Bharat Schemes (ANB)			
के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने		(₹2,760.56 crore) and (ii) Price Stabilization			
के लिए।		Fund (₹59.44 crore).	21.21		21.21
रक्षा मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEFENCE			
18. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18	Ministry of Defences (Civil)			
(क) वेतन (₹0.01 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹0.17 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting expenditure on salaries (₹0.01 crore) and on Information Technology			
(ख) सीमा सड़क निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के		(₹0.17 crore).	0.18		0.18
लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि		(b) For additional transfer to Central Road			
(₹800 करोड़) का अतिरिक्त अंतरण।		and Infrastructure fund for financing the			
21. रक्षा पेंशन	21	border road works (₹800 crore).		799.00	799.00
न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा	21	Defence Pensions For meeting expenditure on account of court			
करने के लिए।		orders.	1.41		1.41
वित्त मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
27. आर्थिक कार्य विभाग	27	Department of Economic Affairs			
(क) (i) आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) और विशेष नकदी योजना (एसएलएस) के		(a) For (i) additional transfer to Guarantee Redemption Fund (₹1,000.00 crore) due			
लिए उच्च प्रावधान करने के कारण गारंटी		to higher provisioning for Partial Credit			
मोचन निधि में अतिरिक्त अंतरण (₹1,000.00		Guarantee Scheme(PCGS) and Special			
करोड़) तथा (i) सरकारी खाते (₹0.01 करोड़)		Liquidity Scheme (SLS) and (ii) payments			
में दावा न की गई प्रतिभूतियों के संबंध में		in connection with unclaimed Securities	1 000 00		1 000 00
भुगतान के लिए। (ख) (i) अतंर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)		credited to Govt. Accounts (0.01 crore). (b) For Contribution to (i) International	1,000.00	•••	1,000.00
(₹499.99 करोड़) और एशियाई विकास निधि-		Development Association (IDA)			
12 (₹3.60 करोड़) में अंशदान के लिए।		(₹499.99 crore) and (ii) Asian Development			
(a) in a few and a his imm		Fund-12 (₹3.60 crore).	503.43		503.43
(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान (₹2.99 करोड़), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम		(c) For (i) Contributions to United Nations Development Programme (2.99 crore),			
के निवासी प्रतिनिधि का व्यय (₹0.15 करोड़),		Expenses of Resident Representative of			
जीआईजेड को सेवा कर (₹22 करोड़) और		United Nations Development			
नए विकास बैंक (एनडीबी) का भारत क्षेत्रीय		Programme (₹0.15 crore), Service Tax			
कार्यालय (₹0.53 करोड़) तथा (ii) एग्जिम बैंक में आईईएस (₹1,405.06 करोड़), एग्जिम		to GIZ (₹22 crore) & Indian Regional Office of New Development Bank			
बैंक में चिरकालिक ब्याज अतिदेय के लिए		(NDB) (0.53 crore) and (ii) IES to Exim			
भुगतान (₹213.02 करोड़), और भारतीय		Bank (₹1,405.06 crore), payment for			
कंपनियों के आईईएस (₹187.74 करोड़)		chronic interest overdues to Exim Bank			
के लिए।		(₹213.02 crore) and IES for Indian Companies (₹187.74 crore).	1,476.04		1,476.04
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services	1,7/0.04	•••	1,7/0.04
(क) स्ट्रेस्ड परिसंपत्ति स्थिरिकरण निधि में प्रतिभूतियों		(a) For redemption of securities to Stressed			
के मोचन (₹125 करोड़)।		Assets Stabilization Fund (₹125 crore).	124.97		124.97

			(क र	es in Crore,	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) अधिस्थगन के दौरान ऋण हेतु चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु (₹5,500 करोड़)। 31. राजस्व विभाग	31	(b) For providing additional provision towards compounded interest Support Scheme for loans during moratorium (₹5,500 crore). Department of Revenue	5,348.63		5,348.63
संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पिछले वर्षों के अप्राप्य आईजीएसटी जारी करने हेतु।		For releasing the unapportioned IGST of previous years to UT Governments.	280.89		280.89
(क) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋणों) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए। (ख) राज्य सरकारों को विशिष्ट विन्डो के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में एक के बाद एक ऋण (₹1,10,208 करोड़) उपलब्ध कराना और (ii) पूंजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता के अंतर्गत ऋण प्रदान करना। राज्यों को विशेष सहायता के अन्तर्गत आबंटन और ऋण प्रदान करना पूंजी व्यय के लिए ऋण (₹12000 करोड़)।	38	 Transfers to States (a) For providing additional allocation under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans). (b) For providing loans to State Governments (i) through issue of debt under special window under back to back loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹1,10,208 crore) and (ii) under Special Assistance as loan to States for capital expenditure (₹12,000 crore). 		7,025.00 1,22,208.00 1	
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय 39. मत्स्य पालन विभाग प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान-सामान्य (₹78.99 करोड़), एस.सी.एस.पी. संघटक (₹7.50 करोड़ तथा टी.ए.एस.पी. संघटक (₹9.99 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	MI 39	HUSBANDRY AND DAIRYING Department of Fisheries For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹78.99 crore), SCSP Component (₹7.50 crore) and TASP Component (₹9.99 crore) under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	6.55		6.55
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42	WELFARE Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹4,050.22 करोड़), पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदना (₹989.45 करोड़) तथा सहयता अनुदान वेतन (₹2,987.85 करोड़) तथा (ii) अनुदान सहायता के अलावा अन्य मदें (₹3,644.30 करोड़) के		(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹4,050.22 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹989.45 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,987.85 crore) and (ii) other items other than Grants-in-aid (₹3,644.30)			
व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य (₹4.02 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली कौशल विकास (₹1 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹1.09 करोड़), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (₹0.25 करोड़), (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली योजना के अंतर्गत पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.54 करोड़) (iii) योजनाएं/कार्यक्रम/ संस्थान/संगठन डब्ल्यूएचओ समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना-व्यावसियक सेवाएं (₹88.59 करोड़), नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लैक्सीवल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम		crore) under the various schemes. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General under the schemes National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹4.02 Crore.), National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi Skill Development) (₹1 Crore), International Institute of Population Sciences, Mumbai (₹1.09 Crore), Population Research Centers (₹0.25 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹1.54 Crore) (iii) schemes/programmes/ Institutions/Organisations WHO Supported National Polio Supported	3,219.89		3,219.89

National Polio Surveillance Project -

टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी

			ड़ रुपए Rupee \	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विकार नियंत्रण कार्यक्रम- बिना विधान सभा वाले यूटी में व्यय (पीएमएसएसएन) (₹49.58 करोड़), जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) (₹13.25 करोड़), नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सीवल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएनएन)-अन्य प्रभार (ईएपी)-₹1.36 करोड़), रिजर्व निधि/जमा खाल में अंतरण-पीएमएसएसएन के लिए निधि-आंतरिक खाता अंतरण-(₹50.93 करोड़)	Professional Services - ₹88.59 Crore), RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme - Expenditure in UTs without Legislature (Support from PMSSN (₹49.58 Crore), Jansankhya Sthirita Kosh (JSK)-₹13.25 crore), RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme(Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi			
	(PMSSN) - Other Charges (EAP) - ₹1.36 Crore), Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (₹50.93 Crore)	50.93		50.93
(ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (₹1,313.69 करोड़) को अंतरित विभिन्न स्कीम के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹998.92 करोड़), पूंजी पिरसंपित्तयों के सृजन के लिए अनुदान (₹811.98 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹7.89 करोड़) के व्यय को	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General (₹998.92crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹811.98 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹7.89 crore) under the various schemes, transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha	30.73		30.53
पूरा करने के लिए (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹13,389.49 करोड़) तथा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹19,355.70 करोड़) के अनुदान हेतु व्यय	Nidhi (₹1,313.69 crore). (d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹13,389.49 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹19,355.70 crore) under the	1,313.69		1,313.69
को पूरा करने के लिए। (ङ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹511.57 करोड़) तथा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1,121.99 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	various schemes. (e) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹511.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1,121.99 crore) under the various schemes.	14,899.86		14,899.86 605.38
(च) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन (अन्य संविदागत सेवा) के सुदढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता।	(f) For Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (Other Contractual			
	Service).	538.00	•••	538.00
गृह मंत्रालय 1.राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹30.00 करोड़), 2. (i) कार्यालय भवन (₹13 करोड़), (ii) आवासीय भवन (₹7 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए कार्यालय भवन (₹14.14 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख कार्य। 48. पुलिस (क) अन्य शुलकों के अंतर्गत (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹22.01 करोड़), (ii) भारत-	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 46 Ministry of Home Affairs For meeting expenditure towards 1. Machinery and Equipment for National Disaster Response Force (NDRF) (₹30 crore) 2. Major Works under (i) Office Building (₹13 crore) (ii) Residential Building (₹7 crore) and (iii) Office Building for National Institute for Disaster Management (₹14.14 crore). 48 Police For making payment towards various settlement under arbitration award and other		30.85	30.85
तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹0.03 करोड़) और (iii) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹1.75 करोड़) के लिए मध्यस्थता अवार्ड विभिन्न निपटान और अन्य दावों के लिए भुगतान करना।	claims for Border Security Force (₹22.01 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹0.03 crore) and Special Protection Group (SPG) (₹1.75 crore) under Other Charges.	23.79		23.79

			(करोड़ रुपए Rupees i		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
54. दिल्ली को अंतरण दिल्ली आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹156.49 करोड़)।	54	Transfers to Delhi For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General for contributions to Delhi Disaster Response Fund (₹156.49 crore).	149.99		149.99
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN			
57.आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ कम आय समूह (एलआईजी) (₹2850 करोड़) और (ii) मध्यम आय समूह (एमआईजी) (₹2500 करोड़) को ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत सब्सिडी का व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को किस्तों के भुगतान (अनुसूचित जनजाति घटक ₹1027.30 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति घटक ₹205.40 करोड़ तथा (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन य परियोजनाएं (₹0.01 करोड़) के लिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के व्ययो को पूरा	57	Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting expenditure towards subsidie for Credit Liked Subsidy Scheme to (i) Economically Weaker Section/Lower Income Group (₹2,850 crore) and (ii) Middle Income Group (₹2,500 crore) under Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban). (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for (i) payment of installments to State Governments for Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) (Urban) (Schedule Cast Component ₹1,027.30 crore and Schedule Tribes Component ₹205.40 crore) and (ii)	5,350.00		5350.00
करना।	3.41	Other Projects in NER (₹0.01 crore).	4,650.00	•••	4650.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	NH	NISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59.विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	59	Department of Higher Education			
(क) (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹189.64 करोड़) तथा विश्व स्तरीय संस्थान (₹534.32 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय (₹1,951.50 करोड़), मानित विश्वविद्यालय (₹83 करोड़) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/पूंजी (₹1,738.74 करोड़) को अनुदान (iii) कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹66.32 करोड़) (iv) मानित विश्वविद्यालय (₹53.82 करोड़) तथा एकेडिमक बैंक आफ क्रेडिट्स (₹5 करोड़) के लिए सहायता अनुदान सामानय (v) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹3.27 करोड़) तथा (vi) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (₹2,480.95 करोड़) के लिए अंतर लेखा अंतरण।		(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets to Central Universities (₹189.64 crore) and World Class Institutions (₹534.32 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries to Central Universities (₹1,951.50 crore), Deemed University (₹83 crore) and University Grants Commission (UGC) (₹1,738.74 crore) (iii) Scholarship/Stipends under Scholarship for College & University Students (₹66.32 crore) (iv) Grants-in-aid General to Deemed University (₹53.82 crore) and Academic Bank of Credits (₹5 crore) (v) Other Charges under Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹3.27 crore) and (vi) Inter Account Transfer to Madhayamik and Uchchattar Shiksha Kosh (₹2,480.95 crore).	2,480.95		2480.95
(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹254.34 करोड़), पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹748.48 करोड़) तथा सहायता अनुदान वेतन (₹2,002.60 करोड़) तथा (ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा केन्द्र में अंतर लेखा अंतरण (₹2,180.12 करोड़) के व्यय को पूरा करने		(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹254.34 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹748.48 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2,002.60 crore) under various schemes and (ii) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar			
के लिए।		Shiksha Kosh (₹2,180.12 crore).	2,180.12		2180.12

		(करा	ड़ रुपए Ruped	
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ाल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
2. पेयजल और स्वच्छता विभाग	62 Department of Drinking Water and			
	Sanitation			
(क) राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के लि				
अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹7.0	y e			
करोड़) तथा जल जीवन मिशन (जेजेए	·			
स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क औ				
अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को नि		02.42		02.42
का अंतरण (₹92.43 करोड़)। (ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्ग	Jeevan Mission (JJM). (b) For transfer of fund to Central Road and	92.43		92.43
केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निर्				
(सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण।	Jal Jeevan Mission (JJM).	2,957.43		2957.43
(ग) (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम		2,737.73	•••	2737.43
अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना नि				
(सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹199.7				
करोड़) (ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्ग	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदा	· · · · ·			
प्रदान करना (क) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्ग	under Normal Programme (₹7.50 crore)			
(₹7.50 करोड़) (ख) अनुसूचित जातियों				
लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹11.5				
करोड़) और (ग) जनजाति क्षेत्र उपयोजना घट	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए (₹6 करोड़	Plan Component(₹6 crore).	199.78		199.78
धि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
ı. विधि एवं न्याय	64 Law and Justice			
(क) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत फार				
ट्रैक विशेष अदालत पर अतिरिक्त व्यय व	•			
पूरा करना।	Mission for Safety of Women.	10.00	•••	10.00
(ख) नौरोजी नगर, दिल्ली में भवन की खरीद है				
एनबीसीसी को भुगतान करना; लखनऊ अँ				
कोलकाता में आईटीएटी बेंच हेतु भवन व निर्माण और अहमदाबाद में भूमि की खरी	•			
हेतु भुगतान करना।	bench in Lucknow and Kolkata and purchase of land in Ahmedabad.		86.00	86.00
व्यु नुगराम करना। 5 निर्वाचन आयोग	65 Election Commission	•••	80.00	80.00
मतदाता जागरूकता को बढाने हेतु देश में क्षेत्री				
हब केन्द्रों की स्थापना / निर्माण पर व्यय को व	· ·			
करने हेतु।	country for increasing voters awareness.		5.00	5.00
क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
⁷ . सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium			
	Enterprises			
(क) निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवे	• •			
हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	under the scheme Fund of Funds.		100.00	100.00
(ख) निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवे	. ,			
हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Investment under the scheme Fund of Funds.		400.00	400.00
गीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND DENEWADIE			
नाम तथा मयाकरणाय छणा मत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
). नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy			
अटल अक्षय ऊर्जा भवन कार्यालय भवन के निर्मा				
जिल्ला जादाच जिला गर्च । क्याचालाच गर्च । क्या गरा				
हेतु व्यय के लिए अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध करा				

		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) कर्मचारी चयन आयोग के लिए (एसएससी) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय को	(a) For meeting expenditure towards Professional Services for Staff Selection			
पूरा करने के लिए। (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए वेतन के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	Commission (SSC). (b) For meeting expenditure towards Salaries for Central Bureau of Investigation	2.38	•••	2.38
.	(CBI).	41.50		41.50
(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/ कार्यालय, आवास भवनों का निर्माण के लिए	(c) For meeting expenditure for Comprehensive Modernization and purchase of land/construction of office			
व्यय पूरा करने के लिए।	residence buildings for CBI.		1.46	1.46

विद्युत मंत्रालय

77. विद्युत मंत्रालय

(i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-बदरपुर थर्मल विद्युत केंद्र के भुगतान स्कीम के अंतर्गत अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए (₹32.15 करोड़) (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़)। (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹250 करोड़)। (iv) संघ राज्य क्षेत्र और गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियम आयोग (जेईआरसी) की स्थापना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.90 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.89 करोड़) (v) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन (₹0.88 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹0.13 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹0.66 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.01 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹0.97 करोड़) (vi) विद्युत अपील अधिकरण स्कीम (एपीटीईएल) के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹0.10 करोड़) और किराया, दर और कर (₹5.68 करोड़) (vii) स्वन श्री लोअर परियोजना (एनएचपीसी) (₹105.00 करोड़) के डाउन स्ट्रीम सुरक्षा कार्य के लागत के लिए नए स्कीम अनुदान के अंतर्गत पुंजीगत आस्तियों के सुजन के अनुदानों को बढ़ावा देना (viii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि स्कीम के अंतर्गत कार्यालय के अचल संपत्ति प्राप्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹150 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़)। (ix) नई वेंत्र्वीय ट्रांसिमशन यूटीलिटी सृजन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹6.25 करोड़) के लिए निधि प्रदान करना। (x) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण (₹250 करोड़) के लिए अतिरिक्तनिधियां उपलब्ध कराने हेत्।

MINISTRY OF POWER

77 Ministry of Power

For providing additional funds for (i) Other Contractual Service under the scheme Payment to South Delhi Municipal Corporation-Badarpur Thermal Power Station (₹32.15 crore) (ii) Grants-in-aid General under the schemes Integrated Power Development Scheme (₹20 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Power System Development Fund (₹250 crore) (iv) Grants in aid General (₹0.90 crore) and Grant in aid Salaries (₹0.89 crore) under the scheme Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for UTs and Goa (v) Salaries (₹0.88 crore), Medical Treatment (₹0.13 crore), Minor Work (₹0.66 crore), Other Administrative Expenses (₹0.01 crore) and Office Expenses (₹0.97 crore) under the Central Electricity Authority (vi) Medical Treatment (₹0.10 crore) and Rent Rates and Taxes (₹5.68 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (vii) augmentation of Grants of Creation of Capital Assets under the new scheme grant towards cost of downstream protection work of Subansiri lower project (NHPC) (₹105 crore) (viii) Grant for creation of Capital Assets (₹150 crore) for acquiring immovable property for the office, Grants in aid General (₹2 crore) and Grant in aid salaries (₹1.50 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Fund (ix) Grants in aid General (₹1.75 crore) and Grants-in-aid Salary (₹6.25 crore) under the new scheme Creation of Central Transmission Utility (CTU) and (x) inter account transfer under the scheme Power System Development Fund (₹250 crore).

403.50 ... 403.50

		-2021 SULLEWIENTAKT DEWIANDS FO.		ोड़ रुपए Rupee	es in Crora)
			राजस्व	पूंजी	<u>ा टाठार)</u> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
रेल मंत्रालय	MI	NISTRY OF RAILWAYS			
83. रेल मंत्रालय		Ministry of Railways			
न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय		For meeting additional expenditure arising			
को पूरा करने के लिए।		out of court decrees.		336.00	336.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MI	NISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	84	Ministry of Road Transport and Highways			
(ख) 1.सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित भारतीय		(b) For 1. Investment in National Highways			
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश		Authority of India (NHAI) financed			
(एनएचएआई) (₹6,500 करोड़), भारत माला		from CRIF (₹6,500 crore), Bharatmala			
परियोजना (₹50 करोड़) और सीआरआईएफ		Pariyojana (₹50 crore) and additional			
से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के		expenditure under National Highways			
अधीन अतिरिक्त व्यय (₹3,586.50 करोड़)		Original Works financed from CRIF			
2. (i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क		(₹3,586.50 crore) 2. additional expenditure			
संपर्क के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹30		on Major Works under (i) Special			
करोड़) और (ii) सीआरआईएफ से राष्ट्रीय		Programme for Development of Road			
राजमार्ग मूल कार्य-जनजाती क्षेत्र उपयोजना		Connectivity in Left Wing Extremist			
(₹3,140 करोड़) के तहत मुख्य कार्यों पर		Affected Area (₹30 crore) and (ii)			
अतिरिक्त खर्च 3. एनएचएआई और में निवेश		National Highways Original Works-			
हेतु सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹6550 करोड़) और अन्न स्कीमों के लिए		Tribal Area Sub Plan finance from CRIF			
(₹3,464.50 करोड़)।		(₹3,140 crore) 3. Inter Account Transfer to CRIF for Investment in NHAI			
(10,404.30 4/114)		(₹6,550 crore) and for other			
		schemes (₹3,464.50 crore).		6,220.00	6,220.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85. ग्रामीण विकास विभाग		Department of Rural Development			
(क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को		(a) For (i) transfer of funds to Central Road			
निधियों का अंतरण (₹2,684 करोड़) और		and Infrastructure Fund (₹2,684 crore)			
(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम		and (ii) providing funds to meet			
के अंतर्गत प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के		administrative expenditure under the			
लिए निधियां उपलब्ध कराना (₹2,684 करोड़)।		scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -			
		Rural (₹2,684 crore).	2,684.00		2,684.00
(ख) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0		(b) For (i) providing Grants for Creation of			
(₹7000 करोड़) के अनुसार महात्मा गांधी		Capital Assets under Mahatma Gandhi			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के		National Rural Employment Guarantee			
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान		Programme as per Atmanirbhar Bharat			
उपलब्ध कराने के लिए और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में निधियों का अंतरण (₹10,000		Abhiyan Package 3.0 (₹7,000 crore) and (ii)			
करोड़)।		transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹10,000 crore).	7,100.00		7,100.00
(ग) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण स्कीम		(c) For (i) providing Grants for Creation	7,100.00	•••	7,100.00
के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ		of Capital Assets under the scheme			
अनुदान उपलब्ध कराना (₹1,950 करोड़) और		Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural			
(ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का		(₹1,950 crore) and (ii) transfer of fund			
. ` , अंतरण (₹1,950 करोड़)।		to Central Road and Infrastructure Fund			
, ,		(₹1,950 crore).	1,950.00		1,950.00
(घ) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0		(d) For 1. providing Grants for Creation of			
(₹3000 करोड़) के अनुसार महात्मा गांधी		Capital Assets under (i) Mahatma			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के		Gandhi National Rural Employment			

		(क	रोड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (₹14,438.29 करोड़) (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का अंतरण (₹14,438.29 करोड़)।	Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 3,000 crore) (ii) Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹14,438.29 crore) and (iii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna - Rural (₹14,438.29 crore).	17,438.29	1	7,438.29
(ङ) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को ग्राम उद्यमिता स्टार्टअप कार्यक्रम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.30 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (₹427.71 करोड़) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का अंतरण (₹427.71 करोड़)	(e) For (i) Village Entrepreneurship Start- up Programme fo Grants-in-aid General to UT of Jammu & Kashmir under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹1.30 crore) (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural (₹427.71 crore) and (iii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹427.71 crore).	427.71		427.71
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
90. पोत परिवहन मंत्रालय (i) सगारमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश की राशि की पूर्ति सीआरआईएफ से की जानी है (₹100 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधि का अंतर-लेखा अंतरण (₹100 करोड़)।	90 Ministry of Shipping For (i) Investment in Sagarmala Development Company to be met CRIF (₹100 crore) and (ii) Inter-account transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹100 crore).		185.00	185.00
वस्त्र मंत्रालय 97. वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES 97 Ministry of Textiles			
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत (₹5 करोड़) और पावरटेक्स इंडिया स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹1.16 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works under the schemes National Handloom Development Programme (₹5 crore) and Powertex India (₹1.16 crore).		6.16	6.16
कुल तकनीकी	Total Technical	78,204.53	1,37,520.47 2	,15,725.00
4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are al items listed below, the expenditure indicate reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.	ed against	which will b	e met by
सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary Demands for grants			
			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग
 - (क) 1. पादप किरमों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

- 1 **Department of Agriculture, Cooperation** and Farmers' Welfare
 - (a) For meeting expenditure towards 1. Grants for creation of Capital Assets

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue के सृजन के लिए अनुदान (₹18.50 under Protection of Plan Varieties and करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और Farmer's Right (₹18.50 crore) 2. उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य Grants-in-aid General for (i) National सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) (ii) Project on Management of Soil Health एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी & Fertility (₹0.50 crore) (ii) Integrated स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान Scheme on Agriculture Census and (₹32 करोड़) (iii) एकीकृत बागवानी Statistics (₹32 crore) and (iii) Tribal विकास मिशन के अंतर्गत जनजातीय Area Sub Plan (TASP) Component क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) घटक के under Mission for Integrated लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 Development of Horticulture (₹5 crore) करोड़)। 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना and 3. Subsidies for Interest Subvention स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड को ब्याज आर्थिक to NABARD-Micro Irrigation Fund सहायता- सूक्ष्म सिंचाई निधि हेत् सब्सिडी under the scheme of Pradhan Mantri (₹20 करोड़)। 76.00 Krishi Sinchai Yojna (₹20 crore). 76.00 (ख) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (b) For meeting expenditure towards Grants-प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य in-aid General for (i) General सहायता अनुदान (₹10.58 करोड़) (ii) Component under National Project on पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैव मूल्य श्रृंखला Management of Soil Health & Fertility विकास के अंतर्गत टीएएसपी घटक (₹10.58 crore) (ii) TASP Component (₹20.16) (iii) राष्ट्रीय धारणीय कृषि under Organic Value Chain Development मिशन के अंतर्गत टीएएसपी घटक for North Eastern Region (₹20.16 crore) (₹3.48 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा (iii) TASP Component under National मिशन-अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य Mission for Sustainable Agriculture घटक (₹61.77 करोड़) और (v) (₹3.48 crore) (iv) General Component प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत under National Food Security Mission-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) Other Crops (₹61.77 crore) and (v) TASP घटक (₹73.54 करोड़)। Component under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (₹73.54 crore). 169.53 169.53 (ग) बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन के (c) For meeting expenditure towards अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹1.24 करोड़) Grants-in-aid General for Special और टीएएसपी घटक (₹0.80 करोड़) हेत् Component Plan for Scheduled Castes विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता (₹1.24 crore) and for TASP Component अनुदान हेत् सामान्य सहायता अनुदान हेत् (₹0.80) crore under Sub Mission on व्यय को पूरा करने हेतू। 2.04 2.04 Seeds and Planting Material. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग 2 Department of Agricultural Research and **Education** (क) 1. राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो (सीएबी) (₹0.35 (a) For 1. meeting additional expenditure करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान for contribution to (i) Commonwealth परामर्शी समूह (₹0.05 करोड़) (iii) Agricultural Bureau (₹0.35 crore) (ii) एशिया-प्रशांत में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क Consultative Group on International (₹0.02 करोड़) 2. (i) केन्द्रीय कृषि Agricultural Research (₹0.05 crore) (iii) विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड (₹0.50 करोड़) Network of Aquaculture Centers in 3. (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, Asia-Pacific (₹0.02 crore) 2. release of बुंदेलखंड को वेतन सहायता अनुदान जारी Grants-in-aid General to (i) Central करना (₹3.34 करोड़) (ii) केन्द्रीय कृषि Agricultural University, Bundelkhand विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता (₹0.50 crore) 3. release of Grants-in-aid अनुदान जारी करना (₹10.10 करोड़)। Salaries to (i) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3.34 crore) and (ii) Central Agricultural University, 14.36 14.36 Bihar (₹10.10 crore). (ख) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन (b) For release of Grants-in-aid Salaries to सहायता अनुदान जारी करना। 23.23 Central Agricultural University, Imphal. 23.23

		(करो	ड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹127.34	(a) For meeting additional expenditure			
करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान	towards (i) Grants-in-aid Salaries to			
(₹6 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान	Aided Institutes (₹127.34 crore) and to			
और (ii) आईजीकार को सहायता अनुदान	Atomic Energy Education Society (₹6			
सामान्य के लिए (₹0.02 करोड़ के लिए	crore) and (ii) Grants-in-aid General to			
अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु,	IGCAR (₹0.02 crore).	133.36		133.36
(ख) नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं (रिएक्टर	(b) For meeting additional expenditure			
से दूर) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त	towards Major Works for Nuclear Power			
व्यय की पूर्ति हेतु।	Projects.	•••	5.29	5.29
(ग) (i)अन्वेषण एवं खनन (एएमडीईआर) में	(c) For meeting additional expenditure			
अनुसंधान एवं विकास (₹0.63 करोड़),	towards 1. Machinery & Equipment for			
(ii) नाभिकीय ईंधन परियोजनाएं (एनएफसी) (₹16.17 करोड़) और (iii)	(i) R and D in Exploration and Mining			
पृष्णंत ईंधन चक्र परियोजनाएं (एनआरबी)	(₹0.63 crore) and (ii) Nuclear Fuel			
पृथ्वात इयम यक्र पास्यावामार (र्गजास्या) (₹27.80 करोड़) के और 2. मूलभूत	Project (₹16.17 crore) and (iii) Back			
विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में आर एण्ड डी	End Fuel Cycle Project (₹27.80 crore) and 2. Major Works for (i) R and D in			
(बीएआरसी) (₹21.08 करोड़) और पृष्णंत	Basic Science and Engineering (BARC)			
(पार्जारता) (C21.06 कराड़) जार वृज्यत ईंधन चक्र भाग परियोजनाएं (एनआरबी)	(₹21.08 crore) and (ii) Back End Fuel			
(₹1.24 करोड़)।	Cycle Projects (NRB) (₹1.24 crore).		66.92	66.92
(1.24 4/(19)1	Cycle Hojects (NKB) (C1.24 crofe).	•••	00.92	00.92
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND			
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी	NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA			
(आयुष) मंत्रालय	AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, 	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and			
सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	Naturopathy, Unani, Siddha and			
() 00 0 0 0 0	Homoeopathy (AYUSH)			
(क) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता	(a) For meeting expenditure towards			
अनुदान (₹82.39 करोड़), वेतन सहायता	Grants-in-aid General (₹82.39 crore),			
अनुदान (₹2.89 करोड़) और पूंजीगत	Grants-in-aid Salaries (₹2.89 crore) and			
आस्तिकों के सृजन हेतु (₹294.16 करोड़)	Grants for Creation of Capital Assets			
के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(₹294.16 crore) under various schemes.	379.44		379.44
(ख) (i) एनएएम के संबंध में, दैनिक व्यय को	(b) For meeting expenditure towards (i)			
पूरा करने हेतु और पूंजी खर्चों हेतु सामान्य	Grant in aid General (₹5 crore) and			
सहायता अनुदान (₹५ करोड़) और पूंजी	Grants for creation of Capital Assets (₹5			
आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹5 करोड़)। (ii) एनआईएएच के संबंध में	crore) to National Ayush Mission, to			
कराङ्गा (II) एनआइएएच क सबच म वर्ष के दौरान दैनिक खर्चों और निर्माण	meet the day to day expenditure and			
वर्ष क दोरान दोनक खंचा और निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने	capital expenses (ii) Grant in aid			
हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.02	General (₹1.02 crore) and under Grants			
हतु सामान्य सहायता अनुदान (र 1.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण	for creation of Capital Assets (₹17.35			
हेतु अनुदानों के तहत (₹17.35 करोड़)	crore) in respect of North Eastern			
और (iii) सीसीआरयूएम के संबंध में	Institute of Ayurveda and Homoeopathy,			
सिलचर (पूर्वोत्तर) में निर्माण परियोजनाओं	to meet day to day expenses and liability			
पर देयता को पूरा करने हेतु यूनानी औषध	on the construction projects during the			
में केंद्रीय अनुसंधान परिषद के संबंध में।	year and (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹15 crore) in respect of			
पंजी आस्तियों (₹15 करोड़) के सृजनार्थ	Central Council for Research in Unani			
यूजा आस्तिया (राठ कराङ्) क सृजनाय अनुदान।	Medicine, to meet the liability on the			
ा नुषा ।।	construction projects at Silchar (North			
	East).	43.37		43.37
	Lusty.	ਜ ਹ.ਹ।	•••	TJ.J /

		(करो	ड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कोयला मंत्रालय 9 कोयला मंत्रालय (1) (i) अनुसूचित जाति उप-योजना में कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा, (₹1.28 करोड़) और (ii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास स्कीम के तहत खर्चों को पूरा करना। कोयला खदानों में परिवहन अवसंरचना विकास के लिए और कोयला खानों में अवसंरचना विकास के लिए और कोयला खानों में अवसंरचना विकास के लिए (₹10.93 करोड़) और 2. वैधानिक निकायों संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय के अन्तर्गत नामित प्राधिकरण के व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹11 करोड़)। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COAL 9 Ministry of Coal For 1. providing subsidy for (i) Scheduled Caste Sub-Plan (₹1.28 crore) for conservation and safety in coal Mines and (ii) Tribal Area Sub-Plan (₹10.93 crore) for development of transportation infrastruction in coalfield area under the scheme Conservation Safely and Infrastructure Development in Coal Mines and 2. meeting expenditure for Professional Serviced of Nominated Authority under Statutory Bodies, Attached and sub-ordinate Offices (₹11 crore). MINISTRY OF COMMERCE AND	23.21		23.21
 10 वाणिज्य विभाग वाय बोर्ड स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए। 11 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग स्वायता संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। 	INDUSTRY 10 Department of Commerce For meeting expenditure towards Subsidies under the scheme Tea Board. 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to Autonomous Institutions.	25.00 4.00		25.00
दूरसंचार मंत्रालय 13 दूरसंचार विभाग (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प चुनने वाले बीएसएनएल/एमटीएनएल के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय जगह की खरीद हेतु (₹113 करोड़) 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड (₹10.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु और (ii) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान की भौतिक अवसंरचना के सृजन के लिए ₹4.99 करोड़ रु. के व्यय को पूरा करने के लिए।	 MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 Department of Telecommunications (a) For meeting additional expenditure for payment of ex-gratia to the employees of BSNL/MTNL opting for voluntary retirement scheme. (b) For (i) meeting additional expenditure towards purchase of office accommodation for Telecom Regulatory Authority of India (₹113 crore) and 5G connectivity Test Bed (₹10.90 crore) and (ii) creating physical infrastructure of National Institute of Communication Finance (₹4.99 crore). 	1,316.35		1,316.35
संस्कृति मंत्रालय 17 संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (i) संग्रहालयों को सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹12.33 करोड़), (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - अकादिमयों को सहायता (₹21.69 करोड़), और बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹32.78 करोड़)। (iii) अकादिमयों को सहायता (₹14.22 करोड़) और संग्रहालयों को सहायता (₹7.45 करोड़)।	MINISTRY OF CULTURE 17 Ministry of Culture For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General to Support to Museums (₹12.33 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Support to Akademies (₹21.69 croer) and Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹32.78 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Support to Akademies (₹14.22 crore) and Support to Museums (₹7.45 crore).	88.47		88.47
रक्षा मंत्रालय 18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) 1 (i) रक्षा विभाग के खेलकूद और मनोरंजन क्लब को सामान्य सहायता अनदान (₹5 करोड़)	MINISTRY OF DEFENCE 18 Ministry of Defence (Civil) For providing 1. Grants-in-aid-General to (i) Sports and Recreation Club (₹5 crore) of			

Sports and Recreation Club (₹5 crore) of

क्लब को सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़),

		(करो	ड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
 महानिदेशक-गुणवत्ता आश्वासन की रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.77 करोड़), (ii) रक्षा संपदा संगठन के छावनी बोर्डों (₹50 करोड़) और 3. सीमा सड़क संगठन की राशन की लागत के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹87.81 करोड़), पीओएल (₹12.50 करोड़) और कपड़े 	Department of Defence (ii) Cantonment Boards (₹50 crore) of Defence Estates Organisation 2. Grants for creation of capital assets to Defence Testing Infrastructure scheme (₹0.77 crore) of Director General – Quality Assurance and 3. additional provision for Cost of Ration (₹87.81 crore), POL (₹12.50			
एवं टेंट (₹27 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान। 19 रक्षा सेवाएं (राजस्व) (क) आर्मी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए (₹1150 करोड़) भंडारण	crore) and Clothing and Tentage (₹27 crore) of Border Roads Organisation. 19 Defence Services (Revenue) (a) For meeting additional expenditure under Army on 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹1,150 crore), 'Stores'	183.08		183.08
(₹3201.95 करोड़) और अन्य व्यय के लिए (₹657.75 करोड़)। (ख) नेवी के अंतर्गत मरम्मत और दुरूरत पर अतिरिक्त व्यय (₹832.41 करोड़), भंडारण (₹1695.48 करोड़) कार्यों (₹60.25 करोड़) और अन्य व्यय (₹287.29 करोड़) और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीवृहा ₹75 करोड़ व्यय को विनियमित करने जीएफआर के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पढ़ें।	(₹3,201.95 crore) and 'Other Expenditure' (₹657.75 crore). (b) For meeting additional expenditure under Navy on 'Repairs and Refits' (₹832.41 crore), 'Stores' (₹1,695.48 crore), 'Works' (₹60.25 crore) and 'Other Expenditure' (₹287.29 crore) and for regularising the expenditure of ₹75 crore for 'Joint Staff' sanctioned under Rules 61 and 69 of GFRs read	5,009.70		5,009.70
(ग) वायु सेना के अंतर्गत व्यय जो कि भंडारण के लिए (₹2700.26 करोड़), कार्यों (₹9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹247.31 करोड़) और अन्य व्यय के	with Appendix 10. (c) For meeting additional expenditure under Air Force i.e. for 'Stores' (₹2,700.26 crore), 'Works' (₹9.82 crore), 'Special Project' (₹247.31 crore) and	2,875.43		2,875.43
लिए (₹242.40 करोड़)। (घ) विजय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, एचवीएफ प्रबंधन समिति, अवदी, चेन्नई को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन प्रदान	'Other Expenditure' (₹242.40 crore). (d) For providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Vijay Senior Secondary School, HVF Managing Committee,	3,199.79		3,199.79
कराना। (ड) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को भंडारण (₹430.96 करोड़) और अन्य व्यय (₹34 करोड़) को पूरा करने	Avadi, Chennai. (e) For meeting additional expenditure under Research and Development for 'Stores' (₹430.96 crore) and 'Other	0.21		0.21
के लिए।	Expenditure' (₹34 crore).	464.96		464.96
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र' हेतु वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 23 Ministry of Earth Sciences For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries towards National Centre for Polar and Ocean Research.	0.71		0.71
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 24 इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (क) व्यावसायिक सेवाओं (₹24.50 करोड़)	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 24 Ministry of Electronics and Information Technology (a) For meeting an expenditure towards			
और राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एनआईसी) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इलैक्ट्रॉनिक गवरनेंस (₹8 करोड़) और नैशनल नॉलेज	Professional Services (₹24.50 crore) and Grants-in-aid General (₹0.05 crore) for National Informatics Centre. (b) For meeting an expenditure towards Grants- in-aid General for Electronic Governance	24.55		24.55

		(करो	es in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
नैटवर्क प्रोग्राम (₹128 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजीएन)	 (₹8 crore) and National Knowledge Network Programme (₹128 crore) for development of North Eastern Region. (c) For meeting an expenditure towards (i) Grants-in-aid General for 	136.00		136.00	
(₹5 करोड़) इलैक्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएस और विनिर्माण क्लस्टर (₹20.53 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत इलैक्ट्रानिक गवर्नेस (₹4 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नैटवर्क (₹78 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप- योजना के तहबत ₹89 करोड़, अनुसूचित	Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geo-Information (₹5 crore), Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)" (₹20.53 crore), Electronic Governance (₹4 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, National Knowledge Network (₹78 crore) under				
जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹15 करोड़) (II) भारकाराचार्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और भू-सूचना (बीआईएसएजी(एन)) (₹15 करोड़) संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान और डिजिटल भुगतानों के संवर्धन हेतु अन्य प्रभारों (₹100 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।	Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹89 crore under Tribal Area Sub-Plan, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹15 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Information (₹15 crore) and (iii) Other Charges for Promotion of Digital				
	Payments (₹100 crore).	326.53		326.53	
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹100 करोड़) और (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंघान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.25 करोड़) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने के लिए।	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change For augmenting provisions under (i) Grants- in-aid General (₹100 crore) for National Authority and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.25 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI).	100.25		100.25	
विदेश मंत्रालय 26 विदेश मंत्रालय (क) गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली समाज के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैटों की खरीद हेतु भुगतान के लिए।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 26 Ministry of External Affairs (a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid salaries for Society for Research and Information System for Non Aligned and Other Developing Countries. (b) For payment towards purchase of Common Wealth Games flats.	0.96	200.00	0.96	
वित्त मंत्रालय 27 आर्थिक कार्य विभाग (क) (क) स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम आयोग 2015 (₹19.99 करोड़), एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि में अंशदान (₹1.26 करोड़), टीकाकरण और प्रतिरक्षण हेतु वैश्विक साझेदारी में अंशदान (₹1 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹2.12	MINISTRY OF FINANCE 27 Department of Economic Affairs (a) For Commission on Gold Monetization Scheme 2015 (₹19.99 crore), Contributions to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (₹1.26 crore), Contributions to Global Alliance for Vaccination and Immunization (1 crore),		200.00	200.00	

				ोड़ रुपए Rupe ∴	
दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) और सहायता अनुदान "वेतन"		Grants - in- aid-General (₹2.12 crore) and			
(₹8.06 करोड़)।		Grants - in- Aid "Salaries" (₹8.06 crore).	32.43		32.43
(ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रानिर्माण		(b) For purchase of coins from Security			
निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के		Printing and Minting Corporation of			
लिए।		India Limited.		18.14	18.14
(ग) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि		(c) For (i) Investment into National			
में निवेश (₹4,250 करोड़) और (ii)		Investment and Infrastructure Fund			
एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीयन		(₹4,250 crore) & (ii) Capital infusion			
प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन (₹1,000		into NIIF Infrastructure Debt Financing			
करोड़)।		Platform (₹1,000 crore).		5,250.00	5,250.00
(घ) सामान्य पूंजी बढ़त (जीसीआई),		(d) For payment for General Capital		,	,
(आईबीआरडी में निवेश) हेतु (₹11.93		Increase (GCI) (Investment in IBRD)			
करोड़), चुनिंदा पूंजी बढ़त हेतु भुगतान		(₹11.93 crore), payment for Selective			
(एससीआई) (आईबीआरडी में निवेश)		Capital Increase (SCI) (Investment in			
(₹4.08 करोड़), अफ्रीकी विकास बैंक		IBRD) (₹4.08 crore), Subscription to			
को अभिदान (₹०.०२ करोड़), सामान्य		African Development Bank (₹0.02			
पूंजी बढ़त के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम		crore), payment to International Finance			
को भुगतान (₹347.36 करोड़), ब्राजील,		Corporation towards General Capital			
रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीक		Increase (GCI) (₹347.36 crore),			
(ब्रिक्स) को अभिदान न्यू डेवलपमेंट बैंक		subscription to Brazil, Russia, India,			
(एनडीबी) (₹70 करोड़)।		China And South Africa (BRICS) New			
(3 10141) (170 47(14))		Development Bank (NDB) (₹70 crore).		433.39	433.39
व्यय विभाग	28	Department of Expenditure	•••	433.37	433.37
एनआईएफएम भवन में विस्तृत मरम्मत कार्य	20	For carrying out major repairs to NIFM			
और सामान्य सहायता अनुदान के तहत स्थापना		Building and meeting the establishment			
पूरा करने हेतु।		under Grants-in-aid General.	5.70		5.70
वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services	3.70	•••	3.70
(क) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेत्	2)	(a) For transfer to National Investment			
(पर) रान्द्राय भिषस भाष पर्रा अंतरन हतु		Fund.		1,000.00	1,000.00
(ख) बीमा कंपनियों के पुनः पूंजीकरण हेत्		(b) For providing additional funds towards	•••	1,000.00	1,000.00
अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए		recapitalisation of Insurance companies		2 000 00	3,000.00
राजस्व विभाग	21	-	•••	3,000.00	3,000.00
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान	31	Department of Revenue			
द्वारा 7वें केंद्रीय वित्तीय आयोग के कार्यान्वयन		For meeting additional expenditure towards			
होत १५ कप्राय विताय आयोग के कार्यापयन हेतु सहायता अनुदान वेतनों के लिए अतिरिक्त		Grants-in-aid Salaries for implementation of			
व्यय को पूरा करने हेत्।		7th CPC by National Institute of Public	0.55		0.55
ι, ο	22	Finance and Policy.	9.55	•••	9.55
प्रत्यक्ष कर	32	Direct Taxes			
अटल नगर विकास प्राधिकरण रायपुर और		For purchase of ready - built office building			
जेसीआईटी (केंद्रीय), रायपुर में तैयार कार्यालय		at Atal Nagar Vikas Pradhikaran, Raipur and		20.26	20.26
भवन की खरीद के लिए।	22	the JCIT (Central), Raipur.	•••	30.26	30.26
अप्रत्यक्ष कर	33	Indirect Taxes			
(क) गुवाहाटी से तैयार कार्यालय स्थान की		(a) For making balance payment towards			
खरीद के लिए शेष भुगतान करने के		Purchase of ready built office space in		4.50	4.50
लिए।		Guwahati.	•••	4.79	4.79
(ख) (i) चेन्नई के अन्ना नगर में आवासीय		(b) For (i) Construction of Residential			
क्वार्टर के निर्माण के लिए (10 करोड़		Quarter at Anna Nagar, Chennai (₹10			
रुपये)। (ii) बोकारो में आवास निर्माण		crore) (ii) Renewal of lease premium			
के लिए विभागीय भूमि के लिए लीज		for departmental land for construction			
प्रीमियम का नवीकरण (₹5.05 करोड़)।		of Residence at Bokaro (₹5.05 crore).		15.05	15.05
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	34	Indian Audit and Accounts Department			
'एक आईएएडी, एक प्रणाली' के लिए सूचना		For meeting additional expenditure under			
प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा		Information Technology for One IAAD, One			
करने के लिए।			100.00		100.00

					(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore,
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मत्र	य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MI		TRY OF FISHERIES, ANIMAL			
20	मत्सय पालन विभाग	39		SBANDRY AND DAIRYING			
39.	(क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत	37	_	partment of Fisheries For meeting expenditure towards			
	सहायता, अनुदान-सामान्य के अन्तर्गत		(a)	Grants-in-aid-General (₹19 crore) and			
	₹19.00 करोड़ और टी.ए.एस.पी. के			TASP (₹ 9 crore) under the scheme of			
	अन्तर्गत ₹9.00 करोड़।			Pradhan Mantri Matsya Sampada			
	51 W. W. 10100 D. W. F.			Yojana.	28.00		28.00
	(ख) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत		(b)	For meeting expenditure towards			
	्रे एस.सी.एस.पी. संघटक के अन्तर्गत			Grants-in-aid General under SCSP			
	(₹25.70 करोड़) सामान्य सहायता-			component (₹25.70 crore) and TASP			
	अनुदान और टी.ए.एस.पी. संघटक के			component (₹1 crore) under the scheme			
	अन्तर्गत (₹1.00 करोड़) सामान्य			of Pradhan Mantri Matsya Sampada			
	सहायता-अनुदान।			Yojana.	26.70		26.70
	(ग) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत		(c)	For meeting expenditure towards			
	सामान्य सहायता-अनुदान हेतु व्यय को			Grants-in-aid General under the scheme			
	पूरा करने के लिए।			Pradhan Mantri Matsya Sampada			
	() () () () () () () ()			Yojana.	16.42	•••	16.42
	(घ) मात्स्यिकी संस्थानों के संबंध में मोटर		(d)	For meeting expenditure towards Motor		0.10	0.10
40	वाहन के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	40	ъ	Vehicle in respect of Fisheries Institutes.	•••	0.10	0.10
40	पशु पालन और डेरी विभाग	40		partment of Animal Husbandry and			
	(क) (i) राष्ट्रीय पश्धन मिशन योजना के तहत			irying For masting aynonditure towards (i)			
	(क) (1) राष्ट्रीय पशुवन निशन वाजना के तहत सामान्य अनुदान-सहायता घटक (₹20.00		(a)	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Component			
	करोड़), एससीएसपी घटक (₹5.00 करोड़)			(₹20 crore), for SCSP component (₹5			
	और (₹2.00 करोड़) टीएएसपी घटक।			crore) and for TASP Component (₹2			
	(ii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत			crore) under National Livestock			
	सामान्य अनुदान-सहायता घटक (₹68.04			Mission (ii) Grants-in-aid General			
	करोड़), सामान्य अनुदान-सहायता			Component (₹68.04 crore), for SCSP			
	एससीएसपी घटक (₹21.50 करोड़) और			Component (₹21.50 crore) and TASP			
	सामान्य अनुदान-सहायता टीएएसपी (₹5.00			(₹5 crore) under the scheme of Rashtriya			
	करोड़)। और (iii) पशुपालन अवसंरचना			Gokul Mission and (iii) Office Expenses			
	विकास निधि योजना के तहत कार्यालय			(₹2 crore), Advertisement & Pulicity			
	व्यय के लिए (₹2.00 करोड़), प्रचार और			(₹0.80 crore), Professional Services			
	प्रकाशन के लिए (₹0.80 करोड़),			(₹2.20 crore) and Subsidies (₹22 crore)			
	व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹2.20 करोड़)			under the scheme Animal Husbandry			
	और सब्सिडी में (₹22.00 करोड़)।			Infrastructure Development Fund.	148.54	•••	148.54
	(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम के अधीन		(b)	For meeting expenditure towards			
	सामान्य संघटक हेतु सामान्य सहायता			Grants-in-aid General for General			
	अनुदान के लिये व्यय को पूरा करने हेतु।			Component under National Programme	10.44		12.44
	(T) THE THE PART OF THE PART O		(a)	for Dairy Development.	13.44	•••	13.44
	(ग) सामान्य संघटक (₹41 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान, एससीएसपी संघटक		(c)	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General			
	(₹13 करोड़) के लिये और राष्ट्रीय पशुधन			Component (₹41 crore), for SCSP			
	मिशन योजना के अर्न्तगत टीएएसपी			Component (₹13 crore) and TASP			
	(₹9.95 करोड़) के लिये व्यय को पूरा			(₹9.95 crore) under the scheme National			
	करने हेतु।			Livestock Mission.	63.95		63.95
खाः	द्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MI		STRY OF FOOD PROCESSING			
44	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रावय	11		DUSTRIES			
41	(क) (i) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता	41		nistry of Food Processing Industries For providing additional funds for 1.			
	के सृजन/विस्तार योजना के तहत सामान्य		(a)	Grants-in-aid General (i) for General			
	घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता			Component under the scheme Creation/			

		(करो	ड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹46.90 करोड़) के लिए और प्रधान मंत्री	Expansion of Food Processing and			
किसान संपदा योजना के तहत कृषि-	Preservation Capacities (₹46.90 crore)			
प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना	and for Tribal Area Sub Plan Component			
सृजन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना	under Creation of Infrastructure for			
घटक के लिए सामान्य अनुदान-सहायता	Agro-processing Clusters under Pradhan			
(₹6.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां	Mantri Kisan Sampanda Yojana (₹6.30			
उपलब्ध कराना। (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य	crore) (iii) for General Component			
प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-	(₹44.98 crore), for Schedule Castes Sub			
एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए	Plan Component (₹8.58 crore) and for			
सामान्य अनुदान सहायता (₹44.98 करोड़)	Tribal Area Sub Plan Component (₹4.44			
के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक	crore) under the Prime Minister			
के लिए (₹8.58 करोड़) और जनजातीय	Fomalisation of Micro Food Processing			
क्षेत्र उप योजना घटक (₹4.44 करोड़) के	Enterprises Scheme and 2. Contribution			
लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना। 2.	to International Organisation of Wine &			
वाइन और वाइन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ओ आई वी) में (₹0.19 करोड़)।	Vine (OIV) (₹0.19 crore).	111.39		111.39
(ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम	(b) For providing additional funds for			
उन्नयन योजना (पीएमं-एफएमई) पूर्वोत्तर	Grants-in-aid General NER (₹30 crore)			
(सामान्य) के लिए सामान्य अनुदान-	under the Prime Minister Formalisation			
सहायता (₹30.00 करोड़) और प्रधानमंत्री	of Micro Food Processing Enterprises			
किसान सम्पदा योजना के तहत मेगा	Scheme (PM-FME) and for Mega Food			
फूड पार्क योजना के लिए (₹6.00 करोड़)	Parks Scheme (₹6 crore) under Pradhan			
हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।	Mantri Kisan Sampada Yojana.	36.00		36.00
(ग) प्रधानमंत्री राष्ट्रम खाद्य प्रसंर्करण उद्यम उन्नयन	(c) For augmenting the funds in Grants-in-			
योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक	aid General for General Component			
के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹128.92	(₹128.92 crore), for Schedule Castes Sub			
करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना	Plan Component (₹24.56 crore) and			
घटक के लिए (₹24.56 करोड़) और जनजातीय	TASP Component (₹12.71 crore) under			
क्षेत्र उप योजना घटक (₹12.71 करोड़)।	PM-FME.	166.19		166.19
(घ) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन	(d) For augmenting the funds in Grants-in-aid			
योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य	General for General Component (₹0.70			
घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता	crore), for SCSP Component (₹0.06 crore)			
(₹0.70 करोड़); अनुसूचित जाति उप योजना	and for TASP component (₹0.05 crore)			
घटक के लिए (₹0.06 करोड़) और जन्जातीय	under PM-FME.	0.81		0.81
क्षेत्र उप योजना घटक (₹0.05 करोड़)।				
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा सेवा हेतु-केंद्र सरकार पेंशन	(a) For Medical Treatment - Central			
भोगी।	Government Pensioners.	309.83		309.83
 (ख) (i) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	(b) For meeting the additional requirement	207.02	•••	207.02
(जीबीएस) (₹2 करोड़) और (ii) लेडी	under the schemes (i) Pradhan Mantri			
हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती	Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹2			
एस.के. हॉस्पिटल नई दिल्ली (₹1.20	Crore) and (ii) Lady Hardinge Medical			
करोड़) स्कीमों के तहत अतिरिक्त	College & Smt. S.K. Hospital, New			
आवश्यकता पूरी करने के लिए।	Delhi (₹1.20 Crore).		3.20	3.20
(ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम	(c) For meeting the additional requirement			
के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को	under the cheme Pradhan Mantri			
पूरा करने के लिए।	Swasthya Suraksha Yojana.		50.00	50.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
	WELFARE			
43 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
कोविड-19 के लिए महामारी विज्ञान के अध्ययन, परीक्षण	For meeting additional expenditure towards			
किटों के वैधीकरण, ईक्यूए (बाहरी गुणवत्ता आश्वासन)	Grants-in-aid General under Development			

अनुदाना का पूरक माग,	2020-	-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	K GRANTS		(XXIII)
			(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore
			राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
		-CT1-4			
आदि के कारण महामारियों के प्रकोपों से बचने के लिए		of Tools to prevent outbreaks of Epidemics			
उपकरणों के विकास शीर्ष के अंतर्गत के अतिरिक्त व्यय		on account of Epidemological Studies,	4.07		4.05
(सामान्य सहायता अनुदान) को पूरा करने के लिए।		Validation of testing kits, etc. for COVID-19.	4.97	•••	4.97
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
भारा उद्याग आर सावजानक उद्यम मत्रालय		PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग		Department of Heavy Industry			
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता'		(a) For meeting expenditure towards			
स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान		Grants-in-aid General under the scheme			
का व्यय पूरा करने के लिए।		Support to Central Public Sector			
पर्रा व्यय पूरा पर्रा पर्रा पर्रा		Enterprises.	116.02		116.02
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता'		(b) For meeting expenditure towards Loans	110.02	•••	110.02
स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों हेत्		and advances under the scheme Support			
व्यय पूरा करने के लिए।		to Central Public Sector Enterprises.		41.00	41.00
व्यव दूरा कर । के खिरा		to central I done Sector Enterprises.	•••	41.00	41.00
गृह मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस		Police			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए		(a) For meeting expenditure towards (i)			
(i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत		Grants-in-aid General to National			
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सोसायटी (₹8.50		Police Memorial Society (₹8.50 crore),			
करोड़) और तटीय सुरक्षा के लिए संवैधानिक		Grants to Statutory Organisations for			
संगठनों को अनुदान (₹10.00 करोड़)		Coastal Security (₹10 crore) and Grants			
फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़		to Union Territories without Legislature			
करने के लिए विधानमंडल रहित संघ राज्य		for Strengthening of Forensic Science			
क्षेत्रों को अनुदान (₹2.02 करोड़) (ii) विशेष		Labs (₹2.02 crore) (ii) Grants-in-aid			
सुरक्षा दल (एसपीजी) को वेतन सहायता		Salaries to Special Protection Group			
अनुदान (₹0.34 करोड़) (iii) अपराध और		(SPG) (₹0.34 crore) (iii) Other Charges			
अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटी		to Crime and Criminal Tracking			
एनएस) (₹42.99 करोड़) और महिला और		Network Systems (CCTNS) (₹42.99			
बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम		crore) and to Cyber Crime Prevention			
(₹16.50 करोड़)के लिए अन्य शुल्क (iv)		against Women and Children (₹16.50			
दिल्ली पुलिस के लिए कार्यालय व्यय		crore) and (iv) Office Expenses to Delhi			
(₹73.08 करोड़)।		Police (₹73.08 crore).	153.43		153.43
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए		(b) For meeting expenditure towards (i)			
निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i)		Residential Building for Central			
आवासीय भवन के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण		Academy for Police Training (CAPT)			
अकादमी (सीएपीटी) (₹7.40 करोड़), दिल्ली		(₹7.40 crore), Delhi Police (₹97.45			
पुलिस (₹97.45 करोड़) और सीमा सुरक्षा		crore) and Border Security Force (BSF)			
बल (बीएसएफ) (₹50.69 करोड़) (ii) मोटर-		(₹50.69 crore) (ii) Motor Vehicles for			
वाहन के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹10.35		Delhi Polie (₹10.35 crore), Bureau of			
करोड़), पुलिस अनुसंघान और प्रशिक्षण ब्यूरो		Police Research and Training (BPR&D)			
(बीपीआरएंडडी) (₹0.65 करोड़) (iii) मशीनरी		(₹0.65 crore) and (iii) Machinery &			
और उपकरणों के अंतर्गत् राष्ट्रीय आसूचना		Equipments for National Intelligence			
ग्रिड (एनईटी ग्रिड) (₹52.38 करोड़), पुलिस		Grid (₹52.38 crore), BPR&D (₹27.34			
अनुसंघान और प्रशिक्षण ब्यूरो (₹27.34 करोड़),		crore), Special Protectio Group (₹0.10			
विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹0.10 करोड़),		crore) and Shashastra Seema Bal (SSB)			
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹9.99 करोड़)।		(₹9.99 crore).		256.35	256.35
49. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह		Andaman and Nicobar Islands			
(क) सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वोकेशनल		(a) For releasing Grants-in-aid to Society			
एण्ड टैक्निकल एजुकेशन को सहायता		for Promotion of Vocational & Technical			
अनुदान जारी करना।		Education.	3.00		3.00
(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मैडिकल		(b) For providing Grants-in-aid General			
शिक्षण और अनुसंधान सोसाइटी (जीआईए-		(₹1.40 crore) and Grants-in-aid Salaries			
सामान्य- ₹1.40 करोड़ और जीआईए-वेतन		(₹7 crore) to Andaman & Nicobar			

					(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुदान	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	₹7.00 करोड़)।			Islands Medical Education and Research			
	,			Society.	8.40		8.40
(ग)	पीबीएमसी के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन		(c)	For releasing Grants-in-aid Salaries to			
(')	आदि पर व्यय को पूरा करने हेतु सहायता		(•)	meet the expenditure on salary, wages,			
	अनुदान वेतनों को जारी करना।			pension, etc. of the employees of PBMC.	18.55		18.55
(ਬ)	प्राकृतिक आपदाओं के चलते वाषिर्क व्यय"		(d)	For meeting additional requirement for	10.55	•••	10.55
(9)	नए उप-शीर्ष के तहत कोविड-19 वैश्वविक		(u)	COVID-19 pandemic under Annual			
	महामारी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को			Expenditure on account of natural			
	पूरा करना।			calamities.	5.30		5.30
(ভ.)	यूरा प्रत्या। खत्म की जा चुकी पंचायत समितियों के		(a)	For releasing Grants-in-aid Salaries from	3.50	•••	3.30
(७.)	कर्मचारियों को वेतन देने हेतु जिला परिषद		(6)	_			
				Zilla Parishad to pay salaries to employees	0.65		0.65
()	से जीआईए-वेतन जारी करना।		(0	of abolished Panchayat Samities.	8.65	•••	8.65
(च)	ब्वॉयज हॉस्टल, री-रुफिंग, दिव्यांगों के लिए		(f)	For construction of Workshop Building,			
	रैम्प, वकुलतला आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त			Boys Hostel, Re-roofing, Ramp for		1.00	1 00
()	आवश्यकता को पूरा करना।			Divyang, Bakultala etc.	•••	1.00	1.00
(छ)	कच्छल में 250 एमटीआरसीसी गोदाम और		(g)	For construction of 250 MT RCC			
	कमोरता में सीसी फुटपाथ और आरसीसी			Godown at Katchal and C/o CC footpath			
	कंपाउन्ड का निर्माण करना।			and RCC compound wall at Kamorta.		0.90	0.90
(ज)	पंचायत निदेशालय के चल रहे सिविल भवन		(h)	For meeting additional requirement for			
	कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को			ongoing civil building works of Directorate			
	पूरा करना।			of Panchayat.		0.90	0.90
(耔)	विद्युत विभाग के निकट शिकायत सैल का		(i)	For construction of complaint cell near			
	निर्माण हेतु, सी/ बे और कच्चल में विद्युत			Electricity Department, C/Bay and for			
	विभाग हेतु री-रुफिंग, मरम्मत और पेंटिंग			re-roofing, repair & painting for Electricity			
	के लिए।			Department at Katchal.		0.20	0.20
(স)	जिला मार्गों (₹1.74 करोड़), जिला और		(j)	For construction/renovation of Roads			
	अन्य मार्गों (₹1.00 करोड़) हेतु जनजातीय			& Bridges under District Roads (₹1.74			
	क्षेत्र उप-योजना के निर्माण/ नवीनीकरण			crore), Tribal Area sub-plan for District			
	हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।			& Other Roads (₹1 crore).	•••	2.74	2.74
(ਟ)	विभिन्न बस टमिर्नस, पेसेन्जर हाल, बस		(k)	For construction/renovation of various			
	शैड, क्वाटर और अन्य कार्यों के निर्माण			bus terminus, passender hall, bus shed,			
	नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को			quarters and other works.		2.00	2.00
	पूरा करना।			1			
50 ਚਾ	ग्डीगढ़ -	50	Ch	andigarh			
(व	b) उच्च न्यायालय की विधि सेवा समिति के			For releasing Grants-in-aid to State			
•	लिए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को सहायता		` '	Legal Services Authority and High			
	अनुदान जारी करना।			Court Legal Service Committee.	0.50		0.50
(સ્	व) कोविड-19 व्यय को पूरा करने के लिए		(b)	For meeting additional requirement			
`	अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को		. ,	towards Other Charges for meeting			
	पूरा करना।			COVID-19 expenditure.	9.63		9.63
(1) माध्यमिक के बाद अनुसूचित जाति के छूटे		(c)	For meeting additional requirement for			,,,,
(.	हुए लाभार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने के		(•)	release of scholarship for Post Matric			
	लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।			Scholarship for SC students.	8.32		8.32
(E	i) वेतन भुगतान के लिए नगर में विभिन्न विकास		(4)	For releasing Grants-in-aid to the	0.52	•••	0.52
(0	कार्यों के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ को		(u)	Municipal Corporation, Chandigarh for			
	सहायता अनुदान जारी करना।			the payment of Salaries etc. and various			
	सहायता अंगुदान जारा करना।				75.00		75.00
/	1 1		(2)	development works in the city etc.	73.00	•••	/3.00
(6	s.) केंद्र शासित प्रदेश को आपदा कार्रवाई निधि		(e)	For meeting the additional requirement			
	के लिए और कोविड-19 महामारी के कारण			under Other Charges for Disaster			
	व्यय को पूरा करने लिए अन्य प्रभार के			Response Fund for UT and incurring			
	अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के			the expenditure on account of Pandemic	10.50		10.50
	लिए।		(6	COVID-19.	10.50	•••	10.50
(च	, ,		(f)	For releasing Grants-in-aid to Chandigarh			
	अनुरक्षण प्रभार तथा परिवहन विभाग के नगर			City Bus Service for payment of Salaries,			
	वस सेवा समिति के लिए बसों की बीमा के			POL, Comprehensive maintenance			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Total Grant No. & title and description of items Revenue लिए चण्डीगढ़ सिटी बस सर्विस को सहायता charges & Insurance of Buses City Bus अनुदान जारी करना। Services Society of Transport Department. 20.00 20.00 (छ) केविड-19 के कारण लाइसेंस शुल्क में छूट (g) For releasing one time Grants-in-aid for दिए जाने के कारण वेतन व्यय एवं क्षतिपूर्ति CITCO for salary expenses and के लिए सिटको को एक बारगी सहायता compensation due to waiving off अनुदान जारी करना। Licence Fee due to COVID-19. 27.00 27.00 (ज) धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र सेना परिसर तथा (h) For construction of houses in Chandigarh चण्डीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में आवासों Armed complex and Chandigarh Armed का निर्माण। 12.22 Police Complex at Dhanas. 12.22 (झ) मॉडल जेल बुरैल के विभिन्न विकास कार्यों (i) For meeting additional requirement for के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के various development works at Model Jail Burail. 0.33 0.33 (ञ) मनिमाजरा में बिस्तरों वाले अस्पताल के (j) For meeting the additional for various विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त development works of Hospital in आवश्यकता को पूरा करने के लिए। Manimajra, Chandigarh. 2.47 2.47 (ट) मौजुदा ओवर हेडलाइन को 66 केवी भृमिगत (k) For meeting additional requirement for डबल सर्किट में बदलने के लिए अतिरिक्त conversion of existing over headline to 66 आवश्यकता पूरी कने के लिए। नई सड़क KV under double circuit, Construction of तथा लीज़र वैली का लैण्डस्कैप करना और new road, etc. and landscaping in leisure सड़क के किनारे दरारों को भरने के लिए valley and filling up gaps on the roadsides. 11.03 11.03 अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना। (ठ) सरकारी आईटीआई, सेक्टर में निर्माण औ (1) For construction and extension of canteen कैटीन ब्लॉक का विस्तार करने शौचालय block, provision of tailet and Ramp etc. और रैम्प आदि की व्यवस्था करने के लिए at Government ITI Sector and various अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। works of Government ITI for Women. 0.33 0.33 चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए सरकारी आईटीआई के विभिन्न विकास कार्यों के लिए। (ङ) विभिन्न गाँवों और क्षेत्रों में पशु चिकित्सा (m) For various development works of उपकेंद्रों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त Veterinary Sub Centres in various आवश्यकता पूरी करने के लिए। villages and sectors. 0.23 0.23 (ढ) बर्ड पार्क के निर्माण, वन विभाग और विभिन्न अन्य (n) For construction of Bird park, Forest कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। Department and various other works. 2.00 2.00 (ण) चंडीगढ़ में विभिन्न 66 केवी और 11 केवी के विकास (o) For various 66 KV and 11 KV कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। development works in Chandigarh. 6.31 6.31 सीटीयू कारखानों के विभिन्न विकास कार्यों For various development works of C.T.U की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। Workshops. 1.05 1.05 51 दादरा एवं नगर हवेली और दमन और 51 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Din पक्षी अभयारण्य, जामपोर में "पक्षीशाला विहार" For meeting additional requirement for के निर्माण हकेत् अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने construction of Walk in Aviary at Bird के लिए। Sanctuary, Jampore. 8.50 8.50 52. लदाख 52 Ladakh (क) चंग थंग पशमीना उत्पादक सहकारी समिति (a) For releasing Grants-in-aid to Changthang को सहायता अनुदान जारी करने के लिए। Pashima Grower Cooperative Society. 3.00 3.00 (ख) पुलिस विभाग के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के (b) For meeting additional expenditure लिए कपड़े और टेंट के अंतर्गत अतिरिक्त under Clothing and Tentage to purchase व्यय पूरा करने के लिए। 25.70 Uniforms for Police Department. 25.70 (ग) लद्दाख विश्वविद्यालय के लिए ऑन लाइन (c) For releasing Grants-in-aid for कक्षाओं के संचालन हेतू गेस्ट हाऊस engagement of Guest house Facilities स्विधाओं के लिए सहायता अनुदान जारी to conduct online classes for University of Ladakh. 2.20 2.20 (घ) स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाईओं और (d) For meeting additional requirement उपकरणों को खरीदने के लिए आपूर्ति और under supplies and material to purchase समग्री के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी Medicines and equipment for Health करने के लिए। Department. 5.50 5.50 नगर निगम समिति को वेतन के भुगतान के (e) For releasing Grants-in-aid for payment लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए। of salaries to the Municipal committee. 0.32 0.32

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue ग्रीन हाऊस परियोजनाओं अर्थात कृषि विभाग, (च) (f) For providing subsidies for Green House लेह (₹ 18.35 करोड़), कृषि विभाग, करगिल Projects for Agriculture Department Leh (₹ 16.83 करोड़) और बागवानी विभाग (₹0.40 (₹18.35 crore), Agriculture Department करोड़) हेतु सब्सिडियां उपलब्ध कराने के लिए Kargil (₹16.83 crore) and Horticulture अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। Department (₹0.40 crore). 35.58 35.58 पशुओं के लिए चारे और दवाईओं के (छ) (g) For meeting additional requirement for शीतकालीन भंडारण अर्थात पशुपालन विभाग Winter stocking of Fodder and (सब्सिडियों के अंतर्गत ₹ 1 करोड़) और Medicines for Animals i.e. Animal भेड़ पश्पालन विभाग (आपूर्ति और सामग्री Husbandry Department (₹1 crore under के अंतर्गत ₹ 4.52 करोड़) के लिए अतिरिक्त subsidies) and Sheep Husbandry आवश्यकता पूरी करने के लिए। Department (₹4.52 crore under supplies & materials). 5.52 5.52 (ज) एफसीएस और सीए विभाग द्वारा खाद्यान्न (h) For meeting additional requirement की खरीद के लिए अन्य प्रभारों के अंतर्गत towards Other Charges for purchase of अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। food grains. 19.08 19.08 अन्य प्रभार-नया शीर्ष (₹ 121.33 करोड़) के (झ) (i) For meeting additional requirement अंतर्गत विद्युत की खरीद डीजल जनरेटर सेटों के towards (i) Other Charges for purchase संचालन और रखरखाव (₹ 29.97) करोड़-अन्य of power (₹121.33 crore) and for प्रभार) और मरम्मत और रखरखाव के लिए (लघू running and maintenance of DG sets निर्माण कार्यों के अंतर्गत (₹ 5.37 करोड़) के (₹29.97 core) and (ii) Minor Works for लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। repair and maintenance (₹5.37 crore). 156.67 156.67 यांत्रिकी विभाग द्वारा बर्फ हटाने वाली मशीनों (퍼) (j) For purchase of snow clearance machines की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता by Mechanical Department. 50.00 50.00 पुरी करने के लिए। 53. लक्ष्यद्वीप 53 Lakshadweep सफाई कर्मचारियों आदि की मजदुरी/पारिश्रमिक (क) (a) For releasing of Grants-in-aid to के भुगतान के लिए पंचायत को सामान्य सहायता Panchayat for payment of wages अनुदान जारी करने के लिए। remuneration of Swachh workers, etc. 2.63 2.63 (ख) बिजली घर/तेल भंडारण इमारत आदि के (b) For meeting the additional requirement for निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेत् अतिरिक्त construction/re-construction/special repairs आवश्यकता पूरी करने के लिए। 0.20 to power house/oil storage buildings, etc. 0.20 पर्यटन आवास भवनों और संबद्ध सुविधाओं (ग) (c) For meeting the additional requirement आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत for construction/re-construction/special हेत् अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। repairs to tourist accommodations buildings and allied facilities, etc. 6.00 6.00 आवास और शहरी विकास MINISTRY OF HOUSING AND URBAN मंत्रालय **AFFAIRS** 57. आवास और शहरी विकास मंत्रालय 57 Ministry of Housing and Urban Affairs सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (i) (क) (a) For meeting expenditure towards (i) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) Grants-in-aid General for Public Health प्रशिक्षण स्कीम (₹ 0.15 करोड़) (ii) पूंजीगत Engineering (PHE) training scheme आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत (₹0.15 crore) (ii) Grants for Creation पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाएं of Capital Assets for Other Projects in (₹ 0.01 करोड़)। 0.16 NER (₹0.01 crore). 0.16 (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान के (b) For meeting expenditure towards अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य Grants for Creation of Capital Assets परियोजनाओं की लंबित देनदारियों की मंजूरी to clear pending liabilities of Other हेत् नए शीर्ष खोलने के लिए। projects in NER. 18.55 18.55 निम्नलिखित नए शीर्षों को खोलने के लिए (ग) (c) For meeting expenditure towards (i) (i) प्रकाशन के अंतर्गत लाभार्थी परिचय Publication for Beneficiary Parichay कार्ड (₹ 37.50 करोड़) (ii) सामान्य सहायता Cards (₹37.50 crore) (ii) Grants-in-aid अनुदान के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक General for Socio-Economic Profiling प्रोफाइलिंग (₹ 12.63 करोड़) (₹12.63 crore) and (iii) Professional Services for Socio-Economic Profiling व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक-(₹1.50 crore). 51.63 51.63 आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 1.50 करोड़)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue (ਬ) मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत कॉमन केंद्रीय (d) For meeting expenditure on Major Works सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि की खरीद for purchase of land for construction of हेत् व्यय को पूरा करने के लिए। Common Central Secretariat. 61.00 61.00 मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 58. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग 58 Department of School Education and Literacy (क) अनुदान सहायता जनरल (वस्तु हेड-31) की (a) For meeting expenditure towards (i) योजना (i) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन Grants-in-Aid General under the (सीटीएसए) (₹ 10.90 करोड़) केन्द्रीय Schemes Central Tibetan School विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 1605.80 Administration (₹10.90 crore), करोड़), शिक्षा अनुसंघान और प्रशिक्षण (नेशनल Kendriya Vidyalaya Sangathan काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी) (₹ 84.92 (₹1,605.80 crore), National Council of करोड़), समग्र शिक्षा (₹ 17 करोड़) (ii) नवोदय Education Research & Training (₹84.92 विद्यालय संगठन एनवीएस) (₹ 852 करोड़), crore), Samagra Shiksha (₹17 crore), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) योजना Navodaya Vidyalaya Sangathan (₹852 में, सहायता वेतन में एनवीएस (₹ 1970 crore), Padhna Likhna Abhiyan (₹5 करोड़), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 2324.38 crore) (ii) Grants-in-Aid Salary under करोड़) और राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.24 NVS (1,970 crore), KVS (₹2,324.38 करोड़) (iii) राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम crore), National Bal Bhawan (₹0.24 और परिणाम को मजबूत करने की योजना में crore) (iii) Advertising and Publicity विज्ञापन और प्रचार (एसटीएआरएस) (₹ 1 under the scheme of STARS (₹1 crore) करोड़) (iv) स्टार्स योजना में व्यावसायिक (iv) Professional Services under the सेवाएं (₹ 19.50 करोड़) (ii) पढ़ना लिखना Scheme STARS (₹19.50 crore) and अभियान (₹ 5 करोड़) और योजना (v) में Padhna Likhna Abhiyan (₹5 crore) and पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन के लिए 5. (v) Grants for Creation of Capital Assets अनुदान एनवीएस (₹ 568 करोड़), केन्द्रीय under the Schemes NVS (₹568 crore), विद्यालय संगठन (₹ 270.50 करोड़), (ग) KVS (₹270.50 crore), NCERT (₹5 एनसीईआरटी (₹ 5 करोड़), सीटीएसए (₹ 1 crore), CTSA (₹1 crore), Samagra करोड़) और (v) समग्र शिक्षा (₹ 25.84 करोड़)। 7766.08 Shiksha (₹25.84 crore). 7,766.08 (ख) सामान्य सहायता अनुदान (i) योजना में केन्द्रीय (b) For meeting expenditure towards (i) विद्यालय संगठन (₹ 193.50 करोड़), मध्याह्न Grants-in-Aid General under the भोजन (एमडीएम) (₹ 35 करोड़), समग्र शिक्षा Schemes KVS (₹193.50 crore), MDM (₹ 2785.40 करोड़), एनवीएस (₹ 20 करोड़), (₹35 crore), Samagra Shiksha (₹2,785.40 पढ़ना लिखना अभियान (₹ 10.26 करोड़) (ii) crore), NVS (₹20 crore), Padhna Likhna योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन Abhiyan (₹10.26 crore) (ii) Grants for के लिए अनुदान (i) एनवीएस (₹ 40 करोड़), Creation of Capital Assets under the समग्र शिक्षा (₹ 145.68 करोड़) और केन्द्रीय Schemes NVS (₹40 crore), Samagra विद्यालय संगठन (₹ 4.50 करोड़) और (iii) Shiksha (₹145.68 crore), KVS (₹4.50 योजना के तहत सहायता वेतन में अनुदान (i) crore) and (iii) Grants-in-Aid Salary केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 39 करोड़) और under the scheme KVS (₹39 crore) and एनवीएस (₹ 30 करोड़)। NVS (₹30 crore). 3,303.34 3303.34 (ग) (i) इंटर खाता स्थानांतरण प्रारंभिक शिक्षा (c) For (i) Inter Account Transfer to कोष (₹ 3187.88 करोड़) (ii) अनुदान Prarambhik Shiksha Kosh (₹3,187.88 सहायता जनरल एमडीएम योजना में crore) (ii) Grants-in-Aid General under (₹2806.84 करोड़), शिक्षा योजना के the Schemes MDM (₹2806.84 crore), लिए मदरसों/अल्पसंख्यक (₹ 90.22 Education Scheme for Madrassas/ करोड़), स्टार्स (₹ 74.39 करोड़), समग्र Minorities (₹90.22 crore), STARS शिक्षा (₹ 832.37 करोड़), पढ़ना लिखना (₹74.39 crore), Samagra Shiksha अभियान (₹ 62.58 करोड़) और निर्माण (₹832.37 crore), Padhna Likhna के लिए अनुदान (iii) स्टार्स योजना में Abhiyan (₹62.58 crore) and (iii) Grants कैपिटल एसेट के (₹ 16.90 करोड़), for Creation of Capital Assets under the समग्र शिक्षा (₹ 142.60 करोड़) और Schemes STARS (₹16.90 crore),

						(करो	ड़ रुपए Rupee	es in Crore)
अनुद	शन सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant l	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
		एमडीएम (₹ 43.27 करोड़)।			Samagra Shiksha (₹142.60 crore),			
					MDM (₹43.27 crore).	7,257.05		7257.05
	(ਬ)	(i) अनुदान सहायता जनरल एमडीएम योजना		(d)	For (i) Grants-in-Aid General under the			
		(₹ 80 करोड़) समग्र शिक्षा (₹ 98.03			Schemes MDM (₹80 crore), Samagra			
		करोड़), पढ़ना लिखना अभियान (₹ 2.41			Shiksha (₹98.03 crore) and Padhna Likhna			
		करोड़) और (ii) समग्र शिक्षा की योजना में			Abhiyan (₹2.41 crore) and (ii) Grants for			
		पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए			Creation of Capital Assets under the			
		अनुदान (₹ 90 करोड़)।			Scheme Samagra Shiksha (₹90 crore)	270.44		270.44
59		। शिक्षा विभाग	59	Dej	partment of Higher Education			
	(ক)	9		(a)	For meeting expenditure towards (i)			
		(i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 85.84			Grants-in-aid General under the			
		करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता			following schemes to Central			
		(₹ 48.95 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों			Universities (₹85.84 crore), Support to			
		(एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता			Indian Institutes of Technology (₹48.95			
		(₹ 10 करोड़), विश्विद्यालय अनुदान आयोग			crore), Support to National Institutes of			
		के लिए समर्थन यूजीसी (₹ 35 करोड़), सहित			Technology (NITs) and IIEST (₹10			
		अन्य संस्थानों को सहायता एसएलआईईटी,			crore), Support to University Grants			
		एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची,			Commission (UGC) (₹35 crore),			
		सीआईटी कोकराझार (₹ 8.92 करोड़), प्रधानमंत्री			Assistance to other institutes including			
		रिसर्च फेलोशिप (₹ 1.50 करोड़)। (ii)			SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT			
		निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत			Kokrajhar (₹8.92 crore) and PM			
		परिसंपत्तियों के निमार्ण के लिए अनुदान : प्रौद्योगिकी			Research Fellowship (₹1.50 crore) (ii)			
		(के राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन एनआईटी)			Grants for Creation of Capital assets to			
		और आईआईईएसटी (₹ 87 करोड़), सहित			Support to National Institutes of			
		अन्य संस्थानों को सहायता एसएलआईईटी,			Technology (NITs) and IIEST (₹87			
		एनईआरआईएसटी, एआईएफएपटी रांची,			crore) and Assistance to other Institutes			
		सीआईटी कोकराझार (₹ 5.20 करोड़) (iii)			including SLIET, NERIST, NIFFT			
		निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान सहायता			Ranchi, CIT Kokrajhar (₹5.20 crore)			
		वेतन : केंद्रीय विश्वविद्यालयों (₹ 24 करोड़) के			and (iii) Grants-in-aid Salaries to Grants			
		लिए अनुदान करोड़, सहित अन्य संस्थानों को			to Central Universities (₹24 crore) and			
		सहायता एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी,			Assistance to other institutes including			
		एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार			SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT			
		(₹ 11.70 करोड़)।			Kokrajhar (₹11.70 crore).	318.11		318.11
	(रव)	राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान के लिए		(b)	For meeting expenditure towards Grants	510.11	•••	210.11
	()	पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के		(0)	for Creation of Capital Assets for			
		लिए व्यय को पूरा करना।			Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan.	0.84		0.84
	(1J)			(c)	For meeting expenditure towards Major	0.04	•••	0.04
	(')	क्षेत्रीय भाषा केंद्र के लिए मुख्य कार्यों हेतु		(0)	Works for Central Institute of Indian			
		व्यय को पूरा करना।			Languages, Mysore and Regional			
		ज्ययं यम यूरा यम्राम			Language Centers.		2.00	2.00
					Language Conters.	•••	2.00	2.00
ज्ञल	शनि	क मंत्रालय	MII	VIC	ΓRY OF JAL SHAKTI			
61		संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण			partment of Water Resources, River			
0.	विभा		OI.		velopment and Ganga Rejuvenation			
		नदी जल विवाद अधिग्रहण (एमडब्ल्यूडीटी)			For meeting expenditure towards			
	(47)	के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के अतिरिक्त		(a)	Professional Services under Mahadayi			
		व्यय को पूरा करना।			Water Disputes Tribunal.	0.04		0.04
	(ਹਰ)	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम		(h)	For release of Grants-in-aid Salaries to	0.04	•••	0.04
	(u)			(0)				
		के अंतर्गत एनईआरआईडब्लयूएएलएम के			North Eastern Regional Institute of			
		लिए वेतन सहायता अनुदान जारी।			Water and Land Management under the			
					scheme Human Resource Development	0.05		0.05
	<i>(</i>)	~		, .	Capacity Building.	0.85		0.85
	(ग)	अतुल भूजल योजन (ईएपी कार्यक्रम) (₹ 25.01		(c)	For 1. Atal Bhujal Yojana (EAPProgramme)			
		करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			(₹25.01 crore) 2. payment of interest for			

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	K UKAN13		(XX1X)
		(करो	ड़ रुपए Rupee:	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान (₹ 150 करोड़) और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों के नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान (₹ 155 करोड़)। श्रम और रोजगार मंत्रालय	NABARD loan to (i) National Water Development Agency (NWDA) under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) (₹150 crore) and (ii) States under PMKSY (₹155 crore). MINISTRY OF LABOUR AND	330.01		330.01
(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए। (ख) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए और (ii) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस),	EMPLOYMENT 63 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana. (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (₹100 crore) and (ii) Contribution under	900.00		900.00
1995' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 73 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ग) राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	the scheme Employees Pension Scheme (EPS), 1995 (₹73 crore). (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Career Services.	173.00 0.42		173.00 0.42
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (क) विपदग्रस्त आस्ति निधियां' स्कीम के अंतर्गत अंशदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 652.88 करोड़) और खादी विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 80.33 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (ii) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (iii) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण - ईएपी घटक' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.71 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (या करने के लिए।	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting expenditure towards Contribution under the scheme Distressed Assets Funds. (b) For meeting expenditure towards (i) Subsidies under the schemes 'Credit linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme (₹652.88 crore) and 'Khadi Vikas Yojana' (₹80.33 crore) (ii) Grant-in-aid Salary (₹10 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building and (iii) Grant-in-aid General (₹8.71 crore) under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building. EAP Component.	130.41 751.92		130.41 751.92
खान मंत्रालय 68 खान मंत्रालय भारत स्वर्ण खान लिमिटेड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF MINES 68 Ministry of Mines For meeting expenditure towards Grants-in- aid General under the scheme Bharat Gold Mines Ltd.	1.50		1.50
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 69 Ministry of Minority Affairs For meeting additional funds towards Grants-in-aid General under the scheme Hamari Dharohar.	2.20		2.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE मंत्रालय **ENERGY** 70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 70 Ministry of New and Renewable Energy सौर-विद्युत (ऑफ-ग्रिड) (₹ 75.00 वनरोड़), For providing (i) Grants for Creation of Capital अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप ((अनुसंधान Assets under the schemes Solar Power (Off-grid) और विकास) (₹ 18.00 करोड़) और राष्टीय जैव (₹75 crore), Research and Development Activities ऊर्जा संस्थान (₹ 0.41 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत (Research and Development) (₹18 crore) and पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। National Institute of Bio Energy (₹0.41 crore) and अनुसंधान और विकास (₹ 11.00 करोड़) और (ii) Grant-in-aid General for Research and राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (₹ 0.94 करोड़) स्कीमों Development Activities under the scheme के अंतर्गत अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों Research and Development) (₹11 crore) and के लिए सामान्य सहायता अनुदान। National Institute of Bio Energy (₹0.94 crore). 105.35 105.35 पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 71. पंचायती राज मंत्रालय Ministry of Panchayati Raj (i) पंचायतों को प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत सामान्य For providing (i) Grants-in-aid General सहायता अनुदान (₹ 3.18) करोड़)। (ii) विज्ञापन under the scheme Incentivisation of और प्रचार स्कीम के अंतर्गत समाचार पत्रिकाओं Panchayat (₹3.18 crore) and (ii) additional के मुद्रण और प्रकाशनों को जारी करने के लिए funds to meet expenditure towards printing व्यय पूरा करने हेत् अतिरिक्त निधियां प्रदान करने and Advertising and Publications of News के लिए (₹ 2.50 करोड़)। Magazines under the scheme Advertising and Publicity (₹2.50 crore). 5.68 5.68 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC मंत्रालय **GRIEVANCES AND PENSIONS** 73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन 73 Ministry of Personnel, Public Grievances मंत्रालय and Pensions (क) राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण के लिए अनुदान। (a) For providing grants to National 1.00 1.00 Recruitment Agency. (ख) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), (b) For meeting expenditure towards वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और Grants-in-aid General (₹2 crore), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान Grants-in-aid Salaries (₹1 crore) and (₹ 7 करोड़) के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन Grants for Creation of Capital Assets संस्थान (आईआईपीए)। (₹7 crore) for Indian Institute of Public Administration (IIPA). 10.00 10.00 (ग) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत सचिवालय प्रशिक्षण (c) For augmentation of Training Facilities -और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में प्रशिक्षण at Institute of Secretariat Training and सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए आईएसटीएम Management (₹10 crore) and purchase of के लिए (₹ 10 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्यों land & construction of building for के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) various benches of Central Administrative के विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद तथा Tibunal (₹10 crore) under Major Works. 20.00 20.00 भवनों का निर्माण (₹ 10 करोड़)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND **NATURAL GAS** 75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 75 Ministry of Petroleum and Natural Gas 1. (i) एलपीजी हेत् पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य For providing 1. additional funds for सब्सिडी (₹ 40.79 करोड़) (ii) परियोजना प्रबंधन Subsidies under (i) Other subsidy payable व्यय (₹ 22.64 करोड़) और (iii) बीसीपीएल/ including NER for LPG (₹40.79 crore) (ii) असम गैस क्रैकर परिसर को फीडस्टॉक सब्सिडी Project Management expenditure (₹22.64 (₹ 1700 करोड़) के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए crore)and (iv) Feedstock subsidy to BCPL/ अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए। 2. रणनीतिक Assam Gas Cracker Complex (₹1,700 crore) कच्चा तेल भंडार (ओएण्डएम) के लिए 2. Grants-in-aid General under the scheme आईएसपीआरएल को भुगतान स्कीम के अंतर्गत payment to ISPRL for Strategic Crude Oil सामान्य सहायता अनुदान (₹ 23.24 करोड़)। Reserve (₹23.24 crore) and 3. Grants for 3(i) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान Creation of Capital Assets under (i) Indian

Institute of Petroleum Energy, Vishakhapatnam

(आईआईपीई), विशाखापट्टनम (₹ 250 करोड़)

जानुवासा वर्ग वृश्वर सार्ग,	2020-2021 SULL EMENTAR LIDEMANDS FO			(AXAI)
			रोड़ रुपए Ruped पूंजी	es in Crore) जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	Capital	Total
(ii) ऊर्जा के उत्कृष्टता केन्द्र, बेंगलुरू की स्थापना (₹ 30 करोड़) (iii) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना (₹ 5 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(₹250 crore) (ii) Establishment of Centre of Excellence for Energy, Bengaluru (₹30 crore) (iii) Establishment of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT), Assam (₹5 crore).	2,071.67		2,071.67
विद्युत मंत्रालय 77. विद्युत मंत्रालय एकीकृत विद्युत विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For providing additional funds for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Integrated Power Development Fund.	130.00		130.00
राष्ट्रपति, संसदीय, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice President			
79 लोक सभा सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	79 Lok Sabha For meeting additional expenditure on subsidies.	0.75		0.75
रेल मंत्रालय 83 रेल मंत्रालय संबंधित संसाधन अंतराल के लिए (i) विशेष ऋण' के रूप में ₹ 63000 करोड़ और (ii) लोक लेखा के 2019-20 में प्रतिकूल शेष राशि के परिसमापन हेतु ₹ 16,398 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF RAILWAYS 83 Ministry of Railways For providing a loan (i) as 'Special Loan for COVID related resource gap' (₹63,000 crore) and (ii) towards liquidating adverse balance occurred in Public account in 2019-20 (₹16,398 crore).		79,398.00	79,398.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
मंत्रालय सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) "गौण कार्यों" ₹134 करोड़ तथा केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि (सीआईआरएफ) को "अंतरलेखा अंतरण" (₹134 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय (ख) (i) प्रतिपूर्ति योग्य सलाहकार सेवाओं (₹ 10 करोड़) के लिए व्यावसायिक सेवाएं (ii) नेशनल	HIGHWAYS 84 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting additional expenditure under Minor Works (₹134 crore) and Inter Account Transfer to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹134 crore). (b) For meeting expenditure (i) towards Professional Services for Reimbursement	268.00		268.00
कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (₹10 करोड़) के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करना।	Advisory Services (₹10 crore) and (ii) release of Grants-in-aid General to implement National Common Mobility Card (NCMC) (₹10 crore).	20.00		20.00
खनिज विकास मंत्रालय 85 खनिज विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ब्याज सबवेंशन के लंबित दावों के समायोजन हेतु अतिरिक्त आबंटन भूमि संसाधन विभाग 86 भूमि संसाधन विभाग	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 85 Department of Rural Development For additional allocation for settlement of pending claims of Interest Subvention under the scheme National Rural Livelihood Mission. 86 Department of Land Resources (a) For providing additional allocation for	350.00		350.00
(क) नवोन्मेष विकास के माध्यम से कृषि नमनीयता हेतु जलविभाजकों को पुनरुज्जीवित (रिवार्ड) करने के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना। (ख) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता	Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD). (b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Digital India Land	1.50		1.50
अनुदान।	Records Modernization Programme.	20.94		20.94

					ड़ रुपए Rupees	जोड़
अनु	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जाड़ Total
विइ	ान और प्रौद्योगिकी विभाग		NISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
37	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		Department of Science and Technology			
	(i) पूँजी आस्ति के सृजनार्थ अनुदान' के अंतर्गत		For meeting additional expenditure towards			
	₹72.00 करोड़ रूपये और स्वायत्त संस्थाओं और		(i) Grants for creation of capital Assets for			
	(ii) व्यावसायिक निकायों हेतु सहायता अनुदान		Science and Engineering Research Board			
	₹43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने		(₹72 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for			
	के लिए।		Autonomous Institutions and Professional			
			Bodies (₹43 crore).	115.00		115.00
	हन मंत्रालय		NISTRY OF SHIPPING			
90	नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping			
	प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशक		For providing additional funds for General			
	(डीजीएलएल) की सामान्य प्रारक्षित निधि को		Reserve Fund of Director General of Light			
	अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।		Houses & Light Ship.	56.99		56.99
តាំ៖	गल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		NISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		Ministry of Skill Development and Entrepreneuship			
	कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता		For meeting expenditure towards (i) Grants-			
	अनुदान (₹ 105 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के		in-aid General (₹105 crore) under the			
	लिए और प्रशिक्षुता का संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत		scheme Development of Skills and (ii)			
	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों (₹ 26.28 करोड़) हेतु		Scholarship/Stipends (₹26.28 crore) under			
	व्यय पूरा करने के लिए।		the scheme Promotion of Apprenticeship.	131.28		131.28
साम	ाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
00	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		EMPOWERMENT			
92	सामाजिक न्याय और आधकारिता मत्रालय	92	Department of Social Justice And Empowerment			
	(क) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता		(a) For meeting expenditure towards (i)			
	अनुदान (i) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता		Grants-in-aid General under the schemes			
	संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना (लघु शीर्ष		Pradhan Mantri Dadshta Aur Kushalta			
	789 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए		Sampann Higrahi (PM-DAKSH) Yojana			
	₹27.71 करोड़ और लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत		(₹27.71 crore for SCs and ₹22.29 crore			
	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए ₹ 22.29		for OBCs/EBCs/DNTs) and Assistance			
	करोड़) 2. अनुसूचित जनजातियों के लिए		to Voluntary Organisation for SCs (₹25			
	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 25 करोड़)		crore) (ii) Grants for Creation of Capital			
	(ii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के		Assets under scheme of Babu Jagjivan			
	क अत्रवात पूजावत आस्तिया के सृजिन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) विदेश में		Ram Chhatrawas Yojna (₹2 crore) and			
	अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य		(iii) Scholorship/Stipend under the scheme Scholarship of students of SCs			
	वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कीम के		and other categories for studies abroad			
	अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (₹ 10 करोड़)।		(₹10 crore).	87.00		87.00
	(ख) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य		(b) For meeting expenditure towards	07.00	•••	07.00
	सहायता अनुदान 1. वरिष्ठ नागरिकों के		Grants-in-aid General under the			
	लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना हेतु		schemes (i) National Institute of Social			
	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 28		Defence for setting up of National			
	करोड़) 2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (₹ 26.50		Helpline for Senior Citizens (₹28 crore)			
	करोड़) 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय		(ii) Rashtriya Vayoshri Yojana (₹26.50			
	•		crore) (iii) National Action Plan for			
	कार्रवाई योजना (₹ 34.70 करोड़) 4. औषधि		crore) (III) National Action Fiant for			
	कार्रवाई योजना (₹ 34.70 करोड़) 4. औषधि मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई		Senior Citizens (₹34.70 crore) and for			

जनुपाना येन पूर्यन मान,	2020-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	K OKANIS		(XXX111)
		(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग 94 अंतरिक्ष विभाग (क) सेमी कंडक्टूर लेबोरेटरी (₹ 8.00 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थीन (₹ 4.00 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (₹43 करोड़), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	DEPARTMENT OF SPACE 94 Department of Space (a) For meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid Salaries to Semi-Conductor Laboratory (₹8 crore) Indian Institute of Space Science & Technology (₹4 crore) (ii) Grants-in-aid General to Semi- conductor Laboratory (₹43 crore) and National Atmospheric Research Laboratory	55 50		55 50
(ख) "पूंजीगत" खंड के तहत, भू-प्रतिबिंबन उपग्रह (जीसैट) (₹ 16 करोड़), रेडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट)-1ए. (₹ 1 करोड़), ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टैर संयंत्र (₹ 13 करोड़), जी. एस. एल. वी. मार्क-III सातत्यर परियोजना (₹ 2 करोड़), लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस. एस. एल. वी.) विकास परियोजना (₹ 3 करोड़), जीसैट-20 उपग्रह (₹ 95 करोड़), समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच. एस. एफ. सी.) (₹ 2 करोड़) जैसे उप शीर्षों के मशीनरी एवं उपकरणों के लिए; ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी. एस. एल. वी.) सातत्यो परियोजना (₹ 7 करोड़), चंद्रयान-III (₹ 4 करोड़), इसरो नोदन कॉम्ले. तक्स (आई. पी. आर. सी.) के आवासीय कार्य (₹ 1 करोड़) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यारलय (इसरो मु.) (₹ 2 करोड़) के मुख्य कार्यों के लिए।	(₹0.50 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments for Geo-Imaging Satellite (₹16 crore), Radar Imaging Satellite -1A (₹1 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (₹13 crore), GSLV Mk-III Continuation Project (₹2 crore), Small Satellite Launch Vehicle Development Project (₹3 crore), GSAT-20 Satellite (₹95 Crore), Human Spaceflight Centre (₹2 crore) and (ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Continuation Project (₹7 crore), Chandrayaan-III (₹4 crore), Housing Works of ISRO Propulsion Complex (₹1 crore) and Indian Space Research Organisation Headquarters (₹2 crore).	55.50	146.00	55.50 146.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			110.00	1 10.00
95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (1) आर्थिक जनगणना (₹ 88.33 करोड़) (2) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़) और आर.सी बोस क्रिप्टो	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 95 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting additional Expenditure for (1) Economic Census (₹88.33 crore) (2) For releasing (i) Grants-in-aid Salaries to Indian			
विज्ञापन और सुरक्षा (र 1 करोड़) जारी करने के लिए तथा आर.सी बोस क्रिप्टो विज्ञापन और सुरक्षा को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 3 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Statistical Institute, Kolkata (₹31 crore), R. C. Bose Cryptology and Security (₹1 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to R. C. Bose Cryptology and Security (₹3 crore).	123.33		123.33
कपड़ा मंत्रालय 97 कपड़ा मंत्रालय (i) मूल्य योजना के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 700 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए अन्य (ii) (टीआरए,सीओपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (iii) "वस्त्र आयुक्त" स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों (₹ 0.98 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF TEXTILES 97 Ministry of Textiles For meeting expenditure towards (i) Subsidies under Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme (₹700 crore) (ii) Grants-in-aid General under the scheme Others (TRAs, COP) (₹0.50 crore) and (iii) Minor Works under the scheme Textile	701 49		701 40
पर्यटन मंत्रालय 98 पर्यटन मंत्रालय "आई.एच.एम.ए/एफ.सी.आई./ आई.आई.टी.टी.एम./	Commissioner (₹0.98 crore). MINISTRY OF TOURISM 98 Ministry of Tourism For providing Grants-in-aid General to	701.48		701.48
जाइ.एव.एव.एव.एव. एन.आईडब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	Institutes to Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition.	1.05		1.05

		<i>(क</i> र	गेड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय 99 जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (₹ 2.76 करोड़) (त्तं) जनजातीय त्यौहार, अनुसंघान सूचना और जन शिक्षा (₹ 2 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तिष्ट स्कीम के अतंर्गत छात्रवृत्ति (₹ 20 करोड़)।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 99 Ministry of Tribal Affairs For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Scholarship to the ST student for studies abroad (₹2.76 crore) (ii) Tribal Festival, Research information and mass Education (₹2 crore) 2. Scholarship under the scheme National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST students (₹20 crore).	24.76		24.76
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए।	100 Ministry of Women and Child Development For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Anganwadi Services.	59.76		59.76
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
(क) निम्नलिखत रकीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (सामान्य रहायता अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (सामान्य रहा.71 करोड़ और स्वच्छ्ता कार्य योजना र 0.50 करोड़), (2) राष्ट्रिय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (र 6.47 करोड़), निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (६) अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (र 3.00 करोड़) और भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (र 3.00 करोड़)। (1) नेहरु युवा केंद्र संगठन (र 14.75 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान र 0.85 करोड़), (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (र 85.00 करोड़), (4) लक्ष्मीबाइ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (र 1.00 करोड़) और (5) राष्ट्रिय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपतियों की रचना के लिए अनुदान (र 2.50 करोड़) अर्जुन पुरुस्कार के अंतर्गत अन्य प्रभार (र 0.30 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Sports Authority of India (General ₹8.71 crore and Swachhta Action Plan ₹0.50 crore) and National Dope Test Laboratory (₹6.47 crore) (ii) Sports Authority of India (under SC component ₹3 crore and ST component ₹3 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹14.75 crore), Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹0.85 crore), Sports Authority of India (₹85 crore), Laxmibai National Institute of Physical Education (₹1 crore) and National Dope Test Laboratory (₹2 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Dope Test Laboratory (₹2.50 crore) and Ohter Charges under the scheme Arjuna Award (₹0.30 crore).	128.08		128.08
(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) और भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2 crore) and Grants-in-aid Salary (₹10 crore) under	120.00		120.00
सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत मुख्य कार्य।	the scheme Sports Authority of India. (c) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Youth Hostel.	12.00	1.00	12.00
कुल सांकेतिक	Total Token	1.09	0.42	1.51
कुल योग	GRAND TOTAL	4,57,894.62	1,70,485.37	6,28,379.99
निवल नकद व्यय तकनीकी पूरक सांकेतिक पूरक	Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary	3,79,689.00 78,204.53 1.09	32,964.48 1,37,520.47 0.42	4,12,653.48 2,15,725.00 1.51

विषय सूची CONTENTS

						•	^ह करोड़ in ₹	,
ग्रांग	संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	6		पृष्ट Page
					Kevenue	Сариа	ai ivial	r age
कृषि	एवं किसान		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कल्याण मंत्रालय		FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान	0	1. Department of Agriculture, Cooperation and					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत	Farmers' Welfare	Voted	0.03		0.03	1
2.	कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	0.02		0.02	2
परमा	णु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	3
आयुर	दि, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,	, यूनानी,	MINISTRY OF AYURVEDA,					
	सिद्ध तथा होम्योपैथी		YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,					
	(आयुष) मंत्रालय		SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUS	H)				
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित	सा,	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,					
	यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपेथी		Unani, Siddha and					
	(आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	4-5
रसार	न और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTIL	ISERS				
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	3.64		3.64	6
6	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilisers	Voted	64598.30	813.23	65411.53	7
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	136.82		136.82	8
नागर	विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	286.56	28.00	314.56	9
कोय	ना मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	10
वाणि	ज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUST	RY				
10.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	0.01		0.01	11
11.	उद्योग तथा आंतरिक व्यापार		11. Department for Promotion of					
	संवर्धन विभाग	स्वीकृत	Industry and Internal Trade	Voted	1649.12		1649.12	12
दूरसं	चार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
13.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	0.01	0.01	0.02	13
उपभं	क्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	3759.12		3759.12	14
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग		15. Department of Food and Public Distribution	Voted	304557.83		304557.83	15
संस्कृ	ति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01		0.01	16
रक्षा	मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18.	रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	18. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.18		0.18	17
		स्वीकृत		Voted	0.01	799.00	799.01	
19.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	19. Defence Services (Revenue)	Voted	0.05		0.05	18
20.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	20. Capital Outlay on Defence Services	Charged		159.50	159.50	19
		स्वीकृत		Voted		20466.50	20466.50	
21.	रक्षा पेंशन	भारित	21. Defence Pensions	Charged	1.41		1.41	20
पश्ती	विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES	, and				
,,,								

						(₹	करोड़ in रै	crore)
					राजस्व	। पूंजी	ी जोड़	पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue			Page
इलैंद	म्ट्रोनिकी और सूचना		MINISTRY OF ELECTRONICS AND					
	प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY					
24.	इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगि	क्री	24. Ministry of Electronics and					
	मंत्रालय	स्वीकृत	Information Technology	Voted	0.03		0.03	22
पर्याव	वरण, वन और जलवायु	C	MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
	परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर	र्तन	25. Ministry of Environment, Forests and					
	मंत्रालय	स्वीकृत	Climate Change	Voted	0.01		0.01	23
विदेः	रा मंत्रालय	· ·	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26.	विदेश मंत्रालय		26. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	24
वित्त	मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	2979.48	0.03	2979.51	25-26
28.	व्यय विभाग	स्वीकृत	28. Department of Expenditure	Voted	0.01		0.01	27
29.	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	5473.60	0.02	5473.62	28-29
31.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	31. Department of Revenue	Voted	280.90		280.90	30
32.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted		0.01	0.01	31
33.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	33. Indirect Taxes	Voted		0.02	0.02	32
34.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	0.01		0.01	33
37.	पेंशन	स्वीकृत	37. Pensions	Voted	981.58		981.58	34
38.	राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States	Charged		7025.00	7025.00	35
		स्वीकृत		Voted		122208.00	122208.00	
मत्स	पपालन, पशुपालन और		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
	डेरी कार्य मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING					
39.	मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39. Department of Fisheries	Voted	92.00	0.01	92.01	36
40.	पशुपालन और डेरी		40. Department of Animal					
	कार्य विभाग	स्वीकृत	Husbandry and Dairying	Voted	0.03		0.03	37
खाद्य	। प्रसंस्करण उद्योग		MINISTRY OF FOOD					
	मंत्रालय		PROCESSING INDUSTRIES					
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.04		0.04	38
स्वार	थ्य एवं परिवार		MINISTRY OF HEALTH AND					
	कल्याण मंत्रालय		FAMILY WELFARE					
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग		42. Department of Health and Family Welfare	Voted	21227.72	1497.27	22724.99	39-43
	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	0.01		0.01	44
भारी	उद्योग और लोक		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
	उद्यम मंत्रालय		AND PUBLIC ENTERPRISES					
	भारी उद्योग विभाग		44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	45
गृह	मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46.	C	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted		30.85	30.85	46
47.		स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	100.84		100.84	47
48.	पुलिस	भारित	48. Police	Charged	23.79		23.79	48
				Voted	0.01	0.01	0.02	
49.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.05	0.06	0.11	49-50
50.		स्वीकृत	50. Chandigarh	Voted	0.07	0.09	0.16	51-52
51.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं व	-	51. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted		0.01	0.01	53
52.	लद्मख	स्वीकृत	52. Ladakh	Voted	0.09	0.01	0.10	54-55
53.	==	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	0.02	0.03	56
54.	दिल्ली को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Delhi	Voted	149.99		149.99	57
आव	ासन और शहरी		MINISTRY OF HOUSING AND					
	कार्य मंत्रालय		URBAN AFFAIRS					
57.	आवासन और शहरी		57. Ministry of Housing		1005		1000	= 0 ==
	कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	and Urban Affairs	Voted	10000.03	0.01	10000.04	58-59

(₹ करोड़ in ₹crore) पुंजी जोड राजस्व पुष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital **Total** Revenue **Page** मानव संसाधन विकास MINISTRY OF HUMAN RESOURCE मंत्रालय DEVELOPMENT स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत 0.04 58. Department of School Education and Literacy Voted 0.04 60-61 ... उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 0.01 4661.10 59. Department of Higher Education 4661.09 Voted 62-63 जल शक्ति मंत्रालय MINISTRY OF JAL SHAKTI 61. जल संसाधन, नदी विकास 61. Department of Water Resources, River और गंगा संरक्षण विभाग स्वीकृत Voted 0.03 0.03 Development and Ganga Rejuvenation 64 पेयजल एवं स्वच्छता 62. 62. Department of Drinking विभाग स्वीकृत Water and Sanitation Voted 3249.64 3249.64 65-66 श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 63. श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत 63. Ministry of Labour and Employment Voted 0.030.03 67 विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE विधि और न्याय स्वीकृत 64. Law and Justice Voted 10.00 86.00 96.00 68 निर्वाचन आयोग स्वीकृत 5.00 65. Election Commission Voted 5.00 69 भारत का उच्चतम न्यायालय भारित 19.39 19.39 70 66. Supreme Court of India Charged सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL AND मंत्रालय MEDIUM ENTERPRISES 67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 67. Ministry of Micro, Small and मंत्रालय स्वीकृत Medium Enterprises Voted 0.02 500.00 500.02 71 खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES 68. खान मंत्रालय 68. Ministry of Mines Voted 0.01 0.01 72 MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 69. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत 69. Ministry of Minority Affairs Voted 0.01 0.01 73 नवीन तथा नवीकरणीय MINISTRY OF NEW AND ऊर्जा मंत्रालय RENEWABLE ENERGY 70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत 70. Ministry of New and Renewable Energy 0.01 118.00 118.01 74 Voted पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 71. पंचायती राज मंत्रालय 71. Ministry of Panchayati Raj Voted 0.01 0.01 75 कार्मिक, लोक शिकायत और MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC पेंशन मंत्रालय GRIEVANCES AND PENSIONS 73. कार्मिक, लोक शिकायत और 73. Ministry of Personnel, Public पेंशन मंत्रालय स्वीकृत Grievances and Pensions Voted 69.31 1.47 70.78 76-77 पेट्रोलियम और प्राकृतिक MINISTRY OF PETROLEUM गैस मंत्रालय AND NATURAL GAS पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत 0.01 75. 75. Ministry of Petroleum and Natural Gas Voted 0.01 78 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 76. योजना मंत्रालय स्वीकृत 76. Ministry of Planning 120.00 120.00 79 Voted विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 77. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत Voted 403.51 403.51 77. Ministry of Power 80-81 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक The President, Parliament, Union सेवा आयोग और **Public Service Commission and the** उप-राष्ट्रपति का Secretariat of the सचिवालय Vice President 79. लोक सभा स्वीकृत 79. Lok Sabha Voted 0.01 0.01 82 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS 82. रेल मंत्रालय भारित 83. Ministry of Railways 336.00 336.00 83 Charged स्वीकृत 0.01 0.01 Voted ... सड़क परिवहन और MINISTRY OF ROAD TRANSPORT राजमार्ग मंत्रालय AND HIGHWAYS 16220.02 84. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत 84. Ministry of Road Transport and Highways 0.02 Voted 16220.00 84-85

					(₹	करोड़ in रै	crore)
				राजस्य	त्र पूंच	नी जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	e Capita	al Total	Page
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
85. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	85. Department of Rural Development	Voted	33057.84		33057.84	86-87
86. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	86. Department of Land Resources	Voted	0.02		0.02	88
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLO	GY				
87 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	87. Department of Science and Technology	Voted	0.01		0.01	89
पोत परिवहन मंत्रालय	C	MINISTRY OF SHIPPING					
90. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Shipping	Voted	0.01	185.00	185.01	90
कौशल विकास और उद्यमशीलता	C	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT					
मंत्रालय		AND ENTREPRENEURSHIP					
91. कौशल विकास और उद्यमशीलता		91. Ministry of Skill Development and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Entrepreneurship	Voted	0.01		0.01	91
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
92. सामाजिक न्याय और		92. Department of Social Justice					
अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	and Empowerment	Voted	0.02		0.02	92
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	93
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION					
95. सांख्यिकी और कार्यक्रम		95. Ministry of Statistics and					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	0.01		0.01	94
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.01	6.16	6.17	95
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
98. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tourism	Voted	0.01		0.01	96
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
99. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01		0.01	97
महिला और बाल विकास		MINISTRY OF WOMEN					
मंत्रालय		AND CHILD DEVELOPMENT					
100. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01		0.01	98
युवा कार्यक्रम और		MINISTRY OF YOUTH					
खेल मंत्रालय		AFFAIRS AND SPORTS					
101. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry of Youth Affairs And Sports	Voted	0.02	0.01	0.03	99
कुल जोड़		GRAND TOTAL		457894.62	170485.37	628379.99	
	भारित		Charged	44.77	7520.50	7565.27	
	स्वीकृत		Voted	457849.85	162964.87	620814.72	
अनुबंध		ANNEXURE					100

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS" WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: 134349 45 134349 45 Revenue पूंजी Capital 50.32 50.32 जोड Total 134399.77 134399.77 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue 195.01 195.01 पूंजी Capital 13.00 13.00 जोड 208.01 208.01 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.03 0.03 Revenue पूंजी Capital जोड Total 0.03 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 134607.81 134607.81 ... राजस्व 134544.49 134544.49 Revenue पूंजी Capital 63.32 63.32 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जोड Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 0.01 (कa) 0.01 2552-पर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (खb) 0.01 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0.01 0.01 (गc) अनदान जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03

(b)

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 18.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (iii) एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 32 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड को ब्याज आर्थिक सहायता- सूक्ष्म सिंचाई निधि हेतु सब्सिडी (₹ 20 करोड़) (v) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) घटक के

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.58 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैव मूल्य शृंखला विकास के अंतर्गत टीएएसपी घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.16)
(iii) राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत टीएएसपी घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.48 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलें के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 61.77 करोड़)
(v) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 73.54 करोड़)।

लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹ 1.24 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹ 0.80 करोड़) हेतु विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Grants for creation of Capital Assets under Protection of Plan Varieties and Farmer's Right (₹ 18.50 crore). (ii) Grants-in-aid General for National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 0.50 crore). (iii) Grants-in-aid General for Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹ 32 crore). (iv) Subsidies for Interest Subvention to NABARD-Micro Irrigation Fund under the scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (₹ 20 crore). (v) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General for General Component under National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 10.58 crore). (ii) Grants-in-aid General for TASP Component under Organic Value Chain Development for North Eastern Region (₹ 20.16 crore). (iii) Grants-in-aid General for TASP Component under National Mission for Sustainable Agriculture (₹ 3.48 crore). (iv) Grants-in-aid General for General Component under National Food Security Mission-Other Crops (₹ 61.77 crore). (v) Grants-in-aid General for TASP Component under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (₹ 73.54 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 1.24 crore) and for TASP Component (₹ 0.80) crore under Sub Mission on Seeds and Planting Material.

मांग संख्या DEMAND NO 2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				(₹ करोड़) (<u>In</u> ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		8362.58	8362.58
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		8362.58	8362.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8362.61	8362.61
राजस्व	Revenue		8362.61	8362.61
पूंजी	Capital		•••	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Major He	ead	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान मांगा जाता है।

(क)

(i) राष्ट्रमंडल कृषि व्यूरो (सीएबी) को अंशदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.35 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह (सीजीआईएआर) को अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.05 करोड़) (iii) एशिया-प्रशांत में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क (एनएसीए) को अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़) (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 0.50 करोड़) (v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 3.34 करोड़) (vi) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 10.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान जारी करना (₹ 23.23 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

The supplementary Grants are required for:

(i) meeting additional expenditure for contribution to Commonwealth Agricultural Bureaux International (CABI) ₹ 0.35 crore). (ii) meeting additional expenditure for contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) (₹ 0.05 crore). (iii) meeting additional expenditure for contribution to Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA) (₹ 0.02 crore). (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 3.34 crore) to Central Agricultural University, Bundelkhand. (v) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 10.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Imphal ($\mathfrak{T} 23.23$ crore).

मांग संख्या DEMAND NO 3 परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

. श्लंब अनुवान: राजवं Revenue 1.00 15796.10 15797.10 पूरं अनुवान: Total 10.00 10884.60 10894.60 बोह Total 11.00 26880.70 26691.70 पूरं अनुवान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजवं Revenue पूर्व अनुवान: Capital पूर्व अनुवान: Capital पूर्व अनुवान: Capital प्राच अनुवान: Capital प्राच अनुवान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजवं Revenue 0.01 0.01 पूर्वी Capital 0.02 0.02 पूर्वी Capital 0.03 0.03 पूर्वी Capital 0.03 0.03 पूर्व औद्ध (सूर्व और पूर्व) Total 0.03 0.03 पूर्व औद्ध (सूर्व और पूर्व) Total 0.03 0.03 पूर्व औद्ध (सूर्व और पूर्व) Total 0.00 15796.11 पूर्वी Capital 1.00 15796.11 15797.11 पूर्वी Capital 1.00 15796.11 15797.11 पूर्वी Capital 1.00 15796.11 15797.11 पूर्वी Lat पूर्व अनुवान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्पो के अंतर्गत दिखाया जावेगा: पूर्व सर्वा प्राव अनुवां अन	` ' '	·	[°] भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करॊ;	ड) (In ₹ crores) जॊड़ Total
पूर्जी	l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
सेत प्राचित अनुवातः अUPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue	राजस्व	Revenue	1.00	15796.10		15797.10
प्रक अनुवान:	पूंजी	Capital	10.00	10884.60		10894.60
स्वन्ध	जोड़	Total	11.00	26680.70		26691.70
पूर्जी Capital	पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
सासमय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: राजस्व Revenue Revenue 0.01 0.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.00 10	राजस्व	Revenue				
इस समय बाबश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital 0.02 0.02 बोड Total 0.03 0.03 लोड (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 11.00 26680.73 26691.73 राजस्व Revenue 1.00 15796.11 15797.11 पूर्जी Capital 10.00 10884.62 10894.62 ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्पों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: पारित स्विकृत जीड राजस्व भाग REVENUE SECTION भगरित स्विकृत जीड राजस्व भाग REVENUE SECTION 0.01 (कa) 0.01 पुर्जी भाग CAPITAL SECTION 0.01 (कa) 0.01 पुर्जी भाग CAPITAL SECTION 0.01 (कb) 0.01 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्य 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (कb)	पूंजी	Capital				
स्पत्नस्व	जोड़	Total	•••			
पूंजी Capital	इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
षोड (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 11.00 26680.73 26691.73 राजस्व Revenue 1.00 15796.11 15797.11 पूर्जी पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: ॥. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head (Time Affect Aff		Revenue		0.01		0.01
जोड (मूल और पूरक)		Capital		0.02		0.02
राजस्वRevenue1.0015796.1115797.11पूंजीCapital10.0010884.6210894.62॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: ॥. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारितस्वीकृतजीड़राजस्व भागREVENUE SECTIONChargedVotedTotalसुख्य शीर्षMAJOR HEAD3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पूर्जी भाग3401-Atomic Energy Research0.01(कa)0.01पूर्जी भागCAPITAL SECTIONसुख्य शीर्षMAJOR HEAD4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Power Projects 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1002 	जोड़	Total	•••	0.03		0.03
पूंजी Capital 10.00 10884.62 10894.62	जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	26680.73		26691.73
।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीपों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: ।।. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोंड़ प्राप्ति श्वार स्वीकृत जोंड़ प्राप्ति श्वार स्वीकृत जोंड़ प्राप्ति श्वार शिष्ट	राजस्व	Revenue	1.00	15796.11		15797.11
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोंड़ आरित स्वीकृत जोंड़ पिक्स भाग (Charged Voted Total राजस्व भाग (REVENUE SECTION) सुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (क्व) 0.02	पूंजी	Capital	10.00	10884.62		10894.62
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोंड़ आरित स्वीकृत जोंड़ पिक्स भाग (Charged Voted Total राजस्व भाग (REVENUE SECTION) सुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (क्व) 0.02		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:			
राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (खb) 0.01 (4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गट) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02				Head		
राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (खb) 0.01 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02			भारित	स्वीकृत		जो ड़
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (खb) 0.01 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02			Charged	Voted		Total
अ401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 3401-Atomic Energy Research 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (खb) 0.01 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02	राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
पूंजी भागCAPITAL SECTIONमुख्य शीर्षMAJOR HEAD4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय4801-Capital Outlay on Power Projects0.01(खb)0.014861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries0.01(गc)0.01जोड़ (पूंजी भाग)Total (Capital Section)0.020.02	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
मुख्य शीर्षMAJOR HEAD4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय4801-Capital Outlay on Power Projects0.01(खb)0.014861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries0.01(गc)0.01जोड़ (पूंजी माग)Total (Capital Section)0.020.02		3401-Atomic Energy Research		0.01	(कa)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (खb) 0.01 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02	पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गट) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries 0.01 (गट) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(खb)	0.01
	4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			0.01	(गc)	0.01
		Total (Capital Section)		0.02		0.02
		Total (Supplementary)		0.03		0.03

(b)

(c)

	(एईईएस) (₹ 6 करोड़) को अनुदान सहायता वेतन और (ii) आईजीकार को
	सहायता अनुदान सामान्य के लिए ₹ 0.02 करोड़ के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति
	हेतु,
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं (रिएक्टर से दूर) (₹ 5.29 करोड़) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	(i)अन्वेषण एवं खनन (एएमडीईआर) में अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.63 करोड़), (ii)
	नाभिकीय ईंधन परियोजनाएं (एनएफसी) (₹ 16.17 करोड़) और (iii) पश्चांत ईंधन
	चक्र भाग परियोजनाएं (एनआरबी) (₹ 27.80 करोड़) के लिए मशीनरी एवं
	उपकरण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। मूलभूत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
	(बीएआरसी) (₹ 21.08 करोड़) और पश्चांत ईंधन चक्र भाग परियोजनाएं
	(एनआरबी) (₹ 1.24 करोड़) के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए एक टोकन अनुपूरक की मांग की जाती है।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

सहायता प्राप्त संस्थानों (₹ 127.34 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 127.34 crore) and Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 6 crore) and (ii) Grant in aid General to IGCAR (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeing additional expenditure towards Major Works for Nuclear Power Projects (Away from Reactor) (₹ 5.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment for (i) R and D in Exploration and Mining (AMDER) (₹ 0.63 crore) and (ii) Nuclear Fuel Projects (NFC) (₹ 16.17 crore) and (iii) Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 27.80 crore) 2. Major Works for (i) R and D in Basic Science and Engineering (BARC) (₹ 21.08

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

crore) and (ii) Back End Fuel Cycle Projects (NRB) (₹ 1.24 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹</i> करोड़) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		, , , ,	
राजस्व	Revenue	***	2122.08	2122.08
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2122.08	2122.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	200.00	200.00
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total	•••	200.00	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2322.10	2322.10
राजस्व	Revenue		2322.10	2322.10
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ad	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	***	0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वेतनों के तहत दैनिक खर्चों और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सीसीआईएम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। (2) सरिता विहार और गोवा दोनों स्थानों में संस्थान के दैनिक खर्चों और संस्थान के निर्माण गतिविधियों को पूरा करने हेतु एआईआईए के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.85 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ-अनुदान (₹ 138.50 करोड़)। (3) सीसीएच के संबंध में चालू वित्त वर्ष आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.71 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.29 करोड़)। (4) दैनिक खर्चों पर इस वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु आईपीजीटीआरए के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 10.05 करोड़)। (5) एनआईए जयपुर के संबंध में दैनिक खर्चों पर इस वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 11.57 करोड़)। (6) सीसीआरएएस के संबंध में निर्माण गतिविधियों पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानों के तहत (₹ 4 करोड़)। (7) एनआईएच, कोलकाता के संबंध में निर्माण गतिविधियों और वेतनों पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानों के अधीन (₹ 19.61 करोड़) और वेतन सहायेता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। (8) एनआईयएम के संबंध में निर्माण गतिविधियों, दैनिक खर्चों और वेतनों पर देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹ 78.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। (9) एनआईएस के संबंध में दैनिक खर्चों को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.02 करोड़)। (10) सीसीआरएस के संबंध में वेतनों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। (11) सीसीआरवाईएन के संबंध में निर्माण आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.80 करोड़)। (12) एनआईएन, पूर्ण के संबंध में निर्माण परियोजनाओं पर चालू वर्ष की देयता को पूरा करने हेतु पूँजी आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के तहत (₹ 51.53 करोड़)। (13) सीओई के संबंध में वर्ष के दौरान अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.39 करोड़)। (14) चैम्पियन सर्विस सैक्टर के संबंध में पूंजी आस्तियों (₹ 1 करोड़) के निर्माण हेतु अनुदान। (15) इंस्टीटयूट ऑफ हाई एल्टिटयूड मेडिसिनल प्लांटस, जम्मू और कश्मीर के संबंध में पूंजी आस्तियों (₹ 0.77 करोड़) के सृजनार्थ अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

(1) Grant in aid General (₹ 1.50 crore) and Grants in aid Salary (₹ 1 crore) in respect of Central Council of Indian Medicine (CCIM), to meet additional requirement under Salaries. (2) Under Grant in aid General (₹ 26.85 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 138.50 crore) in respect of All India Institute of Ayurveda (AIIA), to meet construction activities of the Institute both at Sarita Vihar and Goa. (3) Under Grant in aid General (₹ 0.71 crore) and Grants in aid Salary (₹ 0.29 crore) in respect of Central Council of Homeopathy (CCH). (4) Under Grant in aid General (₹ 10.05 crore) in respect of Institute for Postgraduate Training and Research in Ayurveda (IPGTRA). (5) Under Grant in aid General (₹ 11.57 crore) in respect of National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur. (6) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 4 crore) in respect of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) to meet the liability on construction activities. (7) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 19.61 crore) and Grant in aid Salaries (₹ 0.30 crore) in respect of National Institute of Homeopathy (NIH), Kolkata, (8) Under Grant in aid General (₹ 4.50 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 78.75 crore) and Grant in Aid Salary (₹ 1 crore) in respect of National Institute of Unani Medicine (NIUM), (9) Under Grant in aid General (₹ 7.02 crore) in respect of National Institute of Siddha (NIS), (10) Under Grant in aid Salaries (₹ 0.30 crore) in respect of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRS), (11) Under Grant in aid General (₹ 7.80 crore) in respect of Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN). (12) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 51.53 crore) in respect of National Institute of Naturopathy (NIN), Pune, (13) Grant in aid General (₹ 12.39 crore) in respect of Centre of Excellence (COE), (14) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) in respect of Champion

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(1) एनएएम के संबंध में, दैनिक व्यय को पूरा करने हेतु और पूंजी खर्चों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)। (2) एनईआईएएच के संबंध में वर्ष के दौरान दैनिक खर्चों और निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के तहत (₹ 17.35 करोड़)।
(3) सीसीआरयूएम के संबंध में सिलचर (पूर्वोत्तर) में निर्माण परियोजनाओं पर देयता को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों (₹ 15 करोड़) के सृजनार्थ अनुदान।

(ख)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Service Sector (15) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.77 crore) in respect of Institute of High Altitude Medicinal Plants, Jammu & Kashmir.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Under Grant in aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) in respect of National AYUSH Mission (NAM). (2) Under Grant in aid General (₹ 1.02 crore) and under Grants for creation of Capital Assets (₹ 17.35 crore) in respect of North Eastern Institute for Ayurveda and Homeopathy (NEIAH) for liability on the construction projects., (3) Under Grants for creation of Capital Assets (₹ 15 crore) in respect of Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM),

मांग संख्या DEMAND NO 5 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		-		ोड़) (Inౖ ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		218.34	218.34
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total	•••	218.34	218.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		73.70	73.70
जोड़	Total		73.72	73.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		3.64	3.64
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		3.64	3.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		295.70	295.70
राजस्व	Revenue		222.00	222.00
पूंजी	Capital	•••	73.70	73.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया र	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the			
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		3.64	3.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के लिए (₹ 3.64 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET) under Grants in Aid(GIA)-General (₹ 3.64 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 6 उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

करना। यह 3 यूरिया प्लांट को सिन्दरी, बसैनी और गोरखपुर में स्थित है जो पुनजीर्वित करने के लिए आवश्यक है जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति

(सीसीइए) से अनुमोदित है।

(See pag	e 6 of the Demands f	or Grants of Central Government for	or the yea	r 2020-2021)			
				भारित	स्वीकृत	(₹ कर	तेड़) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			73974.95		73974.95
पूंजी		Capital			0.05		0.05
जोड़		Total			73975.00		73975.00
इस समय आवः	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	now require	ed:			
राजस्व		Revenue			64598.30		64598.30
पूंजी		Capital			813.23		813.23
जोड़		Total			65411.53		65411.53
जोड़ (मूल और	∶पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			139386.53		139386.53
राजस्व		Revenue			138573.25		138573.25
पूंजी		Capital		•••	813.28		813.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grants will be a			Head		
				भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 2401-कृषि का	ार्य	2401-Crop Husbandry			15485.88	(कa)	15485.88
2852-उद्योग	• •	2852-Industries			49112.42	(खb)	49112.42
जोड़ (राजस्व १	भाग)	Total (Revenue Section)			64598.30	(45)	64598.30
पूंजी भाग	,	CAPITAL SECTION			0.000.00		0.000.00
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
•	उद्योगों के लिए ऋण	6855-Loans for Fertilizer Industries			813.23	(गc)	813.23
जोड़ (पूरक)	ડબામાં માંગણ તરમ	Total (Supplementary)			65411.53	(40)	65411.53
418 (1/19)		rotal (Cappionionally)			00411.00		00411.00
यह पुरक अनुद	ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	lementary Grants are requir	red for:		
(क)		अंतर्गत भुगतान के लिए किए गए व्यय (i) स्वदेशी	(a)	meeting expenditure		irbhar E	Sharat Abhiyan 3.0
. ,		'22.53 करोड़) (ii) आयातित पीएण्ड के सब्सिडी	()	towards payment for (•
) शहरी कम्पोस्ट (₹ 43.98 करोड़)		(ii) Imported P&K Sub	, sidy (₹ 5719.37	crore) a	nd (iii) City Compost
				(₹ 43.98 crore).			
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शा	मिल है।		The above expenditur	e will entail a ca	sh outgo:	
(ख)	आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के	अंतर्गत भुगतान के लिए किए गए व्यय (i) स्वदेशी	(b)	meeting expenditure	under AtamN	irbhar E	Sharat Abhiyan 3.0
•	यूरिया (₹ 36112.80 करोड़) और (ii) यूरिया सब्सिडी का आयात (₹ 12999.62		towards payment for	(i) Indigenous l	Jrea (₹ 3	6112.80 crore) and
	करोड़)।			(ii) Import of Urea Sub	sidies(₹ 12999.6	32 crore)	
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above expenditur	e will entail a ca	sh outgo;	
(ग)	हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसाय	न लिमिटेड (एचयूआरएल) को ब्याज रहित ऋण प्रदान	(c)	grant of interest free le	oan to Hindusta	n Urvaral	k & Rasayan Limited

(HURL). This is required for revival of 3 urea plants located at Sindri, Barauni and Gorkhpur as per approval of Cabinet

Committee on Economic Affairs(CCEA)(₹ 813.23 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 7 **भेषज विभाग**

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Domanao	Tor Grants for the year 20	20 202 1)		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	र) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान	7 :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			326.40		326.40
पूंजी		Capital			7.18		7.18
जोड़		Total		•••	333.58		333.58
पूरक अनुदान	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	0.01		0.01
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			0.01		0.01
इस समय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now require	d:			
राजस्व		Revenue			136.82		136.82
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			136.82		136.82
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			470.41		470.41
राजस्व		Revenue			463.23		463.23
पूंजी		Capital		***	7.18		7.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित स्	गख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	-		d		
				भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		_			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर	क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			45.81	(कa)	45.81
2852-उद्योग		2852-Industries			91.01	(खb)	91.01
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			136.82	(/	136.82
•	•	,			_		
यह पूरक अनुदा	न निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	mentary Grants are required for			
(क)		(₹ 45.00 करोड़) और जनऔषधि स्कीम	(a)	National Institute of	Pharmace	utical	Education and
	(₹ 0.81 करोड़)।			Research(NIPERs) (₹ 45.0	0 crore) ar	nd Jan A	Aushadhi Scheme
				(₹ 0.81 crore)			
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above expenditure will e	ntail a cash	outgo;	
(ख)	(i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुस	संधान (₹ 76.82 करोड़) (ii) जनऔषधि	(b)	National Institute of	Pharmace	utical	Education and
	(₹ 14.19 करोड़)और (iii) साझा र्	मुविधा केन्द्र के लिए थोक औषधि उद्योग को		Research(NIPERs) (₹ 76.83	2 crore), (ii)) Jan A	ushadhi (₹ 14.19
	सहायता (₹ 13.55 करोड़)।			crore) and (iii) Assistance t	o Bulk Drug	g Industr	y for Common
				Facilitation Center(₹ 13.55 c	rore).		
	भवदाव के दुसी भाग जालका बचने	ों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 91.01करोड़ का		Taking into account the cavin	الممائمين مسم	. in the c	
	जनुषान के इसा नाम उपलब्ध अपरा	। यम व्यान म रखत हुए, र जा.णायराङ्ग्या		Taking into account the savi	ngs avallable	e in the s	ame section of the

मांग संख्या DEMAND NO 8 नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	•	,		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़)	(In ₹ crore: जोड़
					-		
	_	L OBIOINAL OBANT		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदार	1 :	I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व -		Revenue		•••	3771.74		3771.74
ज़ी >		Capital		•••	25.97		25.97
गोड़		Total		•••	3797.71		3797.71
रुक अनुदान	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ाजस्व		Revenue			19.35		19.35
ज ी रे—		Capital					
ोड़		Total			19.35		19.35
	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now requir	ed:			
ाजस्व		Revenue			286.56		286.56
<u>ज</u> ी		Capital			28.00		28.00
ो ड़		Total		•••	314.56		314.56
ोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			4131.62		4131.62
ाजस्व		Revenue			4077.65		4077.65
् ंजी		Capital		•••	53.97		53.97
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित स	मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted fo	r under the following Major H	lead		
		,		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
ुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 3053-नागर वि	ोमान न	3053-Civil Aviation			286.56	(कa)	286.56
गुंजी भाग		CAPITAL SECTION				()	
 गुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
=	र्माण कार्यो पर पुंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works			14.00	(खb)	14.00
	मानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation			14.00	(गट)	14.00
गोड़ (पूंजी भाग	• (Total (Capital Section)			28.00	(10)	28.00
गड़ (रूजा नाग गोड़ (पूरक)	,	Total (Supplementary)			314.56		314.56
118 (2/19		rotar (Gappierneritary)		•••	014.00		314.00
ह परक अनदा	न निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are required f	or.		
क)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	लेमिटेड (एसपीवी) के अंतर्गत सामान्य - अनुदान	(a)	(i) Grant -in -Aid -Gener		India Asse	ets Holding Lt
• /		.50 करोड़ रूपए), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान	(-)	(SPV)(₹ 10.50 crore) ar			•
		8 करोड़), विमान पत्तन मितव्यता नियायमक		Academy (₹ 19.68 cror			
	,	गता अनुदान (₹ 1.00 करोड़), क्षेत्रीय सम्पर्कता		Economy Regulatory Auth	*	-	
		के (₹ 234.83 करोड़)। सृजन हेतु अनुदान और		of Capital Assets, under F	• .	, .	
		ान पत्तन प्राधिकरण के अधीन (₹ 29.99 करोड़)।		crore) and under Airport A	-	-	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब का नकद व्यय होगा।	चितों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 286.56 करोड़		Taking into account the s of the Grant, this will entail	-		
ख)	विमान दुर्घटना अन्वे(षण ब्यू0रो निर्माण हेतु (14.00 करोड़ रूपए) उपर्युक्तण व्यरय में नकद व्यय शागि	योजना के अंतर्गत संयुक्त8 कार्यालय परिसर के	(b)	construction of combined Investigation Bureau Scho	eme (₹ 14.00	crore).	Aircraft Accide
	ज्यपुराण प्यरंच म ग णद व्यय शाम	J./1 61		The above expenditure wil	ı entalı a cash	ı outgo;	

नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत चालू ई-जीसीए परियोजना हेतु

(₹ 10.00 करोड़) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूारो के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय

परिसर के निर्माण हेतु (4 .00 करोड़ रूपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ग)

The above expenditure will entail a cash outgo.

under Bureau of Civil Aviation Security (₹ 4.00 crore).

ongoing e-GCA project under Director General Civil Aviation

(₹ 10.00 crore) and for construction of combined office complex

मांग संख्या DEMAND NO 9 कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ कर	ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		882.61	882.61
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total		882.61	882.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		882.63	882.63
राजस्व	Revenue		882.63	882.63
पूंजी	Capital	•••		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- अनुसूचित जाति उप-योजना में योजना के कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा, कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास के अंतर्गत सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 1.28 करोड़)।
- (ii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत कोयला खदानों में परिवहन अवसंरचना विकास के लिए और कोयला खानों में अवसंरचना विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करना (₹ 10.93 करोड़)।
- (iii) वैधानिक निकायों संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय के अन्तर्गत नामित प्राधिकरण की व्यावसायिक सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करना (₹ 11 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing subsidy under Schedule Caste Sub-Plan for conservation and safety in coal mines of scheme Conservation safely and Infrastructure Development in Coal Mines (₹ 1.28 crore);
- (ii) providing subsidy under Tribal Area Sub-Plan for development of transportation infrastructure in coalfield areas under the scheme -Conservation safely and Infrastructure Development in Coal Mines (₹ 10.93 crore):
- (iii) meeting expenditure for Professional Services of Nominated Authority under Statutory Bodies, Attached and sub-ordinate Offices (₹ 11.00 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10 वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

	ŕ	,		रोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5531.82	5532.32
पूंजी	Capital		687.00	687.00
जोड़	Total	0.50	6218.82	6219.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6218.83	6219.33
राजस्व	Revenue	0.50	5531.83	5532.33
पूंजी	Capital	•••	687.00	687.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 25 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

 Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 25.00 crore) under the Scheme 'Tea Board'.

मांग संख्या DEMAND NO 11 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crore</i> जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•		
राजस्व	Revenue		5136.55	5136.55
पूंजी	Capital		1469.00	1469.00
जोड़	Total		6605.55	6605.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		1649.12	1649.12
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		1649.12	1649.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8254.68	8254.68
राजस्व	Revenue		6785.68	6785.68
पूंजी	Capital		1469.00	1469.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ead	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		200.00	(कa) 200.00
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	(खb) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		1449.11	(गc) 1449.11
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	1649.12	1649.12

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(ग)

(i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना′ स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़) और (ii) 'परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 4 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(i) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों पर केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी को वापिस करना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 800 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास' (एनआईसीडीआईटी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1400 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 671.60 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग कर लेने के पश्चात, इसमें ₹ 777.51 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 200.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States' and (ii) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 85.00 crore) under the scheme 'Transport Subsidies Scheme/Freight Subsidies Scheme'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 200.00 crore.

Meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 4.00 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 800.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States' and (ii) Meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1400.00 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)'.

Taking into account the surrender of savings ₹ 671.60 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 777.51 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करो	ड) (In ₹ crore जोड	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	onargou	70.00			
राजस्व	Revenue	***	48756.63		48756.63	
<u> र</u> ूंजी	Capital		30675.06		30675.06	
 जोड़	Total	•••	79431.69		79431.69	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
 राजस्व	Revenue					
<u> र</u> ्वजी	Capital					
जो ड़	Total	•••			•••	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01		0.01	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़ 	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	79431.71		79431.71	
राजस्व	Revenue	***	48756.64		48756.64	
पूंजी	Capital		30675.07		30675.07	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	e following Major H	ead			
		भारित	स्वीकृत		जो ड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		0.01	(क a)	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	0.02		0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प चुनने वाले बीएसएनएल/एमटीएनएल के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए ₹ 1316.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय जगह की खरीद हेतु ₹ 113 करोड़ का व्यय (ii) 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड हेतु ₹ 10.90 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और (iii) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान की भौतिक अवसंरचना के सृजन के लिए ₹ 4.99 के व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1,316.35 crore for payment of ex-gratia to the employees of BSNL/MTNL opting for voluntary retirement scheme. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought

meeting (i) expenditure of ₹ 113 crore towards purchase of office accommodation for Telecom Regulatory Authority of India (ii) additional expenditure of ₹ 10.90 crore towards 5G connectivity Test Bed and (iii) ₹ 4.99 crore for creating physical infrastructure of National Institute of Communication Finance. Taking into the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 14 उपभोक्ता मामले विभाग DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			_	(₹ करोड़) (Iౖn ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2505.60	2505.60
पूंजी	Capital		55.40	55.40
जोड़	Total	***	2561.00	2561.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		6000.00	6000.00
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		6000.00	6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required			
राजस्व	Revenue		3759.12	3759.12
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		3759.12	3759.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12320.12	12320.12
राजस्व	Revenue		12264.72	12264.72
पूंजी	Capital		55.40	55.40
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	nder the following Major H	ead	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		977.35	(कa) 977.35
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		2781.77	(खb) 2781.77
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3759.12	3759.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 980 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 977.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई- I और II) तथा आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) स्कीमों दालों के निःशुल्क वितरण के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए और बफर स्टॉक के सूजन हेतु (₹ 2820 करोड़ा)

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बहचतों को ध्यान में रखते हुए (₹ 21.21 करोड़) और इस अनुदान के इसी भाग के भीतर उपलब्ध बचतों का उपयोग करते हुए इसमें ₹ 2760.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under 'Price Stabilization Fund' for North Eastern Region (₹ 980 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 977.35 crore.

(i) Grants-in-aid General under 'Price Stabilization Fund' for free distribution of Pulses under Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY-I & II), Atmanirbhar Bharat Schemes (ANB) and for creation of buffer stock (₹ 2820 crore).

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 21.21 crore) and utilising the savings available within the same section of the grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 2760.56 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		121038.41	121038.41
पूंजी	Capital	***	51197.02	51197.02
जोड़	Total		172235.43	172235.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		10000.00	10000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	10000.00	10000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		304557.83	304557.83
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		304557.83	304557.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	486793.26	486793.26
राजस्व	Revenue		435596.24	435596.24
पूंजी	Capital		51197.02	51197.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		304557.83	304557.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यानों के अतिरिक्त आवंटन और आत्मनिर्भार भारत (एएनबी) पैकेज और भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋणों की पुनर्गभुगतान के लिए (₹ 250208.76 करोड़)। (ख) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के कल्याण के लिए (₹ 10464.39 करोड़) और (ग) अनुसूचित जनजाति उप-योजना (टीएएसपी) के कल्याण के लिए (₹ 5421.31 करोड़) (कुल ₹ 266094.46 करोड़)। (ii) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यानों के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹ 31000.63 करोड़)। (iii) एनएफएसए के अंतर्गत अंतर्राज्य आबाजाही खाद्यान राज्यिक एजेंसी और एफपीएस डिलर मार्जिन को सहायता (₹ 2500 करोड़)। (iv) वर्ष 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 10 करोड़)। (v) वर्ष 2018-19 सत्र के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 700 करोड़)। (vi) वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता (₹ 3400 करोड़)। (vii) चीनी की बफर स्टॉक सृजन और अनुरक्षण (₹ 100 करोड़)। (viii) 40 एलएमटी चीनी की बफर स्टॉक सुजन और अनुरक्षण (₹ 300 करोड़)। (ix) आन्तरिक परिवहन, माल भाड़ा, संचालन और निर्यात पर अन्य शुल्कों के लिए व्यय को चुकाने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी (₹ 101 करोड़)। (x) चीनी मिलों के सुलभ ऋणों को विस्तार करना (₹ 298 करोड़)। (xi) एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता का विस्तार करना (₹ 100 करोड़)। (xii) अन्य अनुमेय दावों के भुगतान और चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन और मालभाड़ा शुल्कों की अदायगी के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.37 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत ₹ 46.63 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में ₹ 304557.83 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

(i) food subsidy to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation of foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) and Aatm Nirbhar Bharat (ANB) Package and for repayment of NSSF Loan to FCI (₹ 250208.76 crore) (b) for welfare of Schedule Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 10464.39 crore) and (c) for welfare of Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹ 5421.31 crore) (Total ₹ 266094.46 crore). (ii) food subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹ 31000.63 crore). (iii) assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA (₹ 2500 crore). (iv) assistance to Sugar Mills for 2017-18 season (₹ 10 crore). (v) assistance to Sugar Mills for 2018-19 season (₹ 700 crore). (vi) assistance to Sugar Mills for 2019-20 season (₹ 3400 crore), (vii) creation and maintenance of buffer stock of sugar (₹ 100 crore). (viii) creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (₹ 300 crore). (ix) subsidy to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (₹ 101 crore). (x) extending soft loans to sugar mills (₹ 298 crore). (xi) extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity (₹ 100 crore). (xiii) Subsidy under Reimbursement of Internal Transport and Freight Charges to sugar factories on export shipment of sugar and payment of other permissible claims (₹ 0.37 crore).

Taking into account savings available in the same section of the grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 304557.83 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 17 संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		•	⁻ करोड़) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3057.57	3057.57
पूंजी	Capital		92.29	92.29
जोड़	Total		3149.86	3149.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3149.87	3149.87
राजस्व	Revenue	•••	3057.58	3057.58
पूंजी	Capital		92.29	92.29
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः संग्रहालयों को सहायता (₹ 12.33 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान – अकादमियों को सहायता (₹ 21.69 करोड़), बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹ 32.78 करोड़)। निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः अकादमियों को सहायता (₹ 14.22 करोड़), संग्रहालयों को सहायता (₹ 7.45 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grant-in-aid General for Support to Museums – ₹ 12.33 crore, Grants for Creation of Capital Assets - Support to Akademies – ₹ 21.69 crore, Buddhist Tibetan Institutions and Memorials – ₹ 32.78 crore, Grant-in-aid Salaries is required for Support to Akademies – ₹ 14.22 crore, Support to Museums – ₹ 7.45 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (नागरिक)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

(-)800.00

savings available in the same section of the grant, supplementary

The above expenditure will not entail cash outgo as the same will

for the balance amount of ₹ 799 crore is sought.

be matched by additional recoveries.

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(-)800.00

,,	,			(₹ करॉ	ोड़) (In ₹ cra
		भारित	स्वीकृत		সৌর
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue	0.66	29991.34		29992.00
जी	Capital	40.00	7206.00		7246.00
ोड़	Total	40.66	37197.34		37238.00
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue		400.00		400.00
नी	Capital		800.00		800.00
इ	Total		1200.00		1200.00
न समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:				
रक अनुमान:					
जस्व	Revenue	0.18	0.01		0.19
नी	Capital		799.00		799.00
ोड़ -	Total	0.18	799.01		799.19
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	40.84	39196.35		39237.19
जस्व	Revenue	0.84	30391.35		30392.19
नी	Capital	40.00	8805.00		8845.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ी	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be ac	counted for under the fol	lowing Major Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
052-सचिवालय-सामान्य	2052-Secretariat-General Services	0.18	(कa) 0.01	(खb)	0.19
वाएं					
जी भाग	CAPITAL SECTION				
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
054-सड़क और पुलों पर	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		799.00	(गc)	799.00
जीगत परिव्यय					
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.18	799.01		799.19
		वे दर्शाई गयी वसलियों को शागि	मेल नहीं किया गया है जिन्हें व्य	ाय में से घटाक	र समायोजित
	ु किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into account t	he recoveries shown belo	ow, which a	re adjusted
	in reduction of expenditure.			,	.,
जी भाग	CAPITAL SECTION				
जी भाग	CAPITAL SECTION				

(布)	वेतन (भारित) (₹ 0.01 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 0.17 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting expenditure on salaries (Charged) (₹ 0.01 crore) and on information Technology (₹ 0.17 crore). Considering savings available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.
(ख)	रक्षा विभाग के खेलकूद और मनोरंजन क्लब को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़), महानिदेशक-गुणबत्ता आश्वासन की रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.77 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के छावनी बोर्डों (₹ 50 करोड़) और सीमा सड़क संगठन की राशन की लागत के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹ 87.81 करोड़), पीओएल (₹ 12.50 करोड़) और कपड़े एवं टेंट (₹ 27 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing Grants-in-aid - General to Sports and Recreation Club (₹ 5 crore) of Department of Defence, Grants for creation of capital assets to Defence Testing Infrastructure scheme (₹ 0.77 crore) of Director General – Quality Assurance, Grants-in-aid-General to Cantonment Boards (₹ 50 crore) of Defence Estates Organisation and additional provision for Cost of Ration (₹ 87.81 crore), POL (₹ 12.50 crore) and Clothing and Tentage (₹ 27 crore) of Border Roads Organisation. Taking into savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ग)	सीमा सड़क निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को ₹ 800 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	(c)	additional transfer of ₹ 800 crore to Central Road and Infrastructure fund for financing the border road works. Taking into account the

5054-Capital Outlay on Roads and Bridges

बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 799 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान

इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुरूपी अतिरिक्त वसूलियों से इसकी पूर्ति हो

5054-सड़क और पुलों पर

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मांगा जाता है।

जाएगी।

पूंजीगत परिव्यय

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

अनुसंधान और विकास के अंतर्गत ₹ 464.96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भंडारण

(₹ 430.96 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 34 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के

इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक

पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ङ)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करोंः	ड) (In ₹ cror। जॊड़
_				Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व		Revenue		101.02	229898.67		229999.69
जी		Capital					
गोड़		Total		101.02	229898.67		229999.69
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
ाजस्व		Revenue					
् जी		Capital					
गेड़		Total					
्स समय आवश्य	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	now required:				
प्रजस्व	" •	Revenue	•		0.05		0.05
<u></u> ज़ी		Capital					
्र. गोड़		Total		•••	0.05		0.05
… गेड़ (मूल और पूर	रक)	Total (Original plus Supplementary)		 101.02	229898.72		229999.74
गाउँ (पूरा आर् रू गाजस्व	S17	Revenue		101.02	229898.72		229999.74
राजस्य ग्रंजी							
्जा		Capital			•••		•••
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य					
		II. This Supplementary Grants will be ac	ccounted for un	,			
				भारित	स्वीकृत		ন্যা র
				Charged	Voted		Total
<i>राजस्व भाग</i> ख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2076-रक्षा सेवाए	एं-थल सेना	2076-Defence Services - Army			0.01	(क a)	0.01
2077-रक्षा सेवाए	•	2077-Defence Services - Navy			0.01	(खb)	0.01
2078-रक्षा सेवाए		2078-Defence Services - Air Force		•••	0.01	(गc)	0.01
	रं-आयुध कारखाने	2079-Defence Services - Ordnance Fac	tories		0.01	(घd)	0.01
	रं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and		***		(ख) (ङe)	0.01
_			Development		0.01 0.05	(5.6)	
_		Total (Revenue Section)	Development		0.01 0.05	(se)	0.05
नोड़ (राजस्व भाग	ग)				0.05	(%-6)	
जोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	Total (Revenue Section)	The supplem	 entary Grants are requi	0.05		0.05
गोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी		entary Grants are requi	0.05 ired for: cpenditure of ₹ 5	,009.70 cro	0.05 ore under Army
गोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़)	The supplem	entary Grants are requi meeting additional ex 'Ex-Servicemen Con	0.05 ired for: spenditure of ₹ 5 tributory Health	,009.70 cro Scheme'	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro
जोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) ∴75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	The supplem	entary Grants are requi meeting additional ex 'Ex-Servicemen Con 'Stores' (₹ 3,201.9	0.05 ired for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C	,009.70 cro Scheme' Other Expe	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657
गोड़ (राजस्व भाग गह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) ∴75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	The supplem	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into	0.05 irred for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657) lable in the sa
गोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) ∴75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	The supplem	entary Grants are requi meeting additional ex 'Ex-Servicemen Con 'Stores' (₹ 3,201.9	0.05 irred for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657) lable in the sa
जोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान (क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) '.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है।	The supplem	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con 'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a	o.05 ired for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is sc	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa
बोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के रि और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 7.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त"	The supplem	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex	0.05 ired for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token suppleme spenditure of ₹ 2	o,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa bught; ore under Navy
बोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के रि और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 का पर (₹ 832.41 करोड़), भंडारा	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 7.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex 'Repairs and Refits'	0.05 ired for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement comparison of ₹ 2 (₹ 832.41 crore)	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro , 'Stores'	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa bught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro
बोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़)	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 7.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro	o.05 ired for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement comparison of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other E	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa bught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro s' (₹ 287.29 cro
बोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के कि और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 7.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t	o.05 fired for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token suppleme spenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other E the expenditure of	0,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro b' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S
बोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान क)	म् निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rul	one of the control o	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro o' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix
बोड़ (राजस्व भाग ग्रह पूरक अनुदान क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rul Taking into account the	one of the expenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'C' account the sa token supplement of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'Other E he expenditure of € 2 (₹ 842.41 crore) and 'Other	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read	0.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro o' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix
जोड़ (राजस्व भाग	म् निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rul	one of the expenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'C' account the sa token supplement of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'Other E he expenditure of € 2 (₹ 842.41 crore) and 'Other	,009.70 cro Scheme' Other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa bught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro b' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix
जोड़ (राजस्व भाग् यह पूरक अनुदान (क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पहाँ। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों र पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए व्यीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए व्यीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत एरिशष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है।	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9: crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rul Taking into account the	o.05 red for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement cpenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'Other E the expenditure of the savings availate mentary is sough	0,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro y 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read able in the s	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro s' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix same section of
नोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान क)	ग) निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) वो विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199.	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों क पूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते	The supplem (a)	meeting additional eximates a requirement of the first section of the Grant, a meeting additional eximates and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cround for regularising transctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supples	o.05 red for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement compenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'Other E the expenditure of es 61 and 69 of the savings available compenditure of ₹ 3, compenditure of ₹ 3, compenditure of ₹ 3,	,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so c, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read able in the s ht;	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa nught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro s' (₹ 287.29 cr ore for 'Joint S of with Appendix same section of
नोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ प्रज्ञां अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है।	The supplem (a)	meeting additional eximates a requirement of the first section of the Grant, a meeting additional eximates and Refits' 'Works' (₹ 60.25 crowand for regularising to sanctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supplemeeting additional eximates and the first sanctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supplemeeting additional eximates a supplemeeting additional eximates a supplemeeting additional eximates a supplement of the first sanctioned under Rul Taking into account the grant, a token supplemeeting additional eximates and the first sanctioned and the firs	one of the expenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'C' account the sa a token supplement of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) and 'Other Ende expenditure of ₹ 3 (₹ 830.26 crore), 'We have the expenditure of ₹	,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so c, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read ible in the s ht; ,199.79 cro /orks' (₹ 9	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa nught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro c' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S of with Appendix name section of ore under Air Fo .82 crore), 'Spe
बोड (राजस्व भाग ग्रह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के त और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 का पर (₹ 832.41 करोड़), संडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफा पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में अ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए।	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों रूपूरक अनुदान मांगा जाता है। रोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय रे के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। रि करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के यों (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	The supplem (a)	meeting additional exicates and requirementary Grants are requirementing additional exicates (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, ameeting additional exicates (₹ 60.25 crowand for regularising transfer sanctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supplemeeting additional exicates (₹ 2,7 crows).	one of the same o	,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so t, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read ible in the s ht; ,199.79 cro /orks' (₹ 9	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657) lable in the sa nught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro e' vision of with Appendix same section of ore under Air Fo .82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro
बोड़ (राजस्व भाग हह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के त और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), मंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मंगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए। बचतों को ध्यान में रखते हुए,	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) 75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत १ करोड़ व्यय गें के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के याँ (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31	The supplem (a)	meeting additional exicates and regular meeting additional exicates (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional exicates and Refits' 'Works' (₹ 60.25 crowand for regularising the sanctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supplemeeting additional exicates (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 crows Taking into account the supplemental contents of the supp	o.05 ired for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement expenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other Ene savings availation for ene	,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so t, 'Stores' Expenditure GFRs read ible in the s forces' (₹ 9 Expenditure forces' (₹ 9	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa nught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro e' (₹ 287.29 cro for Joint S d with Appendix same section of ore under Air Fo .82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro
नोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के त और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), मंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मंगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए। बचतों को ध्यान में रखते हुए,	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लिए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" मां (₹ 60.25 करोड़) और अौर संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के याँ (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	The supplem (a)	meeting additional exicates and requirementary Grants are requirementing additional exicates (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional exicates (₹ 60.25 crown and for regularising the sanctioned under Rul Taking into account the Grant, a token supplemeeting additional exicates (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 crosses)	o.05 ired for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement expenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other Ene savings availation for ene	,009.70 cro Scheme' bther Expe vings avail entary is so t, 'Stores' Expenditure GFRs read ible in the s forces' (₹ 9 Expenditure forces' (₹ 9	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa nught; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro for 'Joint S ore for 'Joint S ore for 'Joint S ore under Air Fo .82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro
बोड़ (राजस्व भाग ग्रह पूरक अनुदान क) ख)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ति और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिव नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसी भाग में उपलब्ध बचतों व	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के पूरक अनुदान मांगा जाता है। दोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" या (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते या जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के यों (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	The supplem (a) (b)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising the sanctioned under Rull Taking into account the Grant, a token supple meeting additional ex i.e. for 'Stores' (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 cro Taking into account the Grant, a token supple grant, a token su	one of the same target and for: spenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement spenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other E the expenditure of the expenditure of the savings availate spenditure of ₹ 3, 700.26 crore), 'W tore) and 'Other E the savings availate the savings availa	o,009.70 croscheme' Scheme' Other Expe vings avail entary is so c,875.43 cro c, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read doble in the s ht; frame of the second of the	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix same section of ore under Air Fo .82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro same section of
बोड़ (राजस्व भाग ग्ह पूरक अनुदान क) ख)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के ती और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 कर पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए बचतों के। ध्यान में रखते हुए, इसी भाग में उपलब्ध बचतों व जाता है।	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है। तोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के याँ (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के जो ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	The supplem (a)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rull Taking into account the Grant, a token supple meeting additional ex i.e. for 'Stores' (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 cro Taking into account the Grant, a token supple providing additional	one savings availagmentary is sought of the s	o,009.70 croscheme' Scheme' Other Expe vings avail entary is so c,875.43 cro c, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read able in the s ht; 199.79 cro /orks' (₹ 9 Expenditure able in the s ht;	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix came section of ore under Air For 82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro came section of
नोड़ (राजस्व भाग यह पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के त और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए, बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसी भाग में उपलब्ध बचतों व जाता है। विजयन्ता वरिष्ठ माध्यमिक स्	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है। तोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक न के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के यों (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के जो ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	The supplem (a) (b)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rull Taking into account the Grant, a token supple meeting additional ex i.e. for 'Stores' (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 cro Taking into account the Grant, a token supple providing additional Vijayanta Senior Sec	one savings availarmentary is sough	o,009.70 croscheme' Scheme' Other Expe vings avail entary is so c,875.43 cro c, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read dible in the s ht; 199.79 cro /orks' (₹ 9 Expenditure ble in the s ht; Salaries' of HVF Mar	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 657 lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cro ore for 'Joint S I with Appendix came section of ore under Air Fo 82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro came section of
ाेड (राजस्व भाग हि पूरक अनुदान क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आर्मी के अंतर्गत ₹ 5009.70 स्वास्थ्य योजना पूरा करने के त और अन्य व्यय के लिए (₹ 657 को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिब नेवी के अंतर्गत ₹ 2875.43 क पर (₹ 832.41 करोड़), भंडार अन्य व्यय (₹ 287.29 करोड़) को विनियमित करने जीएफआ पढ़ें। अनुदान के इसी भाग में उ अनुदान मांगा जाता है। अनुदान हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मां वायु सेना के अंतर्गत ₹ 3199. लिए (₹ 2700.26 करोड़), का करोड़) और अन्य व्यय के लिए, बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसी भाग में उपलब्ध बचतों व जाता है। विजयन्ता वरिष्ठ माध्यमिक स्	Total (Revenue Section) करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी लेए (₹ 1150 करोड़) भंडारण (₹ 3201.95 करोड़) .75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों ह पूरक अनुदान मांगा जाता है। तोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को "मरम्मत और दुरूस्त" ग (₹ 1695.48 करोड़) कार्यों (₹ 60.25 करोड़) और और संयुक्त स्टाफ के लिए स्वीकृत ₹ 75 करोड़ व्यय र के नियम 61 और 69 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 को पलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते गा जाता है। 79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय जो कि भंडारण के याँ (₹ 9.82 करोड़), विशेष परियोजना (₹ 247.31 (₹ 242.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के जो ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	The supplem (a) (b)	entary Grants are requimeeting additional ex 'Ex-Servicemen Con'Stores' (₹ 3,201.9 crore). Taking into section of the Grant, a meeting additional ex 'Repairs and Refits' 'Works' (₹ 60.25 cro and for regularising t sanctioned under Rull Taking into account the Grant, a token supple meeting additional ex i.e. for 'Stores' (₹ 2,7 Project' (₹ 247.31 cro Taking into account the Grant, a token supple providing additional	o.05 red for: cpenditure of ₹ 5 tributory Health 5 crore) and 'C account the sa a token supplement cpenditure of ₹ 2 (₹ 832.41 crore) re) and 'Other E the expenditure of the savings availate company and 'Other E the savings availate company is sough company in the savings availate company in the savings are availate	a,009.70 cro Scheme' other Expe vings avail entary is so 2,875.43 cro 1, 'Stores' Expenditure of ₹ 75 cro GFRs read able in the s ht; 199.79 cro lorks' (₹ 9 Expenditure able in the s ht;	o.05 ore under Army (₹ 1,150 cro nditure' (₹ 65) lable in the sa ought; ore under Navy (₹ 1,695.48 cro e' (₹ 287.29 cr ore for 'Joint S I with Appendix came section of ore under Air Fo 82 crore), 'Spe e' (₹ 242.40 cro came section of

meeting additional expenditure of ₹ 464.96 crore under Research

and Development for 'Stores' (₹ 430.96 crore) and 'Other

Expenditure' (\P 34 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary

is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				(₹ कराँड़) (<u>In</u> ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	107.50	113626.50	113734.00
जोड़	Total	107.50	113626.50	113734.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		150.00	150.00
जोड़	Total		150.00	150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	159.50	20466.50	20626.00
जोड़	Total	159.50	20466.50	20626.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	267.00	134243.00	134510.00
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	267.00	134243.00	134510.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for under th	e following Major He	ads:
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	159.50	(कa) 20466.50	(खb) 20626.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

'मूमि' (₹ 4.51 करोड़) और 'नौसेना बेड़ा' (₹ 161.50 करोड़) के लिए ₹ 166.01 करोड़ की न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 159.50 करोड़ का सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 159.50 crore is sought. This will entail cash outgo.

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(ख)

(i) सेना के लिए 'निर्माण कार्यों' (₹ 676.03 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 441.04 करोड़), 'चल स्टॉक' (₹ 50 करोड़), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' (₹ 3.47 करोड़) पर ₹ 1170.54 करोड़ (ii) नौसेना के लिए 'वायुयान' (₹ 4,047.39 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 2,950 करोड़) और 'नौसेना वेड़ा' (₹ 4,486.70 करोड़) पर ₹ 11,484.09 करोड़ (iii) वायुसेना के लिए 'वायुयान' (₹ 2,515.14 करोड़), 'अन्य उपकरण' (₹ 9,211.68 करोड़) पर ₹ 11,726.82 करोड़; और (iv) 'निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत नमूना विकसित करने हेतु सहायता' पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए ₹ 28.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष ₹ 20,466.50 करोड़ की राशि के लिए पुरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकट व्यय होगा।

meeting additional expenditure of (i) ₹ 1,170.54 crore on 'Construction Works' (₹ 676.03 crore), 'Other Equipment' (₹ 441.04 crore), 'Rolling Stock' (₹ 50 crore), 'Ex-Serviceman Contributory Health Scheme' (₹ 3.47 crore) for Army; (ii) ₹ 11,484.09 crore on 'Aircraft' (₹ 4,047.39 crore), 'Other Equipment' (₹ 2,950 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 4,486.70 crore) for Navy; (iii) ₹ 11,726.82 crore on 'Aircraft' (₹ 2,515.14 crore) and 'Other Equipment' (₹ 9,211.68 crore) for Air Force; and (iv) ₹ 28.50 crore for Technology Development on 'Assistance for Prototype Development under Make Procedure'. Taking into account savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 20,466.50 crore is sought. This will entail cash outgo.

meeting additional expenditure arising out of court decree of

₹ 166.01 crore for Navy under 'Land' (₹ 4.51 crore) and 'Naval

Fleet' (₹ 161.50 crore). Taking into account the savings available

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	<i>(₹</i> स्वीकृत	करोड़) (In ₹ crores, जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•		
राजस्व	Revenue	5.90	133819.10	133825.00
पूंजी	Capital			
जोड़ 	Total	5.90	133819.10	133825.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
 राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.41		1.41
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.41		1.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7.31	133819.10	133826.41
राजस्व	Revenue	7.31	133819.10	133826.41
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accou	inted for under the follow	ving Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	1.41		1.41

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों के कारण ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बजचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहींं होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1.41 crore on account of court orders. Taking into account the savings available in voted section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ कर <u>ो</u> ड़) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1902.44	1902.44	
पूंजी	Capital		172.00	172.00	
जोड़	Total	•••	2074.44	2074.44	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital			•••	
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2074.46	2074.46	
राजस्व	Revenue		1902.46	1902.46	
पूंजी	Capital	•••	172.00	172.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	wing Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र' (एनसीपीओआर) हेतु वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.71 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing additional expenditure to Grants-in-aid Salaries towards 'National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)' ($\stackrel{\textstyle <}{\scriptscriptstyle \sim}$ 0.71 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 24 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये) (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

·	,	भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करॊड़) (In ₹ crores)</i> जॊड
			Voted	Total
	L ODIONAL ODANT	Charged	votea	Iotai
l. मूल अनुदान: 	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व <u></u>	Revenue		6524.03	6524.03
पूंजी	Capital		375.00	375.00
जोड़	Total		6899.03	6899.03
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		92.99	92.99
जोड़	Total		92.99	92.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.03	0.03
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6992.05	6992.05
राजस्व	Revenue		6524.06	6524.06
पूंजी	Capital		467.99	467.99
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतः	ति दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		ad	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03

(b)

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ग)

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआईसी) के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹ 24.50 करोड़)
 और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.05 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इलैक्ट्रॉनिक गवरनेंस (₹ 8 करोड़) और नैशनल नॉलेज नैटवर्क प्रोग्राम (₹ 128 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

भास्कराचार्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना (बीआईएसएजीएन) (₹ 5 करोड़) इलैकॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएस और विनिर्माण क्लस्टर (₹ 20.53 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत इलैक्ट्रानिक गवर्नेंस (₹ 4 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत राष्ट्रीय ज्ञान नैटवर्क (₹ 78 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत ₹ 89 करोड़, अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के तहत प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹ 15 करोड़) (।।) भास्काराचार्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और भू-सूचना (बीआईएसएजी(एन)) (₹ 15 करोड़) संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान और डिजिटल भुगतानों के संवर्धन हेतु अन्य प्रभारों (₹ 100 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

neeting expenditure towards Professional Services (₹ 24.50 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.05 crore) for National Informatics

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Electronic Governance (\mathfrak{T} 8 crore) and National Knowledge Network Programme (\mathfrak{T} 128 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geo-Information [BISAG(N)] (₹ 5 crore), Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)" (₹ 20.53 crore), Electronic Governance (₹ 4 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, National Knowledge Network (₹ 78 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 89 crore under Tribal Area Sub-Plan, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (₹ 15 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Information [BISAG (N)] (₹ 15 crore) and (iii) Other Charges for Promotion of Digital Payments(₹ 100 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		₹ करोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3052.23	3052.23
पूंजी	Capital		157.55	157.55
जोड़	Total	•••	3209.78	3209.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3209.81	3209.81
राजस्व	Revenue	•••	3052.26	3052.26
पूंजी	Capital	···	157.55	157.55
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und			
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		0.01	0.01
		चे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किय	ग गया है जिन्हें व्यय में से	ा घटाकर समायोजित
	किया जाता है !	2		

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2406-वानिकी और वन्य जीवन 2406-Forestry and Wild Life

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़) और (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने के

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि में उपलब्ध राशि से पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

augmenting provisions under (i) Grants-in-aid General (₹ 100 crore) for National Authority and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.25 crore) for Indian Plywood Industries Research and Training Institute

(-)100.00

(-)100.00

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and proposed expenditure will be met from funds available in National Compensatory Afforestation Funds, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 26

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

2011101110	ao ioi Graine ioi alo yee	,		भारित	स्वीकृत	(₹ करो	ड़) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुव	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		0.03	16014.40		16014.43
पूंजी		Capital		***	1332.28		1332.28
जोड़		Total		0.03	17346.68		17346.71
पूरक अनुदा	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	96.01		96.01
पूंजी		Capital			45.00		45.00
जोड़		Total			141.01		141.01
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amoun	t now required	l :			
राजस्व		Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल औ	रि पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		0.03	17487.71		17487.74
राजस्व े		Revenue		0.03	16110.42		16110.45
पूंजी		Capital			1377.29		1377.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	त्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be a	ccounted for i	under the following Major H	ead		
		,		भारित	स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2061-विदेशी	ी मामले	2061-External Affairs			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				(/	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
=	स पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	त १८ तूंबागत ११८७४५	Total (Supplementary)		•••	0.01	(90)	0.02
MIS (X(1)		rotar (Supplementary)		•••	0.02		0.02
यह परक अन			The supple	mentary Grants are require	d for:		
(क)		शील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	(a)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid salaries for			
(·)	सोसाइटी वेतन-सहायता अनुदा		()	Society for Research and Information Syster			
				Other Developing Countries (₹ 0.96 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब	ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा		Taking into account the	•	,	same section of the
	जाता है।			Grant, a token supplement	-		Ca 00000011 01 1110
(ख)	सीडब्ल्यूजी फ्लैटों की खरीद के	लिए भगतान (₹ 200 करोड)।	(b)	payment towards purcha			crore)
(9)	वाउन रूपा खाला मा जराद मा	विष् मुगतान (र 200 कराइ)। इ.स.च्या चे क्या में स्वयं स्वयं संस्थित स्वयं संस्थ	(5)			(200	0.0.0).

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

मांग संख्या DEMAND NO 27 आर्थिक कार्य विभाग **DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 18 of the First Supplementary

Demands fo	r Grants for the year 20	020-2021)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, , , , , ,
	·	,				(₹ करॊः	ਫ਼) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	3338.25		3338.25
पूंजी		Capital		***	48320.71		48320.71
जोड़		Total			51658.96		51658.96
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			69.90		69.90
पूंजी		Capital			6122.35		6122.35
जोड़		Total		•••	6192.25		6192.25
इस समय आवश्यक	रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now required:				
राजस्व		Revenue	,		2979.48		2979.48
पूंजी		Capital			0.03		0.03
जोड़		Total			2979.51		2979.51
जोड़ (मूल और पूरव	ь)	Total (Original plus Supplementary)	1		60830.72		60830.72
राजस्व	• •	Revenue			6387.63		6387.63
पूंजी					54443.09		54443.09
Yau		Capital			54443.09		54445.09
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	-				
		II. This Supplementary Grants will b	e accounted for ur				
				भारित	स्वीकृत		সীর —
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2075-विविध साम		2075-Miscellaneous General Servic	es		1000.00	(कa)	1000.00
3466-अंतर्राष्ट्रीय वि	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3466-International Financial Instituti			503.43	(खb)	503.43
3475-अन्य सामान्	•	3475-Other General Economic Serv	vices		0.01	(गc)	0.01
3605-अन्य देशों के सहयोग	साथ तकनीकी और आर्थिक	3605-Technical and Economic Co-c Countries	peration with Othe	er	1476.04	(घd)	1476.04
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			2979.48		2979.48
पाड़ (राजस्य माग) पूंजी भाग		•		•••	2979.40		2373.40
रू <i>णा गाण</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION					
_	<u> </u>	MAJOR HEAD			0.04	<i>(</i> - <i>)</i>	0.04
परिव्यय	निर्माण और टकसाल पर पूंजी	4046-Capital Outlay on Currency, C	Coinage and Mint		0.01	(ङe)	0.01
5465-सामान्य वित्त निवेश	तीय और व्यापारिक संस्थानों में	5465-Investments in General Finance Institutions	cial and Trading	···	0.01	(चf)	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वि	वेत्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International F	inancial Institutions	s	0.01	(छg)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		•••	0.03	(.5)	0.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			2979.51		2979.51
(8)							
यह परक अनदान	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplemen	tary Grants are required for	or:		
		ोएस) और विशेष नकदी स्कीम (एसएलएस) के		transfer to Guarantee Re		nd (₹ 100	00.00 crore) due to
() ()		रण गारंटी मोचन निधि को अंतरण (₹ 1000	(-) (-)	higher provisioning for P			
	•	ग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त		and Special Liquidity So			
	व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।			savings available in the			
				and after utilising the			
				expenditure will not entail	•		,
(ii)	सरकारी खातों में दावा न किए	ए गए प्रतिभूति ऋण से संबंधित भुगतान	(ii)	Payments in connection	_	ned Sec	curities credited to
\.,,	(₹ 0.01 करोड़)		\"/	Govt. Accounts(₹ 0.01 cr			

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (i) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान (₹ 499.99 करोड़), इसी तरह (ख) की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है। उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा। (ii) एशियाई विकास बैंक-12 को अंशदान (₹ 3.60 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं
- (ग) (ग) स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 पर ब्याज (₹ 19.99 करोड़)। एड्स, टीबी और

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo

- (i) Contribution to International Development Association (IDA) (₹ 499.99 crore), Taking into account the matching receipts, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any cash outgo; (ii) Contribution to Asian Development Fund-12 (₹ 3.60 crore),
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.
- Commission on Gold Monetization Scheme 2015 (₹19.99 crore),

((i))

(e)

मलेरिया (जीएफएटीएम) के लिए वैश्विक निधि हेतु अंशदान (₹ 1.26 करोड़), टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता (जीएवीआई) के लिए वैश्विक गठबंधन हेतु अंशदान (₹ 1.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.12 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.06 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) ((i)) (घ) ((i)) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान (₹ 2.99 करोड़), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आभासी प्रतिनिधियों की व्यय (₹ 0.15 करोड़), जीआईजेड (₹ 22.00 करोड़), और नए विकास बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीबी) (₹ 0.53 करोड़), को सेवा कर जो सेवा की नई लिखत है।
 - ((ii)) ((ii)) एक्जिम बैंक के लिए आईईएस (₹ 1405.06 करोड़), एक्जिम बैंक को पुरानी व्याज अतिदेय के लिए भुगतान (₹ 213.02 करोड़) और भारतीय कंपनियों के लिए आईईएस (₹ 187.74 करोड़) अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के भीतर बचत का उपयोग करने पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं
- (ङ) एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद (₹ 18.14 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) (व) (छ) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश (₹ 4250.00 करोड़) और
 (छ) एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण मंच में पूंजी नियोजन (₹ 1000.00 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) (छ) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) (आईबीआरडी में निवेश) के लिए भुगतान (₹ 11.93 करोड़), चयनित पूंजी वृद्धि (एससीआई) (आईबीआरडी में निवेश) के लिए भुगतान (₹ 4.08 करोड़), अफ्रीकी विकास बैंक में सदस्यता (₹ 0.02 करोड़), सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के लिए भुगतान (₹ 347.36 करोड़) जो सेवा की नई लिखित है, ब्राजील रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) न्यू विकास बैंक (एनडीबी) के लिए सदस्यता (₹ 70.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Contributions to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM)(₹1.26 crore), Contributions to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹1.00 crore), Grants - in-aid-General (₹ 2.12 crore) and Grants - in- Aid "Salaries" (₹ 8.06 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

- Contributions to United Nations Development Programme(₹2.99 crore), Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme(₹0.15 crore), Service Tax to GIZ (₹ 22.00 crore) & Indian Regional Office of New Development Bank (NDB) (₹0.53 crore) which is New Instrument of Service. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- ((ii)) IES to EXIM Bank (₹ 1405.06 crore), Payment for chronic interest overdues to Exim Bank (₹213.02 crore) & IES for Indian Companies (₹187.74 crore),

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilizing the savings within the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

Purchase of coins from SPMCIL (₹ 18.14 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

(i) Investment into National Investment and Infrastructure Fund (₹ 4250.00 crore) & (ii) Capital infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform (₹ 1000.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

Payment for General Capital Increase (GCI) (Investment in IBRD) (₹ 11.93 crore), Payment for Selective Capital Increase (SCI) (Investment in IBRD) (₹ 4.08 crore), Subscription to African Development Bank(0.02 crore), Payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI) (₹ 347.36 crore) which is New Instrument of Service, Subscription to Brazil, Russia, India, China And South Africa (BRICS) New Development Bank (NDB) (₹ 70.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 28

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(ecc page co or the Bernando re	or Grante or Gorialar Government for the year 202	20 2021)	(₹ कर	ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	াত / (III (CI OI C3) সৌর
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		535.55	535.55
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total	···	535.55	535.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••		•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		535.56	535.56
राजस्व	Revenue		535.56	535.56
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	रेखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एनआईएफएम भवन के लिए मुख्य मरम्मत कार्य करना और प्रयोजन शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के अंतर्गत स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5.70 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

carrying out major repairs to NIFM Building and meeting the establishment expenses under Object Head "Grants-in-aid - General" (\mathfrak{T} 5.70 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 29 वित्तीय सेवा विभाग DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crore</i> जोड़	es)
				··· ·	
/ 1111 21111 2	LODICINAL CRANT.	Charged	Voted	Total	
<i>I. मूल अनुदान:</i> राजस्व	I. ORIGINAL GRANT:		4474.07	4474.07	
राजस्य पूंजी	Revenue		1474.97	1474.97	
^{पूजा} जोड	Capital		27600.05	27600.05	
•••	Total		29075.02	29075.02	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व <u>÷ ०</u>	Revenue		5232.00	5232.00	
पूंजी जोड़	Capital		21000.00	21000.00	
***	Total	***	26232.00	26232.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		5473.60	5473.60	
पूंजी	Capital		0.02	0.02	
जोड	Total		5473.62	5473.62	
ः. जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		60780.64	60780.64	
राजस्व	Revenue		12180.57	12180.57	
पूंजी	Capital		48600.07	48600.07	
<i>x</i>	•		40000.07	40000.07	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय		1		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	e following Major Head भारित	। स्वीकृत	जৌ ड	
			Voted	Total	
राजस्व भाग	DEVENUE SECTION	Charged	voted	Iotai	
राजस्य माग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION				
9,७५ राज 2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य	MAJOR HEAD		404.07	(T-) 404.07	
परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	•••	124.97	(कа) 124.97	
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions		5348.63	(खb) 5348.63	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	5473.60	5473.60	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions		0.01	(गc) 0.01	
5465-सामान्य वित्तीय और	5465-Investments in General Financial and Trading		0.01	(ঘd) 0.01	
व्यापारिक संस्थानों में निवेश	Institutions				
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02	0.02	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		5473.62	5473.62	
		ई गयी वसूलियों को शामिल	नहीं किया गया है जि	न्हें व्यय में से घटाकर	
	Note: The above estimates of additional requirements do no	t take into account the	recoveries show	below, which are	
	adjusted in reduction of expenditure.			•	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
र् पुंजी भाग	CAPITAL SECTION				
र · · · · · 4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions		(-)1000.00	(-)1000.00	
निवेश	The investments in Agricultural Financial institutions		()1000.00	() 1000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क) एसएएसएफ के लिए ₹ 125 करोड़ की प्रतिभृतियों का मोचन । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इस व्यय को समकक्ष प्राप्तियों से मिलान किया गया है।

Redemption of Securities amounting to ₹ 125 crore to SASF. Taking into account the savings available in the same section of the grant, Supplementary to the balance amount is sought. This will not entail cash outgo as this expenditure is matched by equivalent receipts.

(ख) ऋण मोरेटोरियम के लिए चक्रवृद्धि व्याज सहायता स्कीम हेतु ₹ 5500 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए ₹ 5348.63 करोड़ की शेष राशि हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि पूंजी भग के अंतर्गत उपलब्ध बचत को इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

Providing of additional provision of ₹ 5500 crore towards compounded interest Support Scheme for loans moratorium. Taking into account the available savings in the same section of the grant, Supplementary for the balance amount of ₹ 5348.63 crore is sought. This will not entail any cash outgo as the available Savings under Capital Section are uitlised for the purpose.

- (ग) राष्ट्रीय निवेश निधि के लिए ₹ 1000 करोड़ का अंतरण। अनुदान के इसी भाग में (c) उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- Transferring of ₹ 1000 crore to National Investment Fund. Taking into the savings available in the same section of the grant, a token Supplementary is sought.
- (घ) बीमा कंपनियों को पुनपूँजी देने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (d) (₹ 3000 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- Providing additional funds towards recapitalisation of Insurance companies (₹ 3000 crore). Taking into the savings available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 31

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ crores</i> जोड़
			Charged	Voted	Total
. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:	3		
जस्व जस्व		Revenue	0.02	272159.60	272159.62
जी		Capital		91.21	91.21
ोड़		Total	0.02	272250.81	272250.83
् एक अनुद	ਹ ੜ ਾ	SUPPLEMENTARY GRANT:	0.02	272200.01	27 2230.00
(<i>भाजा</i> युक् ाजस्व		Revenue			
 ज़ी		Capital	•••	•••	•••
ा ग्रेड		Total	•••	•••	
	वश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:	•••	•••
ाजस्व		Revenue		280.90	280.90
<u></u> ्जी		Capital			
गोड़		Total		280.90	280.90
नोड़ (मूल औ	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	272531.71	272531.73
ाजस्व		Revenue	0.02	272440.50	272440.52
जी		Capital		91.21	91.21
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के ब	भंतर्गत दिखाया जायेगा [.]		
		II. This Supplementary Grants will be accounted		Head	
		The Supplementary Stanto IIII 20 accounted	भारित	 स्वीकृत	जो ड़
			Charged	Voted	Total
ाजस्व भा	ग	REVENUE SECTION	3		
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
•	राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services		0.01	(কa) 0.01
	सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(114)
नुदान नुदान	acma magnan	Coor Grante in dia to Glate Covernmente	***	***	
	राज्य क्षेत्र की सरकारों अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governmen	nts	280.89	(खb) 280.89
ोड़ (राजस्व	व भाग)	Total (Revenue Section)		280.90	280.90
			ों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को श	ामिल नहीं किया गया है ि	जेन्हें व्यय में से घटाकर
		Note: The above estimates of additional requirem	nents do not take into accour	nt the recoveries show	vn below, which are
		adjusted in reduction of expenditure.			
ाजस्व भा	ग	REVENUE SECTION			
8601-राज्य ानुदान	सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)4889.43	(-)4889.43
	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेर्ा	क्षेत है:	The supplementary Grants a	are required for:	
क)	गुनुआईगीगुम्सी के ट	हारा 7वें आयोग को कार्यान्वित करने के लिए वेतन अनुदान के	(a) to meet the a	dditional evnendituro	of ₹ 9.55 crore towards Grant-i
11)		तिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में	` '		7th CPC by NIPFP. Taking in
		यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	account the	•	he same section of the Grant
দ্ৰ)	अतिरिक्त ₹ 4889.4	3 करोड़ की राशि की वसूली और अनुदान के राजस्व भाग में			ST of previous years to unt the additional recovery
	उपलब्ध बचतों को ध इसमें कोई नकद व्यय	त्र्यान में रखते हुए ₹ 280.89 करोड़ की शेष राशि प्रार्थित है। चित्रीं होगा।	₹ 4889.43 cro	ore and savings availa	able in the revenue section of

Grant, Supplementary for the balance amount of ₹ 280.89 crore is

sought. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

•	•		(₹ क	ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	***	332.00	332.00
जोड़	Total	•••	8065.39	8065.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		•••	
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8065.42	8065.42
राजस्व	Revenue		7733.39	7733.39
पूंजी	Capital		332.03	332.03
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Head	l:	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पीआरडीआइटी (निवेश) के कार्यालय प्रयोग के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण, रायपुर, (एएनवीपी) में रेडी निर्मित भवन की खरीद और जेसीआइटी (केन्द्रीय), रायपुर, (30.26 करोड़ रुपए)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Purchase of ready built building at Atal Nagar Vikas Pradhikaran, Raipur (ANVP) for the office use of the Pr. DIT (Inv.) and the JCIT(Central), Raipur ($\stackrel{?}{\scriptstyle \sim}$ 30.26 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 33

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
l 112 21212	I. ORIGINAL GRANT:	Charged	voled	Iolai
<i>l. मूल अनुदान:</i> राजस्व		0.50	7000 00	7000 50
	Revenue	0.50	7820.00	7820.50
पूंजी जोड़	Capital		438.00	438.00
	Total	0.50	8258.00	8258.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total			•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	8258.02	8258.52
राजस्व	Revenue	0.50	7820.00	7820.50
पूंजी	Capital		438.02	438.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत f	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc		lead	
		भारित	स्वीकृत	ज ोड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(कa) 0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पुवाहाटी से तैयार कार्यालय स्थान की खरीद के लिए शेष भुगतान करने के लिए (₹ 4.79 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) चेन्नई के अन्ना नगर में आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए (₹10.00 करोड़)। (ii) बोकारों में आवास निर्माण के लिए विभागीय भूमि के लिए लीज प्रीमियम का नवीकरण (₹ 5.05 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

making balance payment towards Purchase of ready built office space in Guwahati (₹ 4.79 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Construction of Residential Quarter at Anna Nagar, Chennai (₹ 10.00 crore). (ii) Renewal of lease premium for departmental land for construction of Residence at Bokaro (₹ 5.05 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 34 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				रोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	186.46	5178.81	5365.27
पूंजी	Capital	***	18.00	18.00
जोड़	Total	186.46	5196.81	5383.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		50.00	50.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		50.00	50.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	186.46	5246.82	5433.28
राजस्व	Revenue	186.46	5228.82	5415.28
पूंजी	Capital		18.00	18.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाये	ागा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the foll	owing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'एक आईएएडी, एक प्रणाली' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for One IAAD, One System(₹ 100 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 37

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(,		करोड़) <u>([n</u> ₹ crores)
		भारित Charrad	स्वीकृत Voted	সীর Tatal
l 112 2020	LODICINAL CRANT.	Charged	voled	Total
l. मूल अनुदानः 	I. ORIGINAL GRANT:		0.00.1.00	20122.25
राजस्व ः 0	Revenue	474.45	61694.90	62169.35
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	474.45	61694.90	62169.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	981.58	981.58
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		981.58	981.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	474.45	62676.48	63150.93
राजस्व	Revenue	474.45	62676.48	63150.93
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	बाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		l :	
	,	भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		981.58	981.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और 'निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम' के अंतर्गत सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें ₹ 981.58 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(I) meeting additional expenditure towards payment of pensions and other retirement benefits and increase in Government Contribution from 10% to 14% under 'Defined Contributory Pension Scheme'.

The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 981.58 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 38 राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये) (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

					(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्व	ोकृत		जोड़
		Charged	Vo	ted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	149924.80	469	30.00	19	96854.80
पूंजी	Capital	25100.00			2	25100.00
जोड़	Total	175024.80	469	30.00	22	21954.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	46602.43			4	16602.43
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	46602.43			4	16602.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	7025.00	1222	00.80	12	29233.00
जोड़	Total	<i>7025.00</i>	1222	08.80	12	29233.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	228652.23	1691	38.00	39	97790.23
राजस्व	Revenue	196527.23	469	30.00	24	13457.23
पूंजी	Capital	32125.00	1222	08.80	15	54333.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिर	बाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acco	ounted for under th	ne following Ma	ajor Hea	ds:	
		भारित		ोकृत		जৌ ड़
		Charged	Vo	ted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	7025.00	(क a) 1222	08.80	(खb) 12	29233.00

(b)

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋणों) (₹ 7025.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के ऐवज में राज्यों को एक के बाद एक ऋण के लिए विशेष विंडों के अंतर्गत ऋण जारी करने के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 110208.00 करोड़)।
 - (ii) पूंजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना (₹ 12000.00 करोड़)।
 क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की कभी के एवज में राज्यों के लिए बैक-टू-बैक ऋण को अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 12000.00 करोड़ की बचत और पूंजी प्राप्ति के समकक्ष से पूरा किया जाएगा। अत: उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) providing additional allocation under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans) (₹ 7025.00 crore)
 Taking into account the surrender of savings available in the
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - (i) providing loans to State Governments through issue of debt under special window under Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation Shortfall (₹ 110208.00 crore).
 - (ii) providing loans to State Governments under Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure (₹ 12000.00 crore).As the Back to Back Loan to States in lieu of GST Compensation

Shortfall are to be met from equivalent capital receipts and savings of ₹ 12000.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 39

मत्स्य पालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Deman	ds for Grants for the year 2020	-2021)						
					·		(₹ करोड़) (In ₹ crores)
					भारित	स्वीकृत		जोड़
,		I ODIOWAL ODANT			Charged	Voted		Total
<i>I. मूल अनु</i> राजस्व	(दान:	I. ORIGINAL GRANT:				005.04		005.04
राजस्य पूंजी		Revenue				805.84		805.84
^{पूजा} जोड़		Capital				19.16		19.16
		Total				825.00		825.00
पूरक अनुद	रान:	SUPPLEMENTARY GRAI	V <i>I:</i>					
राजस्व संकी		Revenue				0.04		0.04
पूंजी जोड़		Capital			***			
		Total		d d-	•••	0.04		0.04
इस समय अ राजस्व	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	e amount n	ow requirea:		00.00		00.00
राजस्य पूंजी		Revenue				92.00		92.00
^{जूजा} जोड़		Capital				0.01		0.01
	ਰੈ ਤ ਸਤਕ\	Total	-t			92.01		92.01 917.05
जोड़ (मूल अ राजस्व	गर पूरक)	Total (Original plus Suppleme Revenue	niary)			917.05 897.88		897.88
					•••			
पूंजी		Capital		0.773		19.17		19.17
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नी	_					
		II. This Supplementary Grants	will be acc	ounted for under the f		_		
					भारित	स्वीकृत		স <u>া</u> র
					Charged	Voted		Total
राजस्व भा	गि	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2405-मत्स्य		2405-Fisheries				91.97	(कa)	91.97
2552-पूर्वोत्त		2552-North Eastern Areas				0.01	(खb)	0.01
	। सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Go				0.01	(गc)	0.01
	राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union To	erritory Gov	vernments		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस		Total (Revenue Section)			•••	92.00		92.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
_	प पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisher	ies			0.01	(ङe)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				92.01		92.01
ਸੁਦ ਸ਼ਹੂਕ ਘ	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sunr	plementary Grants are	a required for:			
पर् _य ्गणः (क)	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत	अनसचित जाति उपयोजना घटक के लिए	(a)	•	-	99 crore).	for Sched	dule Castes Sub
(·)	(7.50 करोड़ रुपए और जनजाति क्षेत्र		()			-		Tribal Area Sub
	् सामान्य सहायता अनुदान (78.99 करोड़	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·				the scheme of
				Pradhan Mantri	Matsya Samp	oada Yojana		
	पूंजी भाग के तहत बचत के अभ्यर्पणन वे			Taking into acc	count of surre	nder of sav	ing under	Capital Section
	समान भाग में उपलब्ध बचत के चलते उ				_			e section of the
	खर्च अपरिहार्य होगा और तकनीकी अनुपूर	क (₹ 6.55 करोड़) अपरिहाये होगा।			•		-	of ₹ 85.42 crore
(ਸ਼ਰ\	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्ग	न मनागना अनुसान मागान्य के अनुसान	(b)	and technical s				SP Component
(ख)	प्रवास नेत्रा निस्त्य संपद्म पाजना के जससे 19.00 करोड़ रुपये और टी.ए.एस.पी. के ब		(D)					n Mantri Matsya
	13.00 मराइ राम आर टा.ए.एस.मा. म	1.014 C 3.00 4.0181		Sampada Yojar	-	Scrience of	i rauriai	i Maritii Matsya
	अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों	को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक		Taking into acc	ount the savin	-	in the sa	me section of the
(1 1)	प्रार्थित है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंत	र्धात गससी गसपी संघटक के अन्तर्गत	(c)	Grant, a token s		-	nent (F	25.70 crore), for
(ग)	त्रवान मत्रा मत्स्य सपदा योजना क अत् ₹ 25.70 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान		(0)				•	eme of Pradhan
	₹ 1.00 करोड़ सहायता-अनुदान-सामान्य			Mantri Matsya	•		the 30h	cine of Fradrian
	अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों			•			in the sai	me section of the
	प्रार्थित है।	9.,		Grant, a token s		-		
(ঘ)	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंत	र्गत ₹ 16.42 करोड़ सहायता-अनुदान-	(d)				er the sch	neme of Pradhan
	सामान्य	•		Mantri Matsya	Sampada Yoja	ana.		
	अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों	को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक		-		-	in the sai	me section of the
	प्रार्थित है।	0.12		Grant, a token s				
(ङ)	मात्स्यिकी संस्थानों के संबंध में मोटर वाह	न वस्तु शोषे के अन्तर्गत ₹ 0.10 करोड़ की	(e)				otor Vehi	icle in respect of
	अतिरिक्त मांग की पूर्ति करना।	को ध्यान में रखने हम एक सांकेतिक एरक		Fisheries Institu			in the ca	ma saction of the

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक

प्रार्थित है।

मांग संख्या DEMAND NO 40 पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 25 of the First Supplementary

Demands	for Grants for the year	r 2020-2021)					
				भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़	ह) (In ₹ crores) जोड़
							· · ·
/ 1 	ъ	LODICINAL CRANT		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान	:	I. ORIGINAL GRANT:			0057.40		0057.40
राजस्व पूंजी		Revenue			3657.42		3657.42
^{पूजा} जोड़		Capital			46.71		46.71
•		Total			3704.13		3704.13
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital					•••
जोड़		Total			0.02		0.02
	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now required	i :			
राजस्व		Revenue			0.03		0.03
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			0.03		0.03
जोड़ (मूल और पृ	(रक)	Total (Original plus Supplementary)			3704.18		3704.18
राजस्व		Revenue			3657.47		3657.47
पूंजी		Capital			46.71		46.71
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be			ad		
				भारित	स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		•			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2403-पश् पालन	Ŧ	2403-Animal Husbandry			0.01	(कa)	0.01
2404-डेयरी वि		2404-Dairy Development			0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षे		2552-North Eastern Areas			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भा		Total (Revenue Section)			0.03	(/	0.03
772 1172 21.72T	ा निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The oungle	nentary Grants are required f	ior		
		के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 20.00		nentary Grants are required i *∫ Grants-in-aid General		for Sah	adula Castos Sub
(क) (i)		क तहत अनुदान-सहायता सामान्य वटक र 20.00 न्य एससीएसपी घटक ₹ 5.00 करोड़ और अनुदान-	(a) (i)	Plan (SCSP) Component	,		
	कराड़, अनुदान- सहायता सामा सहायता सामान्य ₹ 2.00 करोड़			, , ,	•	•	
	त्तहायता सामान्य र ८.०० कराइ	s टा <i>दद्</i> यना।		Plan (TASP) Componen National Livestock Missio		ore) unde	a ule scheme of
(::)		→	(;:)			for 01	CCD Campan
(ii)		के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 68.04 मान्य एससीएसपी घटक ₹ 21.50 करोड़ और	(ii)	Grants-in-aid General(₹			
	कराड़, अनुदान- सहायता सा अनुदान-सहायता सामान्य टीएए			(₹ 21.50 crore) and for Ta Scheme of Rashtriya Gok		eπ (₹ 5.0	o crore) under the
(iii)		रुसपा र 5.00 कराड़ा नेधि योजना के तदत कार्यालय व्यय के लिए ₹ 2.00	(iii)	Office Evnenses (₹ 2.00		dia amant	9 Dublicity /₹ 0.00

- (iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत कार्यालय व्यय के लिए ₹ 2.00 करोड़, प्रचार और प्रकाशन के लिए ₹ 0.80 करोड़, व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 2.20 करोड़ और सब्सिडी में ₹ 22.00 करोड़।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 13.44 (ख)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा
- (ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत अनुदान-सहायता सामान्य घटक ₹ 41.00 करोड़, अनुदान-सहायता सामान्य एससीएसपी घटक ₹ 13.00 करोड़ और ₹ 9.95
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Office Expenses (₹ 2.00 crore), Advertisement & Publicity (₹ 0.80 crore), Professional Services (₹ 2.20 crore) and Subsidies (₹ 22.00 crore) under the scheme of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Grants-in-aid General(₹ 13.44 crore) under National Programme for Dairy Development.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Grants-in-aid General(₹ 41.00 crore), for SCSP Component (₹ 13.00 crore) and for TASP (₹ 9.95 $\,$ crore) under the Scheme of National Livestock Mission..
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				(₹ करोड़) (In ₹ cr
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		সৌর
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1232.94		1232.94
र् चजी	Capital				
बो ड़	Total		1232.94		1232.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
 ाजस्व	Revenue		150.00		150.00
र् जी	Capital				
नोड़ नोड़	Total		150.00		150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue		0.04		0.04
र ्जी	Capital				
नोड़ नोड़	Total		0.04		0.04
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1382.98		1382.98
	Revenue		1382.98		1382.98
 ज़ी	Capital				
•	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	बाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following Maj	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
<u>रु</u> ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन/विस्तार योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 46.90 करोड़) के लिए और प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना सृजन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए सामान्य अनुदान-सहायता ((₹ 6.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना। (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 44.98 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 8.58 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 4.44 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना। (iii) वाइन और वाइन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ओ आई वी) में (₹ 0.19 करोड़) योगदान के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।

(ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमं-एफएमई) पूर्वोत्तर (सामान्य) के लिए अनुदान-सहायता ((₹ 30.00 करोड़) और प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क योजना के लिए (₹ 6.00 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।

> अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।

(ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹128.92 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 24.56 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 12.71 करोड़) (कुल ₹ 166.19 करोड़) के लिए निधि में वृद्धि करने हेतु प्रदान करना;

> अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जानी है।

(घ) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.70 करोड़) के लिए; अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए (₹ 0.06 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.05 करोड़) (कुल ₹ 0.81 करोड़) के लिए निधि में वृद्धि करने हेतु प्रदान करना;

> अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक टोकन अनुपूरक मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-Aid-General (₹ 46.90 crore) under the scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities, for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 6.30 crore) under Creation of Infrastructure for Agro-processing Clusters under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. (ii) Grants-in-Aid-General(₹ 44.98 crore); for Schedule Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 8.58 crore) and for TASP Component (₹ 4.44 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME). (iii) contribution to International Organization of Wine & Vine(OIV) (₹ 0.19 crore).

/₹ = 17=) //n ₹ croroc)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid North East Region (NER)(General)(₹30.00 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME) and for Mega Food Parks Scheme (₹ 6.00 crore) under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid-General (₹ 128.92 crore); for SCSP Component (₹ 24.56 crore) and for TASP Component (₹ 12.71 crore) (Total ₹166.19 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid-General (₹ 0.70 crore); for SCSP Component (₹0.06 crore) and for TASP Component (₹ 0.05 crore) (Total ₹ 0.81 crore) under the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM-FME).

मांग संख्या DEMAND NO 42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये) (See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Demands for Grants for the	ie year 2020-2021)			(₹ कर	ੀਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	(, , ,	,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	104590.24		104590.24
पूंजी	Capital		1733.60		1733.60
जोड़	Total		106323.84		106323.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		10615.98		10615.98
पूंजी	Capital		1141.01		1141.01
जोड़	Total	•••	11756.99		11756.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:		0.4007.70		0.4007.70
राजस्व पूंजी	Revenue	***	21227.72		21227.72
^{पूजा} जोड़	Capital		1497.27		1497.27
	Total	•••	22724.99		22724.99
जोड़ (मूल और पूरक) राजस्व	Total (Original plus Supplementary)	•••	140805.82		140805.82
	Revenue	•••	136433.94		136433.94
पूंजी	Capital		4371.88		4371.88
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Major I <i>भारित</i>			जৌ ड़
			स्वीकृत		•
राजस्व भाग	DEVENUE SESTION	Charged	Voted		Total
राजस्य नाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD		0.04	(-)	0.04
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		0.01	(कa)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	***	3346.89	(खb)	3346.89
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		50.93	(गc)	50.93
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		1313.69	(घd)	1313.69
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		15061.87	(ङe)	15061.87
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		916.33	(चf)	916.33
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	***	538.00	(छg)	538.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		21227.72		21227.72
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		1497.25	(जh)	1497.25
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(झi)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	•••	0.01	(ਟj)	0.01
पारव्यय जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		1497.27		1497.27
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		22724.99		22724.99
		दर्शाई गयी वसूलियों को शा	मिल नहीं किया गया है '	जिन्हें व्यय में से	घटाकर
	Note: The above estimates of additional requirements de adjusted in reduction of expenditure.	o not take into account	the recoveries show	wn below, wh	ich are
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		(-)3219.89		(-)3219.89
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		(-)50.93		(-)50.93
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		(-)1313.69		(-)1313.69
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)14899.86		(-)14899.86
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)605.38		(-)605.38
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment		(-)538.00		(-)538.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	(-)20627.75		(-)20627.75

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) चिकित्सा उपचार – केंद्र सरकार के पेंशनर्स – (₹ 309.83 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, 2. राजकीय औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (₹ 10 करोड़), 3. टेलीमेडिसीन (₹ 6.50 करोड़) स्वास्थ्य एवं चैकित्सकीय शिक्षा हेतु मानव संसाधन – नए मेडिकल कालेजों की स्थापना और वर्तमान सरकारी मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि (₹ 127 करोड़), 5. सेवा ग्राम स्थित मेडिकल कालेज की कस्तुरबा हेस्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 12.75 करोड़), 6. चितरंचन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता (₹ 12 करोड़), कैंसर, डायबिटीज, कार्डियो वेस्कुलर डिसीज एंज स्ट्रोक के निवारण एवं नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (10 ₹ करोड़), नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम (₹ 2.75 करोड़), एम्स, नई दिल्ली स्थित ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर (₹ 2 करोड़) और एम्स, नई दिल्ली स्थित नेशनल ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर के अंतर्गत ड्रग ट्रिटमेंट क्लीनिक (₹ 0.75 करोड़), 9. लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ टीबी एंड एलाईड डिजीजेस (₹ 5 करोड़), 10. बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट, दिल्ली (₹ 4.50 करोड़), 11. कोविड-19 वेक्सीनेशन फॉर हेस्थकेयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाईन वर्कर्स (₹ 32.30 करोड़), 12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 456.91 करोड़), 13. जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी (जीबीएस) (₹ 253.49 करोड़), 14. भारतीय मानक सलाहकार बोर्ड (₹ 0.08 करोड़), 15. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 115 करोड़), 16. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - मुख्यालय (पीएमएसएसएन से सहायता) – ₹ 2875 करोड़ – सामान्य ₹ 2185 करोड़ – अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – ₹ 460 करोड़ जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना – ₹ 230 करोड़ , (ii) योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान 1. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (₹ 0.65 करोड़), 2. नेशनल डुग डि-एडिक्शन प्रोग्राम - एनआईएमएचएएनएस, बैगलुरू स्थित ड्रग डि-एडिक्शन (01 ₹ करोड़), 3. अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 800 करोड़), 4. एनआईएमएचएएनएस, बैगलुरू (₹ 40 करोड़), 5. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 6. जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 7. इंडियन फार्माकोपिया कमिशन (₹ 0.80 करोड़), 8. पोस्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर (₹ 1.50 करोड़), (iii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. सेवा ग्राम स्थित मेडिकल कालेज की कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 10.67 करोड़), 2. नेशनल डुग डि-एडिक्शन प्रोग्राम (₹ 6 करोड़) – एम्स, नई दिल्ली स्थित ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर और एनआईएमएचएएनएस, स्थित ड्रग एडिक्शन सेंटर बैगलुरू (₹ 1.50 करोड़), 3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 872.10 करोड़), 4. नई दिल्ली टीबी सेंटर, नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़), 5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (जीबीएस) (₹ 50 करोड़), 6. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (जीबीएस) (₹ 644 करोड़), 7. जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुद्चेरी (जीबीएस) (₹ 644 करोड़), 8. लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ टीबी एंड एलाईड डिजीजेस . (₹ 5 करोड़), और 9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 200 करोड़), (iv) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: 1. अस्पताल और चिकित्सालयों की स्थापना के लिए -सीजीएचएस अस्पताल (171.74 करोड़ - आपुर्तियां और सामग्री - ₹ 148.58 करोड़ , व्यावसायिक सेवाएं – ₹ 03 करोड़ और अन्य प्रभार – ₹ 20.16 करोड़), 2. कायाकल्प योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों/संस्थानों को परस्कार – अन्य प्रभार (₹ 10.04 करोड़), 3. राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) दिल्ली (₹ 4.93 करोड़), 4. नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम (₹ 180.01 करोड़) (ईएपी), 5. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - कार्यालयी व्यय -(₹ 4.08 करोड़), 6. स्वास्थ्य सूचना एवं प्रबोधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण – नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिट्री – व्यावसायिक सेवाएं – ₹ 19.60 करोड़), 7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय - इमरजेंसी ईपीडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रैसपोंस – ईएपी – अन्य प्रभार – ₹ 27 करोड़), 8. एनआरएचएम – आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें रोटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेनसी डिसऑर्डर्सस कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से समर्थन (₹ 7.01 करोड़), 9. एनवीबीडीसीपी – के अंतर्गत आपूर्तियां और सामग्री – ₹ 89.75 करोड़ – आपूर्तियां और सामग्री, 10. ट्रांसफर ट्र रिजर्व फंड/डिपॉजिट एकाउंट - फंड फॉर ट्रासंफर ट्र पीएमएसएसएन – इंटरएकाउंट ट्रांसफर (₹ 3130.14 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) Medical Treatment - Central Government Pensioners - (₹ 309.83 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant, a token supplementary is sought. (i) Grants in aid General under the scheme 1. National Institute of Biologicals (₹ 3.05 Crore), 2. Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 10 Crore), 3. Telemedicine (₹ 6.50 Crore.), 4. Human Resources for Health & Medical Education -Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (₹ 127 Crore) 5. Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (₹ 12.75 Crore), 6. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 12 Crore.), 7. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio Vascular Disease and Stroke (₹ 10 Crore.) 8. National Drug De-addiction Programme (₹ 2.75 Crore) -Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2 Crore) and Drug Treatment Clinic under National Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 0.75 Crore.) 9. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 5 Crore), 10. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 4.50 Crore),11. COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 32.30 Crore), 12. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 456.91Crore.), 13. Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS)(₹ 253.49 Crore), 14. National Advisory Board for Standards (₹ 0.08 Crore), 15. Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 115 Crore), 16. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority - Headquarter (Support from PMSSN) - (₹ 121.14 Crore), 17. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority - Grants to Societies (Support from PMSSN) - ₹ 2875 Crore- General - ₹ 2185 Crore, Special Component Plan for SCs - ₹ 460 Crore, Tribal Area Sub-Plan - ₹ 230 Crore. (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme 1.National Institute of Biologicals (₹ 0.65 Crore), 2. National Drug De-addiction Programme - Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 1 Crore), 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 800 Crore), 4. NIMHANS, Bengaluru (₹ 40 Crore), 5. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 50 Crore), 6. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS)(₹ 95.50 Crore), 7. Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 0.80 Crore), 8. Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 1.50 Crore) (iii) Grants in aid Salaries under the scheme 1. Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (₹ 10.67 Crore), 2 National Drug De-addiction Programme (₹ 6. Crore) - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 4.50 Crore) and Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bengaluru, (₹ 1.50 Crore), 3. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 872.10 Crore), 4. New Delhi TB Centre, New Delhi (₹ 0.08 Crore), 5. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (GBS) (₹ 50 Crore.), 6. Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (GBS) (₹ 1200 Crore), 7. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (GBS)(₹ 644 Crore), 8. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 5 crore) and 9. Pradhan Mantri Swasthva Suraksha Yojana (GBS)(₹ 200 Crore) (iv) For meeting additional expenditure in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. Setting up of Dispensaries and Hospitals - CGHS Dispensaries - (₹ 171.74 Crore - Supplies & Materials - ₹ 148.58 Crore., Professional Services - ₹ 3 Crore. and Other Charges - ₹ 20.16 Crore) 2. Awards of Prizes to Govt. Hospitals/ Institutions under Kaya Kalp Scheme - Other Charges (₹ 10.04 Crore) 3. National Institute of Communicable Disease (National Centre for Disease Control) Delhi (₹ 4.93 Crore) 4. National AIDS and STD Control Programme (₹ 180.01 Crore)(EAP), 5 Central Drugs Standards Control Organization - Office Expenses - ₹ 4.08 Crore), 6. Strengthening of Health Information and Monitoring System - National Health Resource Repository - Professional Services - ₹ 19.60 Crore),

(c)

इस ₹ 3219.89 करोड़ व्यय को सीआरआईएफ में से पूरा किया जाएगा और इसमें ₹ 127 करोड़ नकदी भी खर्च होंगे।

(i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान 1. भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.02 करोड़), 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (कौशल विकास) (₹ 01 करोड़), 3. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 1.09 करोड़), 4. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (₹ 0.25 करोड़) (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली की योजनाओं के अंतर्गत पुंजीगत परिसंपत्ति के सुजन के लिए अनुदान (₹ 1.54 करोड़), (iii) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: 1. विश्व स्वास्थ संगठन समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना – व्यावसायिक सेवाएं – ₹ 88.59 करोड़), 2. आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, जिसमें शामिल हैं - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम - बिना विधान सभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय (पीएमएसएसएन) से सहायता (₹ 49.58 करोड़), 3. जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) - 13.25 करोड़ , 4. आरसीएच फ्लेक्सीबल पल जिसमें शामिल हैं - रूटीन इम्यनाइजेशन प्रोगाम पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन से समर्थन) - अन्य प्रभार (ईएपी) – (₹ 1.36 करोड़), 5. ट्रांसफर ट्र रिजर्व फंड/डिपाजिट एकाउंट – फंड फॉर ट्रांसफर ट्र पीएमएसएसएन – इंटर एकाउंट ट्रांसफर – (₹ 50.93 करोड़)।

₹ 50.93 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा किया जाएगा और इसके लिए कुछ भी नकदी बाहर नहीं जाएगी।

निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान - 1. रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इम्फाल (₹ 01 करोड़), 2. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - समितियों को अनुदान (पीएमएसएसएन से समर्थन) – ₹ 103.86 करोड़ , 3. एनआरएचएम – आरसीएच फ्लेक्सीबल पोल, जिसमें शामिल है रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम (पीएमएसएसएन से समर्थन (₹ 646 करोड़), 4. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्शीबल पोल, जिसमें शामिल हैं नेशनल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियेंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम (पीएमएसएसएन से समर्थन (ईएपी) - (₹ 25.23 करोड़), 5. एनआरएचएम -आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल – एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - (₹ 112.97 करोड़), 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्शीबल पूल - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 20.11 करोड़) और 7. कम्यूनिकेवल डिसिजेज (ईएपी) के लिए फ्लेक्शीबल पूल (₹ 89.75 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानः 1. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन - नई चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मौजुदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों को बढ़ाना (₹ 538.60 करोड़), 2. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 68.07 करोड़), 3. पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 113.69 करोड़), 4. क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल (₹ 76.36 करोड़), 5. कैंसर, मधुमेह, कार्डियो भस्कुलर डिसिजेज और स्टॉक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 10 करोड़), 6. एनआरएचएम – आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल - एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 3.03 करोड़), 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्शीबल पूल -एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 2.23 करोड़) (iii) संस्थानों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदानः- 1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 7.89 करोड़), और 2. आरक्षित निधि/निक्षेप खातों में अंतरण – पीएमएसएसएन को निधि अंतरण – अंतर लेखा अंतरण (₹ 1313.69 करोड़)।

₹ 1313.69 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा नहीं किया जाएगा और इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। 7. National Rural Health Mission - Expenditure in UTs - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP - Other Charges - ₹ 27 Crore) 8. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) - (₹ 7.01 Crore) ,9. Procurement of Supplies & Materials under - NVBDCP - ₹ 89.75 Crore- Supplies & Materials 10. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (₹ 3130.14 Crore)

The expenditure of ₹ 3219.89 crore will be met from CRIF and this will also entail a cash outgo of ₹ 127 crore.

(i) Grants in aid General under the scheme 1. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 4.02 Crore.), 2. National Institute of Health and Family Welfare. New Delhi Skill Development) (₹ 1 Crore), 3. International Institute of Population Sciences, Mumbai (₹ 1.09 Crore), 4. Population Research Centers (₹ 0.25 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 1.54 Crore) (iii) For meeting additional expenditure in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations:1. WHO Supported National Polio Surveillance Project - Professional Services - ₹ 88.59 Crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme -Expenditure in UTs without Legislature (Support from PMSSN (₹ 49.58 Crore) .3. Jansankhya Sthirita Kosh (JSK)- ₹ 13.25 crore), 4. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme(Support from Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) - Other Charges (EAP) -₹ 1.36 Crore) 5. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer - (Rs 50.93 Crore) This expenditure of ₹ 50.93 crore will be met from PMSSN (transferred from NIF) and this will not entail any cash out-go.

(i) Grants in aid General under the schemes 1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 1 Crore), 2. Ayushman Bharat -Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - National Health Authority -Grants to Societies $\,$ (Support from PMSSN) - $\stackrel{?}{ ext{ iny T}}$ 103.86 Crore., 3. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (Support from PMSSN (₹ 646 Crore.) 4. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Jodine Deficiency Disorders Control Programme (Support from PMSSN (EAP - (₹ 25.23 Crore)5. NRHM - RCH Flexible Pool -Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) -(₹ 112.97 Crore) 6. National Urban Health Mission Flexible Pool -Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 20.11 Crore) and 7. Flexible Pool for Communicable Diseases (EAP) -(₹ 89.75 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the following Schemes:-1. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (₹ 538.60 Crore) 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 68.07 Crore), 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 113.69 Crore), 4. Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl (₹ 76.36 Crore.), 5. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio Vascular Disease and Stroke (₹ 10 Crore.), 6. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 3.03 Crore), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 2.23 Crore) (iii) Grants in aid Salaries under the Institutions:-1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 7.89 Crore), and 2. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN - Inter Account Transfer -(₹ 1313.69 Crore).

This expenditure of ₹ 1313.69 crore will be met from PMSSN (transferred from NIF) and this will not entail any cash out-go.

(ঘ)

(ग)

(ङ)

(च)

(ज)

(i) संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण (₹ 313.40 करोड़), 2. राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन – आपातकालीन महामारी तत्परता और अनुक्रिया – ईएपी (₹ 717 करोड़), 3. एनआरएचएम - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेंसी डिस ऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 4608.31 करोड़), 4. एनआरएचएम - रूटीन इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिसियेंसी डिस ऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल (पीएमएसएसएन (ईएपी) से सहायता) (₹ 723.90 करोड़), 5. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल -एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 981.92 करोड़), 6. एफडब्ल्यू – अवसंरचना रखरखाव (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 5188.25 करोड़), 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्शीबल पुल - एनयएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 448.71 करोड़), 8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन – आपातकालीन महामारी तत्परता और अनुक्रिया – ईएपी (₹ 408 करोड़), (ii) संस्थानों/स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्थियों के सृजन हेतु अनुदान, 1. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन – नई चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों को बढ़ाना (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 4379.41 करोड़), 2. एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्शीबल पूल -एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 26.55 करोड़), 3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्शीबल पुल -एनयएचएम के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 49.88 करोड़), 4. आरक्षित निधि/निक्षेप खातों में अंतरण – पीएमएसएसएन में निधि अंतरण – अंतर लेखा अंतरण (₹ 14899.86 करोड़)।

₹ 14899.86 करोड़ का यह व्यय पीएमएसएसएन (एनआईएफ से अंतरित) से पूरा नहीं किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 162.01 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(च) निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत सामान्य अनुदान 1. राज्य इग विनियामक प्रणाली मजबूत करने के लिए (₹ 5.81 करोड), 2. स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण (₹ 14.30 करोड़), 3. राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता और प्रतिक्रियां- ईएपी (₹ 172 करोड़) 4. एनआरएचएम- रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें आरसीएच लचीला पुल, पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन कमी के विकार नियंत्रण इत्यादि (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 179.51 करोड़), 5. राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता और प्रतिक्रियां- ईएपी (₹ 172 करोड़), एनआरएचएम- रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें आरसीएच लचीला पुल, पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन कमी के विकार नियंत्रण इत्यादि (पीएमएसएसएन से सहायता) (₹ 0.16 करोड़), 6. एनआरएचएम- आरसीएच लचीला पूल-एनआरएचएम के अंतर्गत निहित अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों क्रियाकलापों के लिए (जीबीएस) (₹ 29.72 करोड़) 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लचीला पूल-एनयूएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 25.34 करोड़) और 8. एफडब्यू- अवसंरचना रखरखाब (पीएमएसएसएन से सहायता)- (₹ 84.73 करोड़), (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/योजनाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान 1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए मानव संसाधन- नये मेडिकल कॉलिज की स्थापना और मौजूदा सरकार कॉलिजों में सीटों की संख्या को बढ़ाना (पीएमएसएसएन से सहायता) - { ₹ 340.99 करोड़, (जिसमें से 310.95 करोड़ नकद व्यय है)}, 2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- आपातकाल महामारी तत्परता प्रतिक्रिया-ईएपी (₹ 172 करोड़), 3. एनआरएचएम- आरसीएच लचीला पूल- एनआरएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस)- (₹ 081 करोड़) 4. राष्ट्रीय शहीर स्वास्थ्य मिशन लचीला पूल-एनयूएचएम के अंतर्गत निहित क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (₹ 2.81 करोड़) 5. आरक्षित कोष/जमा खाता में अंतरण- पीएमएसएसएन में अंतरण के लिए कोष – अंतर खाता अंतरण (₹ 605.38 करोड़)।

पीएमएसएसएन से ₹ 605.38 करोड़ का व्यय होगा (एनआईएफ से अंतरण) और ₹ 310.95 करोड़) का नकद व्यय भी होगा।

(छ) राष्ट्रीय टिकाकरण कार्यक्रम और पोलियों निवारण को मजबूत करने के लिए उपकरण सहायता (अन्य अनुबंधी सेवाएं- 538 करोड़)

> 538 करोड़ रु. का व्यय पीएमएसएसएन से होगा (एनआईएफ से अंतरण के द्वारा) और इसमें कोई नकद व्यय होगा।

निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताएं 1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 1497.25 करोड़), तकनीकी 1. (i) Grants-in-aid General under the Institutions 1. COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 313.40 Crore), 2.National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 717 Crore), 3. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from PMSSN) - ₹ 4608.31 Crore), 4. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from PMSSN (EAP) - (₹ 723.90 Crore) 5. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 981.92 Crore), 6. FW -Infrastructure Maintenance (Support from PMSSN) - (₹ 5188.25 Crore), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 448.71 Crore), 8. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 408 Crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Institutions/Schemes 1. Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (Support from PMSSN) - (₹ 4379.41 Crore), 2. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 26.55 Crore), 3 National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 49.88 Crore.), 4. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN- Inter Account Transfer - (Rs 14899.86 Crore). The expenditure of ₹ 14899.86 crore will be met from PMSSN

section of the Grant, this will entail a cash out-go of ₹ 162.01 crore.

(i) Grants-in-aid General under the following Institutions 1.

Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 5.81 Crore), 2.

COVID 19 Vaccination for Health Care Workers and Frontline Workers (₹ 14.30 Crore), 3. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 172. Crore), 4.. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme etc. (Support from PMSSN) ₹ 179.51 Crore), 5. NRHM -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio

(transferred from NIF) and after utilizing savings under the same

Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. Support from PMSSN (EAP) ₹ 0.16 Crore), 6. NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (₹ 29.72 Crore) , 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 25.34 Crore), and 8. FW -Infrastructure Maintenance (Support from PMSSN) - (₹ 84.73 Crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Institutions/Schemes 1, Human Resources for Health & Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and increase of Seats in existing Govt. Medical Colleges. (Support from PMSSN) - [₹ 340.99 Crore, (out of which ₹ 310.95 crore is cash outgo)], 2. National Rural Health Mission - Emergency Epidemic Preparedness and Response - EAP (₹ 172 Crore), 3, NRHM - RCH Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 0.81 Crore), 4. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health System for activities covered under NUHM (₹ 2.81 Crore), 5. Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to PMSSN- inter Account Transfer -(Rs 605.38 Crore)

The expenditure of $\ref{thmodel}$ 605.38 crore will be met from PMSSN (transfer from NIF) and will also entail cash out-go of $\ref{thmodel}$ 310.95 crore.

Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (Other Contractual Service - ₹ 538 Crore)

The expenditure of ₹ 538 crore will be met from PMSSN (through transfer from NIF) and will not entail any cash out-go.

Additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Pradhan Mantri

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 282.75 करोड़), सांकेतिक अनुदान 1. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4 करोड़) 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 615.90 करोड़), 3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (₹ 5.26 करोड़), 4. अखिल भारतीय भौतिक दवाई एवं पुर्रउत्थान संस्था, सुम्बई (₹ 0.46 करोड़), 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज एवं श्रीमती एस.के. अस्तपताल नई दिल्ली (₹ 98.87 करोड़), 6. डॉटर राम मनोहर लोहिया स्नाकतोतर मेडिकल शिक्षा अनुसंधान शिक्षा नई दिल्ली (₹ 13 करोड़) 7. रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (₹ 1 करोड़) 8. केन्द्रीय अनुसंधान संस्था कसोली (₹ 6.48 करोड़) 9. एनसीडीसी शाखा और स्वाध्य पहल की मजबूती और स्थाना – जूनोटिक विमारी और अन्य उपेक्षित और लाक्षणिक रोग, वायरल हैपिटाइटिस्ट की देखरेख एंटी माइकरो- बायल प्रतिरोधी- (₹ 5.20 करोड़। 10. कलावती सरण शिशु अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 0.22 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1497.25 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(झ) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता 1. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 2 करोड़) और 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एस.के अस्पताल नई दिल्ली (₹ 1.20 करोड़)।

> सीआरईएफ के अंतर्गत अनुदान के इसी भाग से अपेक्षित बचतों से अतिरिक्त कोष की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा (जीबीएस से अंतरित) और इसमें नकद व्यय होगा।

(ट) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (जीबीएस) (₹ 50 करोड़)।

> सीआरर्डएफ के अंतर्गत अनुदान के इसी भाग से अपेक्षित बचतों से अतिरिक्त कोष की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा (जीबीएस से अंतरित) और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 1497.25Crore), Technical1. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 282.75 Crore), Token Grant 1. National AIDS and STD Control Programme (₹ 4. Crore), 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 615.90 Crore) , 3. Central Government Health Scheme (₹ 5.26 Crore) , 4. All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.46 Crore), 5. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi - ₹ 98.97 Crore), 6. Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Post Graduate Medical Education and Research, New Delhi (₹ 13 Crore.), 7. National Centre for Disease Control Programme (1 Crore), 8. Central Research Institute, Kasauli (₹ 6.48 Crore), 9. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter-Sectoral Coordination for Preparation and Control of Zoonotic Disease and Other Neglected Tropical Disease, Surveillance of Viral Hepatitis, Anti-microbial Resistance - (₹ 5.20 Crore), 10. Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (₹ 0.22 Crore)

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 1497.25 crore.

Additional requirement under the following Schemes. 1. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS)(₹ 2 Crore) and 2. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹ 1.20 Crore)

The additional requirement of funds will be met from out of the anticipated savings under CRIF (transferred to GBS) in the same section of the Grant, and will not entail cash outgo

For meeting the additional requirement under the following Scheme Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (GBS) (₹ 50 Crore) - Taking into Account the anticipated saving under CRIF in the same section of the Grant this will not entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		_		रोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2100.00	2100.00
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total	•••	2100.00	2100.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		2475.00	2475.00
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total		2475.00	2475.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4575.01	4575.01
राजस्व	Revenue		4575.01	4575.01
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	owing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोविड-19 के लिए महामारी विज्ञान के अध्ययन, परीक्षण किटों के वैधीकरण, ईक्यूए (बाहरी गुणवत्ता आश्वासन) आदि के कारण महामारियों के प्रकोपों से बचने के लिए उपकरणों के विकास शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4.97 करोड़ के अतिरिक्त व्यय (सामान्य सहायता अनुदान) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 4.97 crore under the Head Development of Tools to prevent outbreaks of Epidemics (Grant in aid General) on account of Epidemiological Studies, Validation of testing kits, EQA (External Quality Assurance), etc. for COVID-19.

मांग संख्या DEMAND NO 44 भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	Ţ	,			भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़	ह) (In ₹ crores) जोड़
					Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान	?	I. ORIGINAL GRANT:			ŭ			
राजस्व		Revenue				930.35		930.35
पूंजी		Capital				559.63		559.63
जोड़		Total				1489.98		1489.98
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व		Revenue				42.45		42.45
पूंजी		Capital						•••
जोड़		Total				42.45		42.45
इस समय आवश्य	ाक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now req	uired:				
राजस्व		Revenue				0.01		0.01
पूंजी		Capital				0.01		0.01
जोड़		Total				0.02		0.02
जोड़ (मूल और पृ	(रक)	Total (Original plus Supplementary)				1532.45		1532.45
राजस्व		Revenue				972.81		972.81
पूंजी		Capital			•••	559.64		559.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	ख्य शीर्षों के	अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted	l for un	nder the following Major Hea	d		
					भारित	स्वीकृत		जॊड़
					Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852-उद्योग		2852-Industries				0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6858-अभियांत्रि	क उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industrie	es			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				0.02		0.02
गर परक अनुरान	ि निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sur	nleme	entary Grants are required for	or:		
वह पूर्वा अनुदार (क) (a)		मों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता		орістте (a)	Meeting expenditure tow		-in-aid G	eneral (₹ 116.02
(1)	अनुदान (₹ 116.02 करोड़) क		(ω)	(4)	crore) under the scheme Enterprises'.			,
	अनुदान के इसी भाग में उपल् अनुदान मांगा जाता है।	तब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक			Taking into account the s the Grant, a token supplen	•		e same section of
(평) (b)	'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद हेतु (₹ 41 करोड़) का व्यय पूरा	ामों को सहायता' स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों करने के लिए।	(b)	(b)	Meeting expenditure towar under the scheme 'Suppor	rds Loans an	d Advanc	,
	, , ,	* 1			:: : : : : : : : : : : : : : : : : :			

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

	•	,	(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	্ ভার	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	7749.49	7749.52	
पूंजी	Capital		252.48	252.48	
जोड़	Total	0.03	8001.97	8002.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	•••		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		30.85	30.85	
जोड़	Total		30.85	30.85	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	8032.82	8032.85	
राजस्व	Revenue	0.03	7749.49	7749.52	
पूंजी	Capital		283.33	283.33	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Hea	nd:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		30.85	30.85	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत (₹ 30.00 करोड़), कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत (₹ 13 करोड़), आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत (₹ 7 करोड़) और (ii) कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (₹ 14.14 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

(i) National Disaster Response Force (NDRF) under Machinery and Equipment (₹ 30.00 crore), under Office Building (Major Works) (₹ 13 crore) and under Residential Building (Major Works) (₹ 7 crore) and (ii) National Institute for Disaster Management (NIDM) under Office Building (Major Works) (₹ 14.14 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 47 मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(,	,	(₹ करोड़) (In ₹ cro	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1140.38	1140.38
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	1140.38	1140.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		•••	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		100.84	100.84
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		100.84	100.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1241.22	1241.22
राजस्व	Revenue		1241.22	1241.22
पूंजी	Capital	***		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers		100.84	100.84

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एयर इंडिया को लंबित देयताओं को जारी करना (₹ 184.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 100.84 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

release of pending dues to Air India (₹ 184.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of $\ref{thm:property}$ 100.84 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये) (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021) (₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(र कर	ांड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	6.77	96743.93		96750.70
पूंजी	Capital	4.42	9854.45		9858.87
जोड़	Total	11.19	106598.38		106609.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:			
राजस्व	Revenue	23.79	0.01		23.80
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	<i>23.79</i>	0.02		23.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34.98	106598.41		106633.39
राजस्व	Revenue	30.56	96743.95		96774.51
पूंजी	Capital	4.42	9854.46		9858.88
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will	be accounted for under the	e following Major He	ads:	
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police	23.79 (कa) 0.01	(खb)	23.80
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			•	
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरॅक)	Total (Supplementary)	23.79	0.02		23.81

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(क) अन्य शुल्कों के अंतगर्त (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 022.011 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 0.03 करोड़) और (iii) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 1.75 करोड़) के लिए मध्यस्था अवार्ड की विभिन्न निपटान और अन्य दावों के लिए भुगतान करना।

> अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध सरेंडर किए गए बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सोसायटी (₹ 8.50 करोड़) और तटीय सुरक्षा के लिए संवैधानिक संगठनों को अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (ii) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 0.34 करोड़) (iii) अन्य शुल्कों के अंतर्गत अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) (₹ 42.99 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹ 73.08 करोड़) (v) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत फॉरिंसिक विज्ञान प्रयोगशाकों को सुदृढ़ करने के लिए (₹ 2.02 करोड़) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और अन्य शुल्कों के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए साइवर अपराध निवरण (₹ 16.50 करोड़) इन दो स्कमों को निर्भया निधि से वित्तपीषित किया जाता है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए
(i) आवासीय भवन के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) (₹ 7.40 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹ 97.45 करोड़) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
(₹ 50.69 करोड़) (ii) मोटर-वाहन के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (₹ 10.35 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण व्यूरो (बीपीआरएंडडी) (₹ 0.65 करोड़) (iii) मशीनरी और उपकरणों के अंतर्गत् राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (एनईटी ग्रिड) (₹ 52.38 करोड़), पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण व्यूरो (₹ 27.34 करोड़), विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) (₹ 0.10 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 9.99 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) making payment towards various settlement of arbitration award and other claims for (i) Border Security Force(BSF) (₹ 22.01 crore), (ii) Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 0.03 crore) and (iii) Special Protection Group (SPG) (₹ 1.75 crore) under Other Charges.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting expenditure towards (i) National Police Memorial Society (₹ 8.50 crore) and Statutory Organizations for Coastal Security (₹ 10.00 crore) under Grants-in-aid General, (ii) Special Protection Group(SPG) (₹ 0.34 crore) under Grants-in-aid-salaries (iii) Crime and Criminal Tracking Network Systems(CCTNS) (₹ 42.99 crore) under other charges, (iv) Delhi Police (₹ 73.08 crore) under Office Expenses and (v) Cyber Crime Prevention against Women and Children (₹ 16.50 crore) under Other Charges and Grants to Union Territories without Legislature for Strengthening of Forensic Science Labs under Grants-in-aid-General (₹ 2.02 crore), these two schemes are financed from Nirbhaya Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Central Academy for Police Training(CAPT) (₹ 7.40 crore), Delhi Police (₹ 97.45 crore) and Border Security Force(BSF) (₹ 50.69 crore) under Residential Buildings, (ii) Delhi Police (₹ 10.35 crore) and Bureau of Police Research and Development(BPR&D) (₹ 0.65 crore) under Motor Vehicles and (iii) National Intelligence Grid (NATGRID) (₹ 52.38 crore), Bureau of Police Research and Development(BPR&D) (₹ 27.34 crore), Special Protection Group(SPG) (₹ 0.10 crore) and Shashastra Seema Bal(SSB) (₹ 9.99 crore) under Machinery & Equipments.

मांग संख्या DEMAND NO 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समृह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ crore जोड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Onargou	VOICE		Total
राजस्व	Revenue	0.01	4611.89		4611.90
पूंज <u>ी</u>	Capital	0.07	622.36		622.36
्र ·· जोड़	Total	0.01	5234.25		5234.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:	0.07	0204.20		0204.20
रूप <i>न अपुरापः</i> राजस्व	Revenue				
पूंज <u>ी</u>	Capital	•••			•••
जोड़ जोड़	Total	•••			•••
ः इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	•••	•••		
राजस्व राजस्व	Revenue		0.05		0.05
पूंजी	Capital		0.06		0.06
जोड़	Total	•••	0.11		0.11
 जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5234.36		5234.37
राजस्व	Revenue	0.01	4611.94		4611.95
पूंजी	Capital		622.42		622.42
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		lead		
	ii. This oupplementary Grants will be accounted for under the	भारित	 स्वीकृत		সৌব্র
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(खb)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.01	(गc)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities		0.01	(घd)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(ङe)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.05		0.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(चf)	0.01
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing		0.01	(छg)	0.01
परिव्यय	, ,			(0,	
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी	4515-Capital Outlay on Other Rural Development		0.01	(जh)	0.01
परिव्यय	Programmes				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(झi)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(टj)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport		0.01	(ਠk)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.06		0.06
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.11		0.11
यह पुरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Gran	ts are required for			

(क)	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वोकेशनल एण्ड टैक्निकल एजुकेशन (सोवटेक)	(a)
	(₹ 3.00 करोड़) को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा	
	करना।	
	अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक	
	अनुदान मांगा जाता है।	
(ख)	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मेडिकल शिक्षण और अनुसंधान सोसाइटी	(b)
	(जीआईए-सामान्य- ₹ 1.40 करोड़ और जीआईए-वेतन ₹ 7.00 करोड़)।	
	अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक	
	अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ग)		(c)
(ग)	अनुदान मांगा जाता है।	(c)
(π)	अनुदान मांगा जाता है। पीबीएमसी के कर्मचारियों के वेतन,भत्तों,पेंशन आदि पर व्यय को पूरा करने हेतु	(c)

meeting additional requirement for releasing grants-in-aid to Society for Promotion of Vocational & Technical Education (SOVTECH) (₹ 3.00 crore)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional requirement for releasing grants-in-aid to Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (GIA -General- ₹ 1.40 crore & GIA-Salaries ₹ 7.00 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional requirement for releasing Grant-in-Aid Salaries to meet the expenditure on salary, wages, pension etc. of the employees of PBMC (₹ 18.55 crore).

	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक	
(ঘ)	अनुदान मांगा जाता है। "प्राकृतिक आपदाओं के चलते वाषिर्क व्यय" (₹ 5.30 करोड़) नए उप-शीर्ष के तहत कोविड-19 वैश्वविक महामारी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(d)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ङ)	खत्म की जा चुकी पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने हेतु जिला परिषद से जीआईए-वेतन जारी करना (₹ 8.65 करोड़)।	(e)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(च)	ब्वॉयज हॉस्टल,री-रुफिंग, दिव्यांगों के लिए रैम्प, वकुलतला आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)।	(f)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ন্ত)	कच्छल में 250 एमटीआरसीसी गोदाम और कमोरता में सीसी फुटपाथ और आरसीसी कंपाउन्ड निर्माण करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.90 करोड़)।	(g)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ज)	पंचायत निदेशालय की चलाही सिविल भवन कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.90 करोड़)	(h)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(펆)	विद्युत विभाग के निकट शिकायत सैल का निर्माण हेतु, सी/ वे और कच्चल में विद्युत विभाग हेतु री-रुफिंग, मरम्मत और पेंटिंग के लिए (₹ 0.20करोड़)। अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(i)
(ट)	जिला मार्गों (₹ 1.74 करोड़), जिला और अन्य मार्गों (₹ 1.00 करोड़) हेतु जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के निर्माण/ नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(j)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(장)	विभिन्न बस टिमिर्नस, पेसेन्जर हाल, बस शैड, क्वाटर और अन्य कार्यों (₹ 2.00 करोड़) के निर्माण नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(k)
	अनुदान के समान खण्डों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for COVID-19 pandemic under new sub-head "Annual Expenditure on account of Natural Calamities" (\mathfrak{F} 5.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

releasing GIA-Salary from Zilla Parishad to pay salaries to employees of abolished Panchayat Samities ($\stackrel{?}{*}$ 8.65 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for construction of Workshop Building, Boys Hostel, Re-roofing, Ramp for Divyang, Bakultala etc. ($\mathbf{\xi}$ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for construction of 250 MT RCC Godown at Katchal and C/o CC footpath and RCC compound wall at Kamorta (₹ 0.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for on-going civil building works of Directorate of Panchayat (₹ 0.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for construction of complaint cell of Electricity Department at Katchal ($\ref{thm:eq}$ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹ 1.74 crore), Tribal Area sub-plan for District & Other Roads (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, passenger hall, bus shed, quarters and other works (\mathfrak{T} 2.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 50 चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक

अनुदान की मांग की जाती है।

(See page	e 56 of the Demands for Gra	ants of Central Government	for the year 2	2020-2021)			
				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
। यस अनुहान	r	I. ORIGINAL GRANT:		Orlargeu	VOLEG		Total
<i>I. मूल अनुदान राजस्व</i>	•	Revenue		40.76	4603.20		4643.96
पूंजी				55.00	439.14		494.14
्र ^२ '' जोड़		Capital Total		<i>95.76</i>	5042.34		5138.10
			т.	93.70	3042.34		3136.10
पूरक अनुदान: राजस्व		SUPPLEMENTARY GRANT Revenue					
पूंजी				***			•••
्र ⁻ '' जोड़		Capital Total		•••			•••
	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	amount now real	irod:	•••		
राजस्व	नगरमान मा दूरमा अपुरात.	Revenue	amount now requ		0.07		0.07
पूंजी		Capital			0.09		0.09
जोड़		Total		•••	0.16		0.16
जोड़ (मूल और प्	गरक)	Total (Original plus Supplementa	arv)	 95.76	5042.50		5138.26
राजस्व	··/	Revenue	77	40.76	4603.27		4644.03
पूंजी		Capital		55.00	439.23		494.23
		II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	ਕਿਰ ਸਨਾ ਮੀਸ਼ੀਂ ਨੇ ਤ		100.20		10 1.20
		II. This Supplementary Grants w	· ·		r Head		
		ii. This Supplementary Grants w	iii be accounted	भारित	स्वीकृत स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		e.i.a.gea			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2014-न्याय प्रश	गसन	2014-Administration of Justice			0.01	(कa)	0.01
2070-अन्य प्रश		2070-Other Administrative Service	ces		0.01	(ग ं ड)	0.01
2202-सामान्य	_	2202-General Education			0.01	(गc)	0.01
2217-शहरी व <u>ि</u>		2217-Urban Development			0.01	(घd)	0.01
2245-प्राकृतिक		2245-Relief on account of Natura	al Calamities		0.01	(ङe)	0.01
3055-सड़क पर <u>ि</u>		3055-Road Transport			0.01	(चf)	0.01
3452-पर्यटन		3452-Tourism		•••	0.01	(छg)	0.01
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			0.07	, ,,	0.07
पूंजी भाग	•	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 4055-पुलिस पर	र पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		•••	0.01	(जh)	0.01
4059-लोक निम्	र्गाण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public W	/orks		0.01	(झi)	0.01
4210-चिकित्सा	और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical	and Public Healt	h	0.01	(टj)	0.01
4217-शहरी वि	कास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban De	evelopment	***	0.01	(ठk)	0.01
4250-अन्य साम	गाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other So	cial Services	***	0.01	(ड ।)	0.01
4403-पशुपालन	। पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal H	Husbandry		0.01	(ढm)	0.01
4406-वानिकी	और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry	and Wild Life		0.01	(णn)	0.01
4801-विद्युत प	रियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power P	rojects		0.01	(तo)	0.01
	रेवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Tra	ansport	***	0.01	(थp)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग))	Total (Capital Section)			0.09		0.09
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.16		0.16
	0.00))0)						
	न निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			entary Grants are required fo			
(क)		का भुगतान करने लिए और उच्च न्यायालय धि सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान	(a)	additional expenditure und			-
	जारी करने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।			Authority for payment of sa			
		-> >		and for High Court Legal S			·
	अनुदान क इसा भाग म उपलब्ध बचता अनुदान की मांग की जाती है।	को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		Taking into account the s	•		same section of
(ख)	•	ेलीए अन्य शुल्क के अंर्तगत अतिरिक्त	(b)	the Grant, a token supplent additional requirement und	-	-	secting COVID 10
(ख)	का।वड-19 क व्यय का पूरा करन क आवश्यकता। (₹ 9.63 करोड़)।	चाडु जन्म सुल्क क अंतर्गत आतीरक्त	(b)	expenditure (₹ 9.63 crore)		969 101 11	leeding COVID-19
		को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		Taking into account the s		hle in the	same section of
	अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बचता अनुदान की मांग की जाती है।	च्या ज्याच च रखरा हुए, एक साकातक पूरक		the Grant, a token supplen	-		Jame Section of
(ग)	•	को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति जारी करने के	(c)	additional requirement for	-	-	p for Post Matric
1.7	लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के वि		(5)	Scholarship for SC Studen			
	•					-,-	

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

		(-1)	and a single County in Aid to the Marininal Companyation Chanding
(ঘ)	वेतन भुगतान के लिए नगर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 75.00 करोड़)।	(d)	releasing Grants-in-Aid to the Municipal Corporation, Chandigarl for the payment of Salaries and various development works in the city (₹ 75.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	केंद्र शासित प्रदेश को आपदा कार्रवाई निधि के लिए और कोविड-19 महामारी के कारण व्यय को पूरा करने लिए अन्य प्रभार के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.50 करोड़)।	(e)	meeting additional requirement under other charges for Disaste Response Fund for UT and incurring the expenditure on account of Pandemic COVID-19 (₹ 10.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	वेतन भुगतान, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, व्यापक अनुरक्षण प्रभार तथा परिवहन विभाग	(f)	releasing Grants-in-Aid to Chandigarh City Bus Service fo
	के नगर वस सेवा समिति के लिए बसों की बीमा के लिए चण्डीगढ़ सिटी बस सर्विस को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 20.00 करोड़)।		payment of Salaries, POL, Comprehensive maintenance charges & Insurance of Buses for City Bus Services Society of Transport Department (₹ 20.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ন্ত)	केविड-19 के कारण लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने के कारण वेतन व्यय एवं क्षतिपूर्ति के लिए सिटको को एक बारगी सहायता अनुदान जारी करना (₹ 27.00	(g)	releasing one time Grants-in-Aid for salary expenses and compensation for CITCO due to waiving off License Fee toward:
	करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		COVID-19 (₹ 27.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(-)	अनुदान की मांग की जाती है।	4.	the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र सेना परिसर में 336 टाइप-।। आवासों के निर्माण, धनास में चण्डीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में 432 टाइप-।। आवासों के निर्माण के लिए	(h)	meeting additional requirement for construction of Type-II house in Chandigarh Armed Complex and Armed Police Complex a
	अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 12.22 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		Dhanas (₹ 12.22 crore). Taking into account the savings available in the same section of
	अनुदान की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	मॉडल जेल बुड़ैल के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 0.33 करोड़)।	(i)	meeting additional requirement for various development works of Model Jail Burail (₹ 0.33 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
(ट)	अनुदान की मांग की जाती है। मनिमाजरा में 16,100 बिस्तरों वाले अस्पताल, चण्डीगढ़ के सेक्टर-48 और सेक्टर-	(j)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for various development works of
(9)	22 में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के जीएमएसएच संबंधी विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के लिए (₹ 2.47 करोड़)।	U)	GMSH-16,100 bedded Hospital in Manimajra, 50 bedded Hospital in Sector-48 and Sector-22 in Chandigarh (₹ 2.47 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(হ)	मौजूदा ओवर हेडलाइन को 66 केवी भूमिगत डबल सर्किट में बदलने के लिए	(k)	meeting additional requirement for conversion of existing over
	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी कने के लिए। नई सड़क, 2 एमएलडी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नया सचिवालय भवन का निर्माण/सेक्टर-17, चण्डीगढ़ के पुनरुद्धार की		headline to 66 KV underground double circuit. Construction of new road, two Sewage Treatment Plant and new Secretariat Building
	एतिहासिक योजना विनिन्न जंक्शनों पर हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट, विभिन्न एनआरबी भवनों का पुनरुद्धार, पानी के पाइपलाइन की व्यवस्था करने और विछाने तथा लीजर वैली का लैण्डस्कैप करना और सड़क के किनारे दरारों		Holistic Plan for revitalization of Sector 17- Chandigarh, High Mas lighting and street lighting at various junctions, renovation of
	करन आर ।बछान तथा लाभर वला का लण्डस्कप करना आर सड़क का कनार दरारा को भरने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना (₹ 11.03 करोड़)।		various NRB Buildings, providing and laying of water pipeline etc and Landscaping in Leisure Valley and filling up gaps on the roadsides (₹ 11.03 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	सरकारी आईटीआई, सेक्टर-28 में निर्माण औ कैंटीन ब्लॉक का विस्तार करने, शौचालय और रैम्प आदि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पुरी करने	(I)	meeting additional requirement for construction and extension of
	शाचालय आर रम्प आदि का व्यवस्था करने के लिए आतारक्त आवश्यकता पूरा करन के लिए। सेक्टर-11, चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए सरकारी आईटीआई के विभिन्न विकास कार्यों के लिए (₹ 0.33 करोड़)।		canteen block, provision of toilet and Ramp etc. at Governmer I.T.I. Sector-28. Various development works of Government I.T. for Women in Sector-11, Chandigarh (₹ 0.33 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঙ)	विभिन्न गाँवों और क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.23 करोड़)।	(m)	meeting additional requirement for various development works of Veterinary Sub centres in various villages and sectors (₹ 0.2.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	बर्ड पार्क के निर्माण, वन विभाग और विभिन्न अन्य कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पुरी करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।	(n)	meeting additional requirement for construction of Bird park Forest Department and various other works (₹ 2.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सकितिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ন)	चंडीगढ़ में विभिन्न 66 केवी और 11 केवी के विकास कार्यों की अतिरिक्त	(o)	meeting additional requirement for various 66 KV and 11 KV
	आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 6.31 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		development works in Chandigarh (₹ 6.31 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(থ)	अनुदान की मांग की जाती है। सीटीयू कारखानों के विभिन्न विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के	(p)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for various development works of
	लिए (₹ 1.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक		C.T.U. Workshops (₹ 1.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of
	अनुदान की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 51 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये) (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2768.10	2768.10
पूंजी	Capital		752.42	752.42
जोड़	Total	***	3520.52	3520.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***		***
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3520.54	3520.54
राजस्व	Revenue		2768.10	2768.10
पूंजी	Capital	•••	752.44	752.44
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जा	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	llowing Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पक्षी अभयारण्य,जामपोर में "पक्षीशाला विहार" के निर्माण हकेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional requirement for construction of "Walk in Aviary" at Bird Sanctuary, Jampore (₹ 8.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 52

लद्दाख

LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Demands	for Grants for the year 20	020-2021)					
				0		<i>(₹ करॊ</i> :	ਭ) (Inੂ ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		সীর —
_				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान ——	:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व <u>∸</u>		Revenue			2331.72		2331.72
पूंजी ——		Capital			3626.28		3626.28
जोड़		Total			5958.00		5958.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी ————————————————————————————————————		Capital					
जोड़		Total			0.02		0.02
	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the ame	ount now requir	red:			
राजस्व संकी		Revenue			0.09		0.09
पूंजी जोड़		Capital			0.01		0.01
		Total		•••	0.10		0.10
जोड़ (मूल और पृ राजस्व	(रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	5958.12		5958.12
		Revenue		•••	2331.83		2331.83
पूंजी		Capital	0.703		3626.29		3626.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	~				
		II. This Supplementary Grants will be	e accounted fo	<u> </u>			
				भारित	स्वीकृत		সীর
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2053-जिला प्रश	ासन	2053-District Administration			0.01	(कa)	0.01
2055-पुलिस	D	2055-Police			0.01	(खb)	0.01
2202-सामान्य वि		2202-General Education			0.01	(गc)	0.01
	और जन स्वास्थ्य —	2210-Medical and Public Health			0.01	(घd)	0.01
2217-शहरी विक		2217-Urban Development			0.01	(ङe)	0.01
2401-कृषि कार्य		2401-Crop Husbandry		···	0.01	(चf) (च-ः)	0.01
2403-पशु पालन		2403-Animal Husbandry	in m	···	0.01	(ন্তg)	0.01
2406-खाद्य मङ 2801-विद्युत	ारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehous 2801-Power	ing	···	0.01	(जh) (टारं)	0.01 0.01
२००१-।वधुत जोड़ (राजस्व भा	ar\			···	0.01 0.09	(झi)	0.09
जाङ्ग (राजस्य ना <i>पूंजी भाग</i>	٠١)	Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION		•••	0.09		0.09
रू <i>ण गाण</i> मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
-	णि कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Worl	ko		0.01	(=;)	0.01
4059-लाक ानम जोड़ (पूरक)	ाण काया पर पूजागत पारव्यय	Total (Supplementary)	(5		0.01 0.10	(टj)	0.10
जाइ (पूर्य)		Total (Supplementary)			0.10		0.10
यह परक अनदान	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	nentary Grants are required for			
(क)		ी समिति को सहायता अनुदान जारी करने के	(a)	releasing Grants-in-Aid		hang F	Pashmina Grower
(' ')	लिए (₹ 3.00 करोड़)।	, ,	(4)	Cooperative Society (₹ 3.00	-		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savi	ings availabl	e in the	same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplementa	-		
(ख)		दिने के लिए कपड़े और टेंट के अंतर्गत अतिरिक्त	(b)	meeting additional expend	iture under	Clothin	g and Tentage to
	व्यय पूरा करने के लिए (₹ 25.70 क	ररोड़)।		purchase Uniforms for Polic	e Departme	nt (₹ 25.7	70 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ब	वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savi	ings availabl	e in the	same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplementa	ry is sought.		
(ग)		लाइन कक्षाओं के संचालन हेतु गेस्ट हाऊस	(c)	releasing Grants-in-Aid for e	engagement	of Guest	t house Facilities to
	सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान ज	जारी करना (₹ 2.20 करोड़)।		conduct online classes for U	Iniversity of	Ladakh (₹ 2.20 crore).
		वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sav	ings availabl	e in the	same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplementa	ry is sought.		
(ঘ)		ौर उपकरणों को खरीदने के लिए आपूर्ति और	(d)	meeting additional require	ment under	supplie	s and material to
	समग्रा क अतगत आतारक्त आवश्यकत	ता पूरी करने के लिए (₹ 5.50 करोड़)।		purchase Medicines and	equipmen	t for H	lealth Department
				(₹ 5.50 crore).			
		वचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the savi	-		same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplementa	-		
(ङ)	नगर निगम समिति का वतन क भुग लिए (₹ 0.32 करोड़)।	ातान के लिए सहायता अनुदान जारी करने के	(e)	releasing Grants-in-Aid for	payment o	t salarie:	s to the Municipal
	1818 (C 0.32 418)1			Committee (₹ 0.32 crore).			

	55	5	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	विभाग, करगिल (₹ 16.83 करोड़) और बागवानी विभाग (₹ 0.40 करोड़) हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 35.58 करोड़)।	(f)	meeting additional requirement for providing subsidies for Green House Projects (₹ 35.58 crore) i.e. for Agriculture Department Leh (₹ 18.35 crore), Agriculture Department Kargil (₹ 16.83 crore) and Hotriculture Department (₹ 0.40 crore).
(ন্ত্ৰ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। पशुओं के लिए चारे और दवाईओं के शीतकालीन भंडारण अर्थात पशुपालन विभाग (सब्सिडियों के अंतर्गत ₹ 1 करोड़) और भेड़ पशुपालन विभाग (आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत ₹ 4.52 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.52 करोड़)।	(g)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for Winter stocking of Fodder and Medicines for Animals (₹ 5.52 crore) i.e. Animal Husbandry Department (₹ 1.00 crore under subsidies) and Sheep Husbandry Department (₹ 4.52 crore under supplies & materials).
(ज)	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 19.08 करोड़)।	(h)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement under other charges for purchase of food grains by FCS & CA Department (₹ 19.08 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(झ) अन्य प्रभार-नया शीर्ष (₹ 121.33 करोड़) के अंतर्गत विद्युत की खरीद डीजल जनरेटर सेटों के संचालन और रखरखाव (₹ 29.97 करोड़-अन्य प्रभार) और मरम्मत और रखरखाव के लिए (लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत (₹ 5.37 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। यांत्रिकी विभाग द्वारा बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद के लिए अतिरिक्त (공) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

meeting additional requirement for purchase of power under other charges (₹ 121.33 crore), for running and maintenance of DG sets (₹ 29.97 crore - Other Charges) and for repair and maintenance (₹ 5.37 crore under Minor works).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement for purchase of snow clearance machines by Mechanical Department (₹ 50.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये) (See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Domanac	for Grants for the year	2020 2021)		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	र) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			1174.84		1174.84
पूंजी		Capital			201.62		201.62
जोड़		Total			1376.46		1376.46
पूरक अनुदान	:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.03		0.03
जोड़		Total			0.04		0.04
इस समय आवः	रयक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	unt now requ	uired:			
राजस्व		Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total		···	0.03		0.03
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		···	1376.53		1376.53
राजस्व		Revenue			1174.86		1174.86
पूंजी		Capital			201.67		201.67
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted	for under the following Major He	ad		
				भारित	स्वीकृत		जो ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	ातिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4801-विद्युत प	गरियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Project	cts		0.01	(खb)	0.01
5452-पर्यटन प	गर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूंजी भा	π)	Total (Capital Section)			0.02		0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	0.03		0.03
	0.00 ; ;0 ;						
	ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			lementary Grants are required for			
(क)		ादूरी/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए पंचायत को	(a)	releasing of Grants-in-A			
	सामान्य सहायता अनुदान जारी व	, (wages/remuneration of Swa		,	•
	अनुदान क इसा भाग म उपलब्ध अनुदान मांगा जाता है।	ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	•		ame section of the
(ज)	•	। आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु	(b)	Grant, a token supplementa meeting additional requir			an/ra construction/
(ख)	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने वे	9	(D)	•			
	आतारक्त आवश्यकता पूरा करन प	कालए (२ ७.२७ कराइ)।		special repairs to pow (₹ 0.20 crore).	ei ilouse/oi	ı Storayı	e buildings etc.
	अनटान के इसी भाग में उपलब्ध	ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	ings availah	e in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।	व वनता मा उनाम म रवत हुद, तामातम हूरम		Grant, a token supplement	•		anic section of the
(ग)	•	द्ध सुविधाओं आदि के निर्माण/पुनर्निर्माण/विशेष	(c)	meeting additional require			on/re-construction/
('/	मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	9	(0)	special repairs to tourist			
		Zarran and Comment		facilities etc. (₹ 6.00 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक		Taking into account the say	vings availab	e in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplement	•		
	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

मांग संख्या DEMAND NO 54 दिल्ली को अंतरण TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ कर <u>ो</u> ड़) (In		
		भारित	स्वीकृत	সীর	
		Charged	Voted	Total	
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस् व	Revenue		966.00	966.00	
ीं	Capital		150.00	150.00	
इ	Total		1116.00	1116.00	
क अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
नस्व नस्व	Revenue				
ी ।	Capital				
इ	Total				
समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
गस्व -	Revenue		149.99	149.99	
ते	Capital				
इ	Total		149.99	149.99	
ड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1265.99	1265.99	
गस्य	Revenue		1115.99	1115.99	
ît e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Capital		150.00	150.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाः	या जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
ब्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
02-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		149.99	149.99	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दिल्ली आपदो अनुक्रिया निधि को अंशदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 156.49 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 149.99 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 6.50 करोड़ का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

Grant-in-Aid General for meeting additional requirement for contributions to Delhi Disaster Response Fund (₹ 156.49 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 149.99 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 6.50 crore within the same section of the Grant, the

above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 57 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये) (See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Domanda	for Cranta for the year	2020 2021)	,	. 0			, ,
Demands	for Grants for the year	2020-2021)				(₹ करॉ	ोड़) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	·	নী র
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदानः	:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		103.81	36533.39		36637.20
पूंजी		Capital		44.82	21104.20		21149.02
जोड़		Total		148.63	57637.59		57786.22
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		•••	0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total			0.03		0.03
इस समय आवश्य	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	int now red	quired:			
राजस्व		Revenue			10000.03		10000.03
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total			10000.04		10000.04
जोड़ (मूल और पू	रक)	Total (Original plus Supplementary)		148.63	67637.66		67786.29
राजस्व		Revenue		103.81	46533.43		46637.24
पूंजी		Capital		44.82	21104.23		21149.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ग्	<u> ग</u> ुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted	d for under the following Major	Head		
				भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2216-आवास		2216-Housing		···	5350.00	(कa)	5350.00
2217-शहरी विव	गास	2217-Urban Development		•••	0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षे	त्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(गc)	0.01
	ान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Service	ces		0.01	(घd)	0.01
3601-राज्य सरव	कारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governm	ents		4650.00	(ङe)	4650.00
जोड़ (राजस्व भा	ग)	Total (Revenue Section)			10000.03		10000.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059-लोक निम	णि कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		•••	0.01	(चf)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		···	10000.04		10000.04
यह पूरक अनुदान	ि निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	plementary Grants are required	for:		
(क)		रित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत	(a)	subsidies under Cred			
		ा (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत (i) आर्थिक रूप		(i) Economically Weake	•	,	
		आय समूह (एलआईजी) (₹ 2850 करोड़) और		(₹ 2850.00 crore) and (•		, .
	मध्यम आय समूह (एमआईजी) (₹			crore) under Pradhan Ma	-		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई		Taking into account th			
	नकद व्यय नहीं होगा।			Capital Section of the G		e expen	diture will not entail
()	//		4.	any additional cash outg			
(ख)	.,	तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)	(b)	(i) for Public Health En	• • •	•	•
) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अन्य परियोजनाएं (₹ 0.01 करोड़) ।		crore) under Grants in a			
	अतगत पूवात्तर क्षत्र (एनइआर) म	अन्य पारयाजनाए (र 0.01 कराड़)।		Region(NER) under €	arants for Cr	eation	of Capital Assets
	अनदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		(₹ 0.01 crore).	eavinge availab	le in the	same section of the
	जाता है।	र रव रव रवत हैं रे सम्बद्ध रेंद्रम अर्थिस सामा		Taking into account the s	-		same section of the
(π)	पंजीयन अस्तियों के मन्न देन अ	नदान के अंतर्गत पर्वोत्तर थेन (एनर्ट्यार) में अपन	(c)	Grant, a token suppleme			ate in North East
(ग)		नुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य त्यों के मंजूरी हेतु नए शीर्ष खोलने के लिए	(c)	to clear pending liabi Region(NER) under 0			
	(₹ 18.55 करोड़)			(₹ 18.55 crore).	אומוונס וטו כו	calion	oi Capital ASSEIS
	,	बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the	savinne availah	le in the	same section of the
	जाता है।	The state of the s		Grant, a token suppleme	-		same section of the
(प्र ा)	fulfiller are officer at an and an	के लिए (i) एकाशन के शंतरीन लाशार्थी परिचय	/al\	(i) Ropoficiary Parichay			ion/7 27 50 orosa)

(i) Beneficiary Parichay Cards under Publication(₹ 37.50 crore),

(ii) Socio-Economic Profiling under Grants-in -aid (General)

(₹ 12.63 crore) and (iii) Socio-Economic Profiling under

Professional Services(₹ 1.50 crore).

निम्नलिखित नए शीर्षों को खोलने के लिए (i) प्रकाशन के अंतर्गत लाभार्थी परिचय (d)

कार्ड (₹ 37.50 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक

प्रोफाइलिंग (₹ 12.63 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक-

आर्थिक प्रोफाइलिंग (₹ 1.50 करोड़)

(ঘ)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ङ) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹ 1027.30 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 205.40 करोड़) सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के लिए राज्य सरकारों को किस्तों का भुगतान। (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अन्य परियोजनाओं के लिए नए शीर्ष खोलना

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(च) मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत वृंदावन योजना संख्या 2, लखनऊ में सीमा-चारदीवारी सहित कॉमन केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) payment of installments to State Governments for Pradhan Mantri Awas Yojna(PMAY) (Urban) including Scheduled Caste Component (₹ 1027.30 crore) and Scheduled Tribes Component (₹ 205.40 crore) under Grants for creation of Capital Assets and (ii) Other Projects in North East Region (NER) under Grants for Creation of Capital Assets.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting expenditure towards 'Purchase of land for construction of Common Central Secretariat including boundary wall at Vrindavan Yojana No. 2, Lucknow (₹ 61.00 crore) under Major Works.

मांग संख्या DEMAND NO 58 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(CCC page 72 of the Bellie	(coo page 72 of the Bornardo for Grante of Contract Covernment for the year 2020 2021)				
		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	•••	106040.74	106040.74	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		106040.74	106040.74	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		0.04	0.04	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.04	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		106040.78	106040.78	
राजस्व	Revenue		106040.78	106040.78	
पूंजी	Capital	•••			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ब्राया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	r the following Major Head			
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(কa) 0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc) 0.01	
अनुदान					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(घd) 0.01	
सहायता अनुदान	Total (Davisson Opation)		0.04	0.04	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.04	0.04	
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे द समायोजित किया जाता है !	•			
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account the r	ecoveries show	wn below, which are	
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		(-)2100.00	(-)2100.00	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		(-)2890.48	(-)2890.48	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)2850.11	(-)2850.11	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)98.03	(-)98.03	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)7938.62	(-)7938.62	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(ख)

(1)इन स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) सीटीएसए (₹ 10.90 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 1605.80 करोड़) (iii) एनसीईआरटी (₹ 84.92 करोड़) (iv) समग्र शिक्षा (₹ 17 करोड़), (v) एनवीएस (₹ 852 करोड़), (vi) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) (2) इन स्कीमों में वेतन सहायता अनुदान (i) एनवीएस (₹ 1970 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 2324.38 करोड़) (iii) राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 0.24 करोड़) (3) स्टार्स के स्कीम में विज्ञापन और प्रचार (प्रयोजन शीर्ष-26) (₹ 1 करोड़) (4) निम्नलिखित स्कीमों में व्यावसायिक सेवाएं (प्रयोजन शीर्ष-28) (i) स्टार्स (₹ 19.50 करोड़), (ii) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 5 करोड़) (5) निम्नलिखित स्कीमों में यूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35)) (i) एनवीएस (₹ 568 करोड़), (ii) केवीएस (₹ 270.50 करोड़) (iii) एनसीईआरटी (₹ 5 करोड़) (iv) सीटीएसए (₹ 1 करोड़), (v) समग्र शिक्षा (₹ 25.84 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(1) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) केवीएस (₹ 193.50 करोड़), (ii) एमडीएम (₹ 35 करोड़) (iii) समग्र शिक्षा The supplementary Grants are required for:

1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) Central Tibetan School Administration (CTSA) (Rs 10.90 crore), (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 1605.80 crore), (iii) National Council of Education Research and Training (NCERT) (₹ 84.92 crore), (iv) Samagra Shiksha (₹ 17 crore), (v) Navodaya Vidyalaya Sangathan (NVS) (₹ 852 crore), (vi) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 5 crore) 2.Grant in Aid Salary in the scheme (i) NVS (₹ 1970 crore), (ii) KVS (₹ 2324.38 crore) and (iii) National Bal Bhawan (₹ 0.24 crore). 3. Advertising and Publicity in the scheme of Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) (₹ 1 crore). 4. Professional Services in the scheme of (i) STARS (₹ 19.50 crore), (ii) Padna Likhna Abhiyan (₹ 5 crore) and 5. Grants for Creation of Capital Assets in the scheme (i) NVS (₹ 568 crore), (ii) KVS (₹ 270.50 crore), (iii) NCERT (₹ 5 crore), CTSA (₹ 1 crore) and (v) Samagra Shiksha (₹ 25.84 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) KVS (Rs 193.50 crore) , (ii) Mid-Day Meal (MDM) (₹ 35 crore),

(₹ 2785.40 करोड़) (iv) एनवीएस (₹ 20 करोड़), (v) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 10.26 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (i) एनवीएस (₹ 40 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 145.68 करोड़) (iii) केवीएस (₹ 4.50 करोड़) और (3) इन स्कीमों में वेतन सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-36) (i) केवीएस (₹ 39 करोड़), (ii) एनवीएस (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (1) प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरलेखा अंतरण (₹ 3187.88 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) एमडीएम (₹ 2806.84 करोड़), (ii) मदरसा/अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम (₹ 90.22 करोड़) (iii) स्टार्स (₹ 74.39 करोड़) (iv) समग्र शिक्षा (₹ 832.37 करोड़), (v) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 62.58 करोड़)। (3) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35) (i) स्टार्स (₹ 16.90 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 142.60 करोड़) और (iii) एमडीएम (₹ 43.27 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) (1) निम्नलिखित स्कीमों में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (i) एमडीएम (₹ 80 करोड़), (ii) समग्र शिक्षा (₹ 98.03 करोड़) और (iii) पढ़ना-लिखना अभियान (₹ 2.41 करोड़)। (2) निम्नलिखित स्कीमों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-35) (i) समग्र शिक्षा (₹ 90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (iii) Samagra Shiksha (₹ 2785.40 crore), (iv) NVS (₹ 20 crore),
(v) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 10.26 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) NVS (₹ 40 crore),
(ii) Samagra Shiksha (₹ 145.68 crore) and (iii) KVS (₹ 4.50 crore) and 3. Grants in Aid Salary under the scheme (i) KVS (₹ 39 crore) and (ii) NVS(₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh (₹ 3187.88 crore) 2. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) MDM (₹ 2806.84 crore), (ii) Education Scheme for Madrassas/Minorities (₹ 90.22 crore), (iii) STARS (₹ 74.39 crore) (iv) Samagra Shiksha (₹ 832.37 crore), (v) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 62.58 crore) and 3. Grants for Creation of Capital Asset in the Scheme of (i) STARS (₹ 16.90 crore) (ii) Samagra Shiksha (₹ 142.60 crore), and (iii) MDM (₹ 43.27)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of (i) MDM (Rs 80 crore) (ii) Samagra Shiksha (₹ 98.03 crore), (iii) Padhna Likhna Abhiyan (₹ 2.41 crore) and 2. Grant for Creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 90 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 59 उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये) (See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	,	भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़) (In ₹ cror</i> जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:	J	7000	
राजस्व	Revenue		52078.45	52078.45
पूंजी	Capital		2227.00	2227.00
जोड़ जोड़	Total		54305.45	54305.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		812.51	812.51
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		812.51	812.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		0.2.0	0.2.0
राजस्व	Revenue		4661.09	4661.09
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	4661.10	4661.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		59779.06	59779.06
राजस्व	Revenue		57552.05	57552.05
पूंजी	Capital		2227.01	2227.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	गया जायेगा [.]		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		1	
	,	भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		2480.95	(कa) 2480.95
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		2180.12	(खb) 2180.12
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(घd) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		4661.09	4661.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(ङe) 0.01
पर पूंजीगत परिव्यय	Culture			• •
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4661.10	4661.10
		र्शाई गयी वसूलियों को शामिल	नहीं किया गया है ि	जेन्हें व्यय में से घटाकर
	समायोजित किया जाता है !			
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account the	recoveries show	n below, which are
	adjusted in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		(-)2480.95	(-)2480.95
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	***	(-)2180.12	(-)2180.12
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)4661.07	(-)4661.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 189.64) और (ii) विश्व स्तरीय संस्थान (₹ 534.32) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 1951.50), (ii) डिम्ड विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 83 करोड़) और (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 1738.74 करोड़) 3. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्ति (₹ 66.32 करोड़) 4. निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) डिम्ड विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 53.82 करोड़) और ऋण की अकादिमक बैंक (₹ 5 करोड़) 5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत अन्य शुल्क (₹ 3.27 करोड़) और 6. माध्यिमक और उच्चतर शिक्षा कोर्ष के लिए अंतर लेखा अंतरण (₹ 2480.95 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

1. Grants for creation of Capital Assets under the following schemes-(i) Grant to Central Universities (₹ 189.64), and 9 ii) World Class Institutions (₹ 534.32 crore) 2. Grant in aid Salaries under the schemes (i) Grant to Central Universities (₹ 1951.50), (ii) Grant to Deemed University (₹ 83 crore) and (iii) University Grants Commission (UGC) (₹ 1738.74 crore) 3 Scholarship/ Stiends under the scheme Scholarship for College & university Students (₹ 66.32 crore) 4. Grants-in-aid General under the following schemes (i) Grants to Deemed University [₹ 53.82 Crore], and (ii)Academic Bank of Credits [₹ 5 Crore] 5 Other Charges under the scheme Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) ₹ 3.27 crore) and 6 Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (₹ 2480.95 crore)

(b)

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने पश्चात उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 37.03 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 180.12 करोड़) राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 2.97 करोड़), नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (₹ 1 करोड़), स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) (₹ 0.04 करोड़), पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति (₹ 24.39 करोड़), सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान (₹ 7 करोड़) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलोर- एचईएफए के ब्याज के भुगतान के लिए सहायता (₹ 1.10 करोड़), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता (₹ 0.66 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार-एचईएफए मूल सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 0.03 करोड़)।
 - (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान:-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) (₹ 75.30 करोड़), भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 32 करोड़), राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 1.60 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता ₹ 337.99 करोड़), भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी) (₹ 4.60 करोड़), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआई) को सहायता (₹ 227.84 करोड़), उद्धतर शैक्षिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल (₹ 67.50 करोड़), सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान (₹ 1 करोड़), शिक्षुता प्रशिक्षण मंडल, बांम्बे, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.65 करोड़)।
 - (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई (₹ 2.60 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹ 2000 करोड़)।
 - (iv) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण (₹ 2180.12 करोड़)।

अनुदान और इस तरह की वसूलियों के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 85.84 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹ 48.95 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 10 करोड़), विश्वविद्यालय अनुदान को सहायता (यूजीसी) (₹ 35 करोड़) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 8.92 करोड़) और पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति (₹ 1.50 करोड़)।
 - (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान:- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 87 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 5.20 करोड़)।
 - (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 24 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सिंहत अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 11.70 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में मेल खाने वाला बचत उपलब्ध है अत: इसके लिए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (घ) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजी सहायता अनुदान:- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (₹ 0.84 करोड़)
 - चूंकि अनुदान के इसी भाग में मेल खाने वाला बचत उपलब्ध है अत: इसके लिए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत ′मुख्य निर्माण कार्य': केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, (є मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) Grants-in-aid General under the following schemes:- Support to Indian Institutes of Management [₹ 37.03 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 180.12 Crore], National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 2.97 Crore], National Institutional Ranking Framework [₹ 1 Crore], Swachhta Action Plan (SAP) [₹ 0.04 Crore], PM Research Fellowship [₹ 24.39 crore], Training and Research in Frontier Areas [₹ 7 crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) Bangalore- Payment of HEFA Interest [₹ 1.10 crore], Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 0.66 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar-HEFA Principal [₹ 0.03 crore]
- (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 75.30 Crore], Support to Indian Institutes of Management [₹ 32 crore], National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 1.60 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 337.99 crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 4.60 Crore], Support to Indian Institute of Science Education & Research (IISER) [₹ 227.84 Crore], Startup India Initiative in Higher Educational Institutions [₹ 67.50 crore], Training and Research in Frontier Areas [₹ 1 crore], Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.65 Crore]
- (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 2.60 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 2000 crore]
- (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh: [₹ 2180.12 Crore]

 Taking into account the savings available within the same Section

of the Grant and matching recoveries, this will not entail any additional cash outgo.

- (c) (i) Grants-in-aid General under the following schemes:- Grants to Central Universities [₹ 85.84 Crore], Support to Indian Institutes of Technology [₹ 48.95 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 10 Crore], Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 35 crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 8.92 Crore], PM Research Fellowship [₹ 1.50 crore]
 - (iii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 87 Crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 5.20 Crore]
 - (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: Grants to Central Universities [₹ 24 Crore], Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 11.70 Crore]

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Grants in aid capital' under the following scheme: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) [₹ 0.84 crore]

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Major works' under the following scheme: Central Institute of Indian Languages, Mysore and Regional Language Centers [₹ 2 crore]

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75-76 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये) (See page 75-76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	•	_	_	(₹ करोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		8641.49	8641.49
र् रूजी	Capital	0.01	409.01	409.02
नोड़	Total	0.01	9050.50	9050.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	Revenue		0.01	0.01
र् गुजी	Capital			***
नोड़ ्	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amoun	t now required:		
राजस्व	Revenue		0.03	0.03
र् गुजी	Capital			
नो <i>ड़</i>	Total		0.03	0.03
बोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	9050.54	9050.55
राजस्व	Revenue		8641.53	8641.53
र् रजी	Capital	0.01	409.01	409.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be a	ccounted for under the following Major He	ead	
		भारित		जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
गु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required	for:	
	(एमडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं'			yi Water Disputes Tribuna
. (₹ 0.039 करोड़)।	•	(MWDT) (₹ 0.040 crore).		•
अनुदान के इसी भाग में उपलब्	ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	Taking into account the s	avings availab	le in the same section of th

जोड़ (राजस्व भाग	T) Total (Revenue Section)		•••	0.03	0.03
यह पूरक अनुदान	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants are required for:		
(ক)	नदी जल विवाद अधिग्रहण (एमडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 0.039 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	'Professional Services' unde (MWDT) (₹ 0.040 crore). Taking into account the savir Grant, a token supplementar	ngs available in tl	·
(ख)	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम के लिए वेतन सहायता अनुदान जारी (₹ 0.85 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants-in-aid Salaries for No and Land Management (NE Resource Development/Cap: Taking into account the savir Grant, a token supplementar	RIWALM) under acity Building (₹ (ngs available in tl	the scheme 'Human 0.85 crore).
(ग)	अतुल भूजल योजन (ईएपी कार्यक्रम) (₹ 25.01 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिँचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के लिए नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान (₹ 150 करोड़) और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों के नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान (₹ 155 करोड़)।	(c)	(i) Atal Bhujal Yojana (I (ii) Payment of Interest for Development Agency (NW Sinchayee Yojana (PMKSY) Interest subvention for N (₹ 155 crore).	EAP programm or NABARD loa VDA) under Pr) (₹ 150 crore) NABARD to st	n to National Water adhan Mantri Krishi and (iii) Payment of ates under PMKSY
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savir Grant, a token supplementar	•	ne same section of the

मांग संख्या DEMAND NO 62

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

					(₹ करो	ਫ਼) (In ₹ crores
			भारित	स्वीकृत	(1. 1/1/1	্র স্থান (১৮৮৮) জীব্ল
			Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व जस्व		Revenue		29268.46		29268.46
जी		Capital				
ोड़		Total		29268.46		29268.46
रक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व		Revenue				
ft		Capital				
ड़		Total	•••	•••		•••
प्त समय आवश्यक रकम नुमान:	ा का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व		Revenue		3249.64		3249.64
जी		Capital				
ोड़		Total	•••	3249.64		3249.64
ोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	•••	32518.10		32518.10
जस्व 🦷 🧎		Revenue	•••	32518.10		32518.10
जी		Capital	***			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिर		•••		•••
		II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		hed		
		II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	भारित	_{:au} स्वीकृत		जৌ ड़
			Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग		REVENUE SECTION	Onarged	Voled		Total
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
, ब्न सान 215-जलापूर्ति और स्व		2215-Water Supply and Sanitation		92.43	(= 0)	92.43
215-जलापूति जारे स्प 601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State Governments	***	2957.43	(कa) (खb)	2957.43
७७१-२ाज्य सरकारा का नुदान	त्रहानता	3001-Grants-in-aid to State Governments	•••	2937.40	(90)	2337.43
ु 602-संघ राज्य क्षेत्र की	सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		199.78	(गc)	199.78
ो सहायता अनुदान						
ोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)	•••	3249.64		3249.64
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे	र्शाई गयी वसूलियों को शामि	ाल नहीं किया गया है जि	न्हें व्यय में से घ	ाटाकर
		समायोजित किया जाता है!	not take into account th	a raceveries shows	بنطيب بينمامط	ah ara
		Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account tr	ie recoveries snowi	i below, write	cnare
ाजस्व भाग		adjusted in reduction of expenditure.				
।जस्य भाग		REVENUE SECTION				
- ·- CC A		2215-Water Supply and Sanitation		(-)92.43		(-)92.43
	ग्रमाग्रम	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)2957.43		(-)2957.43
601-राज्य सरकारों को	त्रहायता					
215-जलापूर्ति और स्व [.] 601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की		3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	•••	(-)199.78		(-)199.78
601-राज्य सरकारों को नुदान		3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments Total (Revenue Section)	 	(-)199.78 (-)3249.64		(-)199.78 (-)3249.64
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग)	सरकारों	Total (Revenue Section)		(-)3249.64		.,
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नहि	सरकारों लेखित हेतु अपेक्षि	Total (Revenue Section)	 oplementary Grants are	(-)3249.64 required for:	National P	(-)3249.64
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (सरकारों लेखित हेतु अपेक्षि i) जल जीवन ि	Total (Revenue Section) त है: The sup नेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (a)	 oplementary Grants are (i) providing additio	(-)3249.64 required for: onal allocation for		(-)3249.64
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (इकाई	सरकारों लेखित हेतु अपेक्षि i) जल जीवन ि के लिए अतिरित्त	Total (Revenue Section) त है:	pplementary Grants are (i) providing addition Unit under the so	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan M	lission (JJM	(-)3249.64 roject Manageme) (₹ 7.07 crore).
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (इकाई (ii) (ii)	सरकारों लेखित हेतु अपेक्षि i) जल जीवन ि के लिए अतिरित्त् ल जीवन मिशन	Total (Revenue Section) त है: मेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (a) क आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)। (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना	pplementary Grants are (i) providing addition Unit under the so transfer of fund to	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan N to Central Road an	dission (JJM) d Infrastruct	(-)3249.64 roject Manageme) (₹ 7.07 crore). ure Fund under t
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (इकाई (ii) (ii) ज	सरकारों लेखित हेतु अपेक्षि i) जल जीवन ि के लिए अतिरिस् ल जीवन मिशन (सीआरआईएफ)	Total (Revenue Section) त है: नेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (a) क आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)। (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना को निधि का अंतरण (₹ 92.43 करोड़)।	pplementary Grants are (i) providing addition Unit under the so transfer of fund to scheme Jal Jeev	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan N to Central Road an van Mission (JJM) (3	fission (JJM d Infrastruct ₹ 92.43 crore	(-)3249.64 roject Manageme) (₹ 7.07 crore). ure Fund under t
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (इकाई (ii) (ii) ज निधि चूंकिः	सरकारों विखित हेतु अपेक्षि j) जल जीवन ि के लिए अतिरिक्त ल जीवन मिशन (सीआरआईएफ) स्कीम के अंतर्गत	Total (Revenue Section) त है: पेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (a) के आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)। (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना को निधि का अंतरण (₹ 92.43 करोड़)। व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना से पूरा	pplementary Grants are (i) providing addition Unit under the so transfer of fund to scheme Jal Jeev Since the exper	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan N to Central Road an van Mission (JJM) (inditure under the s	lission (JJM d Infrastruct ₹ 92.43 crore cheme will	(-)3249.64 roject Manageme) (₹ 7.07 crore). ure Fund under t e). be met from fun
601-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) ह पूरक अनुदान निम्नि ह) (i) (क) (इकाई (ii) (ii) ज निधि चूकिः कर रि	सरकारों विखित हेतु अपेक्षि j) जल जीवन ि के लिए अतिरिक्त ल जीवन मिशन (सीआरआईएफ) स्कीम के अंतर्गत लेया जाएगा, अन्	Total (Revenue Section) त है: त है: पेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रवंधन (a) अवंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)। (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना को निधि का अंतरण (₹ 92.43 करोड़)। व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण से पूरा बुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 7.07 करोड़ की बचत को	pplementary Grants are providing addition Unit under the so transfer of fund to scheme Jal Jeev Since the exper transfer to Cer	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan N to Central Road an van Mission (JJM) (inditure under the s tral Road and In	dission (JJM d Infrastruct ₹ 92.43 crore cheme will frastructure	(-)3249.64 roject Management (* 7.07 crore). ure Fund under the (* 2). be met from fund fund, taking in
501-राज्य सरकारों को नुदान 602-संघ राज्य क्षेत्र की ो सहायता अनुदान ोड़ (राजस्व भाग) इ पूरक अनुदान निम्नि रें) (i) (क) (इकाई (ii) (ii) ज निधि चूंकिः कर रि	सरकारों विखित हेतु अपेक्षि j) जल जीवन ि के लिए अतिरिक्त ल जीवन मिशन (सीआरआईएफ) स्कीम के अंतर्गत लेया जाएगा, अन्	Total (Revenue Section) त है: पेशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (a) के आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 7.07 करोड़)। (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना को निधि का अंतरण (₹ 92.43 करोड़)। व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना से पूरा	pplementary Grants are providing addition Unit under the so scheme Jal Jeev Since the exper transfer to Cer account the savi	(-)3249.64 required for: onal allocation for cheme Jal Jeevan N to Central Road an van Mission (JJM) (inditure under the s	dission (JJM d Infrastruct ₹ 92.43 crore cheme will frastructure available in	(-)3249.64 roject Management (* 7.07 crore). ure Fund under (* e). be met from fur Fund, taking in the same section

- (ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना (ख) निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹ 2957.43 करोड़)। चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निर्धि को अंतरण से पूरा कर लिया जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना (ग) निधि (सीआरआईएफ) को निधि का अंतरण (₹ 199.78 करोड़)।
- transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 2957.43 crore).
- As the expenditure under the scheme will be met from funds transferred under the scheme from Central Road and Infrastructure Fund, the above expenditure will not entail any additional cash
- transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Jal Jeevan Mission (JJM) (₹ 199.78 crore).

(ii) (ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (क) सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत (₹ 7.50 करोड़) (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 11.50 करोड़) और (ग) जनजाति क्षेत्र उपयोजना घटक के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 6 करोड़)।

चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरित निधि से पूरा कर लिया जाएगा, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 25.00 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (ii) providing Grant-in-aid General under Swachh Bharat Mission (Gramin) (a) under Normal Programme (₹ 7.50 crore); (b) for opening new head of accounts for providing under Special Component Plan for Schedule Castes (₹ 11.50 crore);(c) for opening new head of accounts for providing under Tribal Area Sub Plan Component (₹ 6.00 crore).

As the expenditure under the scheme will be met from funds transfer to Central Road and Infrastructure Fund and taking into account the savings of ₹ 25.00 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 63

श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये) (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

					भारित	स्वीकृत	(र कराः	ड) (In ₹ crores जोड़ Tatal
। गर्स भर	737.2°	I. ORIGINAL GRANT:			Charged	Voted		Total
!. मूल अनु राजस्व	ζ¢/η.	Revenue				12021.49		12021.49
ांजारज गुंजी		Capital			***	44.00		44.00
्ा ग्रेड		Total			***	12065.49		12065.49
		SUPPLEMENTARY GRAN	τ.		•••	12000.49		12000.49
यूरक अनुद गजस्व	i/7.	Revenue	<i>'</i> .			4860.00		4860.00
गुंजी		Capital			***	4000.00		4000.00
र् नोड़		Total			***	4860.00		4860.00
	।।वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amount now	required:	•••	4000.00		4000.00
२५ सम्ब राजस्व	11444 (44) 41 2/4 913/11/11.	Revenue	amountnow	rioquilou.		0.03		0.03
ग ुंजी		Capital				0.00		0.00
् जोड़		Total				0.03		0.03
जोड़ (मूल उ	गौर परक)	Total (Original plus Supplement	arv)			16925.52		16925.52
राजस्व		Revenue	37			16881.52		16881.52
पूंजी		Capital				44.00		44.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	किन मह्य भी	र्षों के अंतर्गत दिख		11.00		11.00
		II. This Supplementary Grants v	- C			ior Head		
		II. This Supplementary Grants v	ill be accou	inted for diffder	भारित	ा । eau स्वीकृत		जৌ ड
					Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ाग	REVENUE SECTION			ona.gou	, 0.00		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
9	रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and	Skill Develo	nment		0.01	(कa)	0.01
-2552-पूर्वो		2552-North Eastern Areas	Okim Bovolo	pinon	•••	0.01	(खb)	0.01
	राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments			0.01	(गc)	0.01	
जोड़ (राजस्	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total (Revenue Section)	,			0.03	(/	0.03
			T			•		
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			•	nts are required		:- 0	! / * 000 00
(क)	आत्मानमर भारत राजगार याजना (ग सहायता अनुदान (₹ 900 करोड़) का व्यय	एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सम्बन्धाः	(a)	Meeting expenditure towards Grant-in-aid Gener under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar \				•
		ंको ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक						same section of th
	अनुदान मांगा जाता है।	नग व्याप म रखत हुए, तामातम पूर्व		-	oken supplemen	-		same section of the
(ख)	•	(एबीआरवाई)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य	(b)		• • •			General (₹ 100.0
(4)	**	ाय पूरा करने के लिए और (ii) 'कर्मचारी	crore) under the scheme 'Aatmanirbi				•	
	, , ,	के अंतर्गत अंशदान (₹ 73.00 करोड़) हेत्						ontribution (₹ 73.0
	व्यय पूरा करने के लिए।	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			under the sc	-		Pension Schem
	अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचते	ं को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		. ,		avings availahl	e in the s	same section of th
	अनुदान मांगा जाता है।			•	oken supplemen	•		5 5 5 5 5 5 6 7 1
(ग)	•	तामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.42 करोड़)	(c)	Meeting	• • •	ards Grant-in-	aid Gene	eral (₹ 0.42 cror
	,	ं को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक						same section of th
	अनुदान मांगा जाता है।	4 4 8 21 1/4		9				

मांग संख्या DEMAND NO 64 विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

	·			(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत		সৌর 		
/ 	L ODIOINAL ODANT:	Charged	Voted		Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		0.150.00		0.450.00		
राजस्व पूंजी	Revenue		2150.00		2150.00		
^{पूजा} जोड़	Capital	•••	200.00		200.00		
	Total		2350.00		2350.00		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व <u>∸ २</u>	Revenue						
पूंजी	Capital						
जोड़	Total						
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:						
अनुमान: राजस्व	Devenue		10.00		40.00		
पूंजी	Revenue Capital		10.00 86.00		10.00 86.00		
^{रू आ} जोड़	Total		96.00		96.00		
नाः जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2446.00		2446.00		
जाङ्ग (मूल जार पूरक) राजस्व	Revenue		2160.00		2160.00		
		•••					
पूंजी	Capital		286.00		286.00		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया ज						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the f						
		भारित	स्वीकृत		সীর —		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments	•••	10.00	(कa)	10.00		
अनुदान पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
रू <i>णा नाग</i> मुख्य शीर्ष							
५७५ राप 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर	MAJOR HEAD		00.00	(-)	00.00		
4070-अन्य प्रशासानक सवाआ पर पुंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		86.00	(खb)	86.00		
गोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	96.00		96.00		
	(
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई ग	ायी वसूलियों को शामिल नहीं	किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटाक	र		
	समायोजित किया जाता है !	•					
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are						
	adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments	•••	(-)10.00		(-)10.00		
अनुदान			.,		.,		

(a)

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पर अतिरिक्त व्यय को परा करना।

> निर्भया फण्ड से ₹ 10 करोड़ के वसूलियों के खातों सहित उपर्युक्त व्यय में और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हैं।

(ख) (ii) नौरोजी नगर, दिल्ली में भवन की खरीद हेतु एनवीसीसी को भुगतान करना लखनऊ और कोलकाता में आईटीएटी बेंच हेतु भवन का निर्माण और अहमदाबाद में भूमि की खरीद हेतु।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को जमा करने के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च निहित नहीं हैं।

The supplementary Grants are required for:

 meeting additional expenditure on Fast Track Special Courts under National Mission for Safety of Women.

Taking into account the recoveries of ₹ 10 crore from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ii) for making payment to NBCC for purchase of building in Nauroji Nagar, Delhi, construction of building for ITAT bench in Lucknow and Kolkata and purchase of land in Ahmedabad.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 65 निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़) (In ₹ cror		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		269.00	269.00	
पूंजी	Capital		1.00	1.00	
जोड़	Total		270.00	270.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital		•••	•••	
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		5.00	5.00	
जोड़	Total		5.00	5.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		275.01	275.01	
राजस्व	Revenue		269.01	269.01	
पूंजी	Capital		6.00	6.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow	owing Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
_		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		5.00	5.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मतदाता जागरूकता को बढाने हेतु देश में क्षेत्रीय हब केन्द्रों की स्थापना / निर्माण पर त्र्यय करने हेतु अनुपूरक की आवश्यकता है

राजस्व खंड के तहत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह अनुपूरक किसी भी नकद आउटगो की मांग नहीं करता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on creation/construction of regional Hub Centres in the country for increasing voters awareness.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 66 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(111)	,	,	(₹ कर	ਹੋੜ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	, লী <u>র</u>
		Charged	Voted	Total
<i>।.विनियोग:</i>	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	308.61		308.61
पूंजी	Capital		***	***
जोड़	Total	308.61		308.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	19.39		19.39
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	19.39	•••	19.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	328.00	•••	328.00
राजस्व	Revenue	328.00		328.00
पूंजी	Capital	•••		
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted	for under the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	19.39		19.39

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 10.04 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 9.35 करोड़) के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting expenditure under Salaries (₹ 10.04 crore) and Office Expenses (₹ 9.35 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				भारित	स्वीकृत	(र करा	इ) (III र CIOIES) जोड़
					-		
	_	LODICINAL OBANT		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान 	1 :	I. ORIGINAL GRANT:			75.40.00		75.40.00
राजस्व पूंजी		Revenue			7513.20		7513.20
^{पूजा} जोड़		Capital			59.00		59.00
		Total		•••	7572.20		7572.20
पूरक अनुदान.	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व : 0		Revenue			0.02		0.02
पूंजी 		Capital		•••	500.00		500.00
जोड़		Total			500.02		500.02
	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now require	d:			
राजस्व पूंजी		Revenue			0.02		0.02
^{पूजा} जोड़		Capital			500.00		500.00
		Total		•••	500.02		500.02
जोड़ (मूल और ' 	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	8572.24		8572.24
राजस्व 		Revenue		***	7513.24		7513.24
पूंजी		Capital			1059.00		1059.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंतर	ति दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	e accounted for	*_ *	_		_
				भारित	स्वीकृत		স <u>্</u> যার
		DEVENUE OF OTION		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष 2552-पूर्वोत्तरः	भेत	MAJOR HEAD 2552-North Eastern Areas			0.01	(कa)	0.01
2332-पूर्वातार 2851-ग्राम एवं		2851-Village and Small Industries		***	0.01	(पक्ष) (खb)	0.01
^{2001-ग्राम एप} जोड़ (राजस्व भ	9	Total (Revenue Section)		***	0.01	(an)	0.02
जाङ्ग (राजस्य न <i>पूंजी भाग</i>	1141)	CAPITAL SECTION		***	0.02		0.02
रूपः गाः मुख्य शीर्ष							
-	obaji na n i bara nbana	MAJOR HEAD	m Araaa		100.00	(π-)	400.00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय 	4552-Capital Outlay on North Easter			100.00	(गc)	100.00
405 ।-ग्राम एव जोड़ (पूंजी भाग	लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and S	Small industries		400.00	(घd)	400.00
जोड़ (पूरक)	,	Total (Capital Section) Total (Supplementary)		***	500.00 500.02		500.00 500.02
जाङ्ग (पूरप)		Total (Supplementally)		•••	300.02		300.02
यह पूरक अनुदा	न निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplem	entary Grants are required f	or:		
(事)		म के अंतर्गत अंशदान (₹ 130.41 करोड़) हेतु व्यय	(a)	Meeting expenditure towa		tion (₹ 13	0.41 Crore) under
. ,	पूरा करने के लिए।	. , , , , ,		the scheme 'Distressed As		,	,
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	। बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	vings availab	le in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplement	tary is sought		
(ख)	(i) 'क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी	और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत	(b)	(i) Meeting expenditure to	wards Subsi	dies (₹ 65	52.88 crore) under
	सब्सिडियों (₹ 652.88 करोड़) हे	तु व्यय पूरा करने के लिए (ii) 'अवसंरचना विकास		the scheme 'Credit link	ed Capital	Subsidy	and Technology
		र्णत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय		Upgradation Scheme', (ii)	Meeting ex	penditure	towards Grant-in-
		वना विकास और क्षमता निर्माण – ईएपी घटक'		aid Salary (₹ 10.00 cr			
		ा अनुदान (₹ 8.71 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के		Development and Capac	-		
		योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों (₹ 80.33		towards Grant-in-aid Ger	-		
	करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए	1		'Infrastructure Developm	ent and C	Capacity	Building - EAP
				Component' and (iv) M (₹ 80.33 crore) under the s	eeting expe	nditure to	owards Subsidies
		। बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	vings availab	le in the s	•
()	अनुदान मांगा जाता है।	£ £ . (3 400	(-)	Grant, a token supplement			20
(ग)	लिए।	र्गत निवेश (₹ 100 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के	(c)	Meeting expenditure towar scheme 'Fund of Funds'.	as Investmer	าt (₹ 100.0	υ crore) under the
		बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें		Taking into account the	surrender o	of savings	available in the
	कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होग	πι		Revenue Section of the G	rant, the abov	ve expend	diture will not entail

'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 400 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के

अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें

कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ঘ)

any additional cash outgo;

scheme 'Fund of Funds'.

additional cash outgo;

Meeting expenditure towards Investment (₹ 400.00 crore) under the

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue of the Grant, the above expenditure will not entail any

मांग संख्या DEMAND NO 68 **खान मंत्रालय**

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		ं , (₹ करोड़		रोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	নী র
		Charged	Voted	Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ाजस्व	Revenue		1737.04	1737.04
ज ि	Capital		114.36	114.36
गेड़	Total		1851.40	1851.40
र्रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	Revenue			
ज ि	Capital			
गोइ	Total			
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
ाजस्व	Revenue		0.01	0.01
जी	Capital			
गेड़	Total		0.01	0.01
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1851.41	1851.41
ाजस्व	Revenue		1737.05	1737.05
् जी	Capital		114.36	114.36
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
ुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
			0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'भारत स्वर्ण खान लिमिटेड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards Grant-in-aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'Bharat Gold Mines Ltd.'.

मांग संख्या DEMAND NO 69

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		_	(₹ करोड़) (In ₹ crores,		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4868.98	4868.98	
पूंजी	Capital		160.02	160.02	
जोड़	Total		5029.00	5029.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5029.01	5029.01	
राजस्व	Revenue	•••	4868.99	4868.99	
पूंजी	Capital		160.02	160.02	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fo				
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.20 करोड़) 🛭

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under the scheme Hamari Dharohar

मांग संख्या DEMAND NO 70 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये) (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

					(In ₹ cror	
		भारित	स्वीकृत		जो ड़	
		Charged	Voted		Total	
'. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
पाजस्व	Revenue		5701.00		5701.00	
र् जी	Capital		52.00		52.00	
बोड़	Total		5753.00		5753.00	
पुरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
 ाजस्व	Revenue		0.01		0.01	
र् जी	Capital					
बो ड़	Total		0.01		0.01	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01		0.01	
ज ि	Capital		118.00		118.00	
ोड़	Total	•••	118.01		118.01	
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5871.02		5871.02	
जस्व	Revenue		5701.02		5701.02	
जी	Capital		170.00		170.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Maje	or Head			
		भारित	स्वीकृत		जो ड़	
		Charged	Voted		Total	
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	(कa)	0.01	
्ंजी भाग	CAPITAL SECTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- ।810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy		118.00	(खb)	118.00	
नोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		118.01	` '	118.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- ह) (i) सौर-विद्युत (ऑफ-ग्रिड) (₹ 75.00 करोड़), अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप ((अनुसंधान और विकास) (₹ 18.00 करोड़) और राष्टीय जैव ऊर्जा संस्थान (₹ 0.41 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
 - (ii) अनुसंधान और विकास (₹ 11.00 करोड़) और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (₹ 0.94 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कार्यालय भवन-अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण के व्यय हेतु अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 118.00 करोड़)।
 अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्गण को ध्यान में रखते हुए, इसमें

The supplementary Grants are required for:

- (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Solar Power (Off-grid) (₹ 75.00 crore), Research and Development Activities (Research and Development) (₹ 18.00 crore) and National Institute of Bio Energy (₹ 0.41 crore).
 - (ii) Providing Grant-in-aid General for Research and Development Activities under the scheme Research and Development) (₹ 11.00 crore) and National Institute of Bio Energy (₹ 0.94 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional expenditure for construction of Office Building -Atal Akshay Urja Bhawan (₹ 118.00 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 71 पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये) (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		900.94	900.94	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	***	900.94	900.94	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01	
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	***	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		900.96	900.96	
राजस्व	Revenue		900.96	900.96	
पूंजी	Capital	***		•••	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जारे	गेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the followed	lowing Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (ii) पंचायतों को प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.18 करोड़) प्रदान करने के लिए।
- (i) विज्ञापन और प्रचार स्कीम के अंतर्गत समाचार पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशनों को जारी करने के लिए व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (ii) providing Grants-in-aid General under the scheme -Incentivisation of Panchayat (\P 3.18 crore).
- providing additional funds to meet expenditure towards printing and issue of publications of News Magazines under the scheme -Advertising and Publicity (₹ 2.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Doman	ds for Grants for the year	2020 2021)	,	1 3			,
Demand	ds for Grants for the year	2020-2021)				(₹ करॊड़	·) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	•	जोड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		73.32	1532.96		1606.28
पूंजी		Capital		3.65	144.61		148.26
जोड़		Total		<i>76.97</i>	1677.57		1754.54
पूरक अनुद	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total		•••	0.02		0.02
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now re	quired:			
राजस्व		Revenue			69.31		69.31
पूंजी		Capital			1.47		1.47
जोड़	_	Total			70.78		70.78
जोड़ (मूल अ	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		<i>76.97</i>	1748.37		1825.34
राजस्व		Revenue		73.32	1602.28		1675.60
पूंजी		Capital		<i>3.65</i>	146.09		149.74
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों वे	ज्ञंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will b	e accounte				_
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
_	वालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services			0.01	(कa)	0.01
2051-लोक		2051-Public Service Commission			27.79	(खb)	27.79
2055-पुलिस		2055-Police			41.50	(गc)	41.50
	प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्य	व भाग)	Total (Revenue Section)		•••	69.31		69.31
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	स पर पूंजी परिव्यय र्किक के स्वर्	4055-Capital Outlay on Police		***	1.46	(ङe)	1.46
	निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Work	S	***	0.01	(चf)	0.01
जोड़ (पूंजी १	नाग)	Total (Capital Section)		···	1.47		1.47
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	70.78		70.78
ਹਵ ਧਰਨ ਕਰ	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sunr	olementary Grants are required for	nr.		
नहरूर । (क)		सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के सृजन	(a)	National Recruitment Agen		der Grants	s- in -Aid General
(10)	के लिए अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय	•	(α)	Grants- in- Aid Salaries ar	• . ,		
	11.11.1.13.11.11.11.11.11.1.1X.1.1	(1.1.2)		(₹ 1.00 crore)		0.000.0	or capital riccold
	अनदान के इसी भाग में उपलब्ध	बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	vings availabl	e in the sa	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।	, X		Grant, a token supplement	-		
(ख)	व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत	कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) (₹ 27.79	(b)	Staff Selection Commissi			essional Services
,	करोड़)।	· · · / ·	()	(₹ 27.79 crore).	, ,		
	अनुदान के राजस्व (भारित) में उप	ालब्ध ₹ 2.38 करोड़ राशि की बचतों के अभ्यर्पण		Taking into account the	surrender o	f savings	available in the
	•	.41 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।		Revenue (Charged) of ame ₹ 25.41 crore.		-	
(ग)	_ 6,	वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए	(c)	meeting expenditure unde		ead for C	Central Bureau of
	(₹ 41.50 करोड़)।			Investigation (₹ 41.50 crore	•		
	, ,	में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते		Taking into account the		-	
	हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्य	य नहा होगा।		Revenue(Charged) Section		ant, the a	bove expenditure
()	(:)	(# 0) (ii) 	(-1)	will not entail any additiona	•	(IIDA)	d (i) O- ' '
(ঘ)	(1) सामान्य सहायता अनुदान	(₹ 2 करोड़), (ii) वेतन सहायता अनुदान	(d)	Indian Institute of Public A	aministration	(IIPA) un	der (i) Grants- in-

Aid General (₹ 2 Crore), (ii) Grants-in- Aid Salaries (₹ 1.00 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the

and (iii) Grants for Creation of Capital Assets(₹ 7.00 Crore).

Grant, a token supplementary is sought.

(₹ 1 करोड़) और (iii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोड़) के

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)।

अनुदान मांगा जाता है।

- (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय, आवास भवनों का निर्माण के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.46 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए आईएसटीएम के लिए (₹ 10 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद तथा भवनों का निर्माण (₹ 10 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- meeting expenditure for Comprehensive Modernization & Purchase of land/ construction of office/residence buildings for Central Bureau of Investigation(CBI) (₹ 1.46 Crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue(Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (i) Augmentation of Training Facilities at Institute of Secretariat Training and Management(ISTM) under Major Works (₹ 10.00 Crore) and (ii) Purchase of Land & Construction of Building for various benches of Central Administrative Tribunal (CAT) under Major Works (₹ 10.00 Crore).

मांग संख्या DEMAND NO 75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				_{हरोड़}) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	42722.00	42722.00
पूंजी	Capital		907.00	907.00
जोड़	Total		43629.00	43629.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		3184.00	3184.00
जोड़	Total		3184.01	3184.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		46813.02	46813.02
राजस्व	Revenue		42722.02	42722.02
पूंजी	Capital	•••	4091.00	4091.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	नायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the f	ollowing Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) (क) एलपीजी हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र सिहत देय अन्य सब्सिडी (₹ 40.79 करोड़) (ख) परियोजना प्रबंधन व्यय (₹ 22.64 करोड़) और (ग) बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर परिसर को फीडस्टॉक सब्सिडी (₹ 1700 करोड़) के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।
- (ii) रणनीतिक कच्चा तेल भंडार (ओएण्डएम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 23.24 करोड़)।
- (iii) (कं) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापट्टनम (₹ 250 करोड़) (ख) ऊर्जा के उत्कृष्टता केन्द्र, वेंगलुरू की स्थापना (₹ 30 करोड़) (ग) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना (₹ 5 करोड़) के अंतर्गत पुंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds for Subsidies under (a) Other subsidy payable including for North Eastern Region for LPG (₹ 40.79 crore); (b) Project Management Expenditure (₹ 22.64 crore) and (c) Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Cracker Complex (₹ 1700.00 crore)
- (ii) providing Grants-in-Aid General under the Scheme Payment to ISPRL for Strategic Crude Oil Reserve (O&M) (₹ 23.24 crore).
- (iii) providing Grants for Creation of Capital Assets under (a) Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE) Vishakhapatnam (₹ 250.00 crore); (b) Establishment of Centre of Excellence for Energy, Bangalore (₹ 30.00 crore); (c) Establishment of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT), Assam (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 76 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये) (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़) (In ₹ crore.		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		649.22	649.22	
पूंजी	Capital	***	0.78	0.78	
जोड़	Total		650.00	650.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		120.00	120.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		120.00	120.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		770.02	770.02	
राजस्व	Revenue		769.24	769.24	
पूंजी	Capital	•••	0.78	0.78	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	नायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the f	ollowing Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		120.00	120.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सेतु सिहत अटल अभिनवता मिशन (ऐम) स्कीम (₹ 38 करोड़) (ii)सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) हेतु जायका के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) (₹ 87 करोड़) और (iii)ईएचआरएम और अन्य व्यय के क्रियान्वयन हेत राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था अनुसंधान और विकास सस्थान (निलेर्ड) (₹ 0.50 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आबंटन को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इससे नकद व्यय ₹ 120 करोड़ होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (SETU) (₹ 38 crore) (ii) Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (SDGs) (₹ 87 crore) and (iii) National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 0.50 crore) for implementation of EHRM and other expenditure.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 120 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 77 विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		0	•	(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	ज ोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		19833.20	19833.20
पूंजी	Capital	***	2048.08	2048.08
जोड़	Total	•••	21881.28	21881.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue		403.51	403.51
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		403.51	403.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		22284.79	22284.79
राजस्व	Revenue		20236.71	20236.71
पूंजी	Capital		2048.08	2048.08
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major Head		
		भारित	स्वीकृत	जॊ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(কa) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power		403.50	(खb) 403.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	403.51	403.51
		नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नः	हीं किया गया है जिन्हें [:]	त्र्यय में से घटाकर समायोजित
	किया जाता है !	.,		
	Note: The above estimates of additional requirement	ts do not take into account the re	coveries shown be	elow, which are adjusted
	in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801-विद्युत	2801-Power		(-)403.50	(-)403.50

यह पूर	क अनुदान	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	Т
(क)		एकीकृत विद्युत विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	(a
		अनुदान के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 130.00 करोड़)।	
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	
		जाता है।	
(ख)	(i)	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – बदरपुर थर्मल विद्युत केंद्र के भुगतान स्कीम के	(b
		अंतर्गत अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 32.15	
		करोड़)	
	(ii)	एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए निधि	
		प्रदान करना (₹ 20.00 करोड़)।	
	(iii)	विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	
		अनुदान के लिए निधि प्रदान करना (₹ 250.00 करोड़)।	
	(iv)	संघ राज्य क्षेत्र और गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियम आयोग (जेईआरसी) की	
		स्थापना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.90 करोड़) और वेतन	
		सहायता अनुदान (₹ 0.89 करोड़) प्रदान करना।	
	(v)	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन (₹ 0.88 करोड़), चिकित्सा उपचार	
		(₹ 0.13 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 0.66 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय	
		(₹ 0.01 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 0.97 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि	
		प्रदान करना।	
	(vi)	विद्युत अपील अधिकरण स्कीम (एपीटीईएल) के अंतर्गत चिकित्सा उपचार	
		(₹ 0.10 करोड़) और किराया, दर और कर (₹ 5.68 करोड़) के लिए अतिरिक्त	

सुवन श्री लोअर परियोजना (एनएचपीसी) (₹ 105.00 करोड़) के डाउन स्ट्रीम

सुरक्षा कार्य के लागत के लिए नए स्कीम अनुदान के अंतर्गत् पूंजीगत आस्तियों के

सृजन के अनुदानों को बढ़ावा देने के लिए निधि प्रदान करना।

(vii)

The supplementary Grants are required for:

 (a) providing additional funds for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Integrated Power Development Fund (₹ 130.00 crore).

- (b) (i) providing additional funds for Other Contractual Service under the scheme Payment to South Delhi Municipal Corporation-Badarpur Thermal Power Station (₹ 32.15 crore).
 - (ii) providing Funds for Grants-in-aid General under the scheme Integrated Power Development Scheme (₹ 20.00 crore).
 - (iii) providing funds for Grants for creation of Capital Assets under the scheme Power System Development Fund (₹ 250.00 crore).
 - (iv) providing funds for Grants in aid General (₹ 0.90 crore) and Grant in aid Salaries (₹ 0.89 crore) under the scheme Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for UTs and Goa.
 - (v) providing additional funds for Salaries (₹ 0.88 crore), Medical Treatment (₹ 0.13 crore), Minor Work (₹ 0.66 crore), Other Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) and Office Expenses (₹ 0.97 crore) under the Central Electricity Authority.
 - (vi) providing additional funds for Medical Treatment (₹ 0.10 crore) and Rent Rates and Taxes (₹ 5.68 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL).
 - (vii) providing funds for augmentation of Grants of Creation of Capital Assets under the new scheme grant towards cost of downstream protection work of Subansiri lower project (NHPC) (₹ 105.00 crore).

- (viii) नई केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटीलिटी सृजन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.75 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 6.25 करोड़) के लिए निधि प्रदान करना।
- (ix) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि स्कीम के अंतर्गत (क) कार्यालय के अचल संपत्ति प्राप्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सूजन हेतु अनुदान (₹ 150.00 करोड़) (ख) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।
- (x) विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण (₹ 250.00 करोड़)
 - चूंकि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और विद्युत प्रणाली विकास निधि स्कीम के अंतर्गत होने वाले व्यय को सीईआरसी निधि (₹ 153.50 करोड़) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (₹ 250.00 करोड़) को अंतरित निधियों से पूरा किया जाना है। अत: उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (viii) providing funds for Grants in aid General (₹ 1.75 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 6.25 crore) under the new scheme Creation of Central Transmission Utility (CTU).
- (ix) providing additional funds for (a) Grant for creation of Capital Assets (₹ 150.00 crore) for acquiring immovable property for the office, (b) Grants in aid General (₹ 2.00 crore) and (c) Grant in aid salaries (₹ 1.50 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Fund.
- (x) inter account transfer under the scheme Power System Development Fund (₹ 250.00 crore) .
 - As the expenditure under the schemes Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and Power System Development Fund will be met from funds transferred to CERC Fund (₹ 153.50 crore) and Power System Development Fund (₹ 250.00 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 79

लोक सभा LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			, (₹ करोड़) (I	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.30	809.80	811.10
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.30	809.80	811.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.30	809.81	811.11
राजस्व	Revenue	1.30	809.81	811.11
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		d:	
	.,	भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on subsidies(₹ 0.75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 83 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98-99 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 98-99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			भारित		स्वीकृत	(₹ करॉ	র) (In ₹ crores) সীর
			Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		onangou				
राजस्व	Revenue		497.00		283481.64		283978.64
पूंजी	Capital		102.63		237526.79		237629.42
जोड़	Total		599.63		521008.43		521608.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		555.55		0		<u></u>
राजस्व	Revenue				520.00		520.00
पूंजी	Capital				100.00		100.00
जोड़	Total		•••		620.00		620.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now					
•	required:						
राजस्व	Revenue						
पूंजी	Capital		336.00		0.01		336.01
जोड़	Total		336.00		0.01		336.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		935.63		521628.44		522564.07
राजस्व	Revenue		497.00		284001.64		284498.64
पूंजी	Capital		438.63		237626.80		238065.43
	।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ।	मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants/Appro	~		er the fol	llowing Major	Heads:	
			भारित		स्वीकृत		जৌ ड़
			Charged		Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी	5002-Capital Outlay on Indian Railwa	ays -	336.00	(कa)			336.00
परिव्यय	Commercial Lines						
7002-रेलवे को ऋण	7002-Loans to Railways				0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		336.00		0.01		336.01
यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित			entary Grants/Appr	•			
	ा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान को ध्यान में रखते हुए ₹ 336 करोड़ का तकनीकी	(a)	•				urt decrees. Taking
क स्थाकृत मार्ग म उपलब्ध बचता र पूरक मांगा जाता है। और	का व्यान म रखत हुए र 330 कराड़ का तकनाका			•			on of the Grant, a
र्रक माना आया हा आर			technical supplem	nentary f	or ₹ 336 crore	is sough	nt; and
(II) (II) (II) (II) (III) (III) (III)	प्तर के किए विशेष कर्णा के उस हैं ₹ 62000	(h)	mandalina a l	of (:\ ∓ (22 000 252	IC=-	ial Lagra for COVID
* *	राल के लिए विशेष ऋण' के रूप में ₹ 63000 19-20 में प्रतिकृल शेष राशि के परिसमापन हेतु	(b)		. ,			ial Loan for COVID
कराड़ आर (॥) लाक लखा क ZU	ाङ-८0 म प्रातकूल राष राशि क पारसमापन हतु		related resource	yap an	u (11) x 10,38	o crore	towards liquidating

adverse balance occurred in Public account in 2019-20. Taking

into account the savings available in the same section of the Grant,

a token supplementary is sought.

₹ 16,398 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध

बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

मांग संख्या DEMAND NO 84 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100-101 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये) (See page 100-101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		भारित	-	<i>(₹ करोड़) (In ₹ cror</i> जोड़
			स्वीकृत Voted	ખાક Total
I 1111 2 1 12 1 2	I. ORIGINAL GRANT:	Charged	voted	iotai
l. मूल अनुदान: राजस्व			40000 00	40000.00
ाजस्य गुंजी	Revenue		19686.29	19686.29
_{्र} ा बोड़	Capital	10.00	160471.61	160481.61
	Total	10.00	180157.90	180167.90
(रक अनुदान: 	SUPPLEMENTARY GRANT:			
ाजस्व -0	Revenue	***	0.01	0.01
जी }	Capital	***	156.92	156.92
ोड़ 	Total	•••	156.93	156.93
स समय आवश्यक रकम का रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
जस्व - ∩	Revenue	•••	0.02	0.02
जी ोड़	Capital	***	16220.00	16220.00
· _	Total		16220.02	16220.02
ोड़ (मूल और पूरक) प्रवास	Total (Original plus Supplementary)	10.00	196534.85	196544.85
जस्व	Revenue	•••	19686.32	19686.32
जी	Capital	10.00	176848.53	176858.53
977 7		भारित Charged	स्वीकृत Voted	সীর Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
ुख्य शीर्ष १९५४	MAJOR HEAD			(=)
054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	***	0.01	(कa) 0.01
055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	***	0.01	(खb) 0.01
ोड़ (राजस्व भाग) 	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02
्ंजी भाग	CAPITAL SECTION			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर जीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		4970.00	(πc) 4970.00
054-सड़क और पुलों पर जीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		11250.00	(घd) 11250.00
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		16220.00	16220.00
गेड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	16220.02	16220.02
		दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल ग	नहीं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटाकर समायोजित
	Note: The above estimates of additional requirements do in reduction of expenditure.	o not take into account the r	ecoveries shown be	elow, which are adjusted
 ंजी भाग	CAPITAL SECTION			
् ज़ि भाग	CAPITAL SECTION			
, 6054-सड़क और पुलों पर ज़िगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		(-)6220.00	(-)6220.00

यह पूरक अनुदान	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplem	entary Grants are required for:
(क)	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) में 'छोटे कार्य' (₹ 134 करोड़)	(a)	additional expenditure under 'Minor Works' (₹ 134 crore) and 'Inter
	और अंतर खाता अंतरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 134 करोड़)।		Account Transfer' to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 134 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	प्रतिपूर्ति सलाकार सेवा के लिए 'व्यवसायिक सेवा' (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय	(b)	(i) 'Professional Services' for Reimbursable Advisory Services
	सामान्य गतिशिलता कार्ड में सामान्य अनुदान जारी करना (एनसीएमसी)		(₹ 10 crore). (ii) release of Grants-in-aid General to implement
	(₹ 10 करोड़)।		National Common Mobility Card (NCMC) (₹ 10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the savings available in the same section of the
	जाता है।		Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत -जीबीएस से वित्तपोषित के	(c)	(i) additional expenditure on 'Major Works' under the scheme of
	लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 4510 करोड़) (ii) सड़क विंग के अंतर्गत		Special Accelerated Road Development Programme -financed from
	सड़क विकास कार्य के लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय-जीबीएस से वित्तपोषित		GBS (₹ 4510 crore). (ii) additional expenditure on 'Major Works' for

(₹ 460 करोड़)।

(घ)

उपर्युक्त में ₹ 4970 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।

भातीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 6500 करोड़) और भारत माला परियोजना के लिए (₹ 50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग वास्तवित कार्य के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 3586.50 करोड़) (iii) वामपंथी चरम पंथी प्रभावित क्षेत्र में सड़क जोड़ने के विकास के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 30 करोड़) (iv) राष्ट्रीय राजमार्ग वास्तविक कार्य-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना- के अंतर्गत मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹ 3140 करोड़) (v) एनएचएआई में विनिवेश के लिए सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹ 6550 करोड़) (vi) अन्य योजनाओं के लिए सीआरआईएफ में अंतर खाता अंतरण (₹ 3464.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए (₹ 12071 करोड़) और वसूलियों के द्वारा व्यय को मिलाने के लिए (₹ 6220 करोड़), इसमें निवल नकद ₹ 5030 करोड़ का प्रभाह होगा। Road Development Works under Road Wing -financed from GBS (\ref{eq} 460 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4970 crore.

(i) 'Investment' in National Highways Authority of India (NHAI) financed from CRIF (₹ 6500 crore) and for Bharatmala Pariyojana (₹ 50 crore). (ii) additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works financed from CRIF (₹ 3586.50 crore). (iii) additional expenditure on 'Major Works' under Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremist Affected Area (₹ 30 crore). (iv) additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan -finance from CRIF (₹ 3140 crore). (v) 'Inter Account Transfer' to CRIF for Investment in NHAI (₹ 6550 crore). (vi) 'Inter Account Transfer' to CRIF for other schemes (₹ 3464.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of Grant (₹ 12071 crore) and expenditure to be matched by recoveries (₹ 6220 crore), this will entail a net cash outgo of ₹ 5030 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 85 **ग्रामीण विकास विभाग**

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

	•	भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
। ग्रन अन्तरानः	I. ORIGINAL GRANT:	Charged	VOIGU	Iotai
<i>l. मूल अनुदान:</i> राजस्व	Revenue		198026.19	198026.19
पूंजी	Capital		100.00	190020.19
्र जोड़	Total	•••	198126.19	198126.19
•	SUPPLEMENTARY GRANT:		190120.19	190120.19
पूरक अनुदान: राजस्व	Revenue		113771.50	113771.50
पूंजी		***		113771.50
^{त्रुवा} जोड़	Capital Total	***	 113771.50	113771.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		•••	113771.30	113771.50
अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		33057.84	33057.84
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	33057.84	33057.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		344955.53	344955.53
राजस्व	Revenue		344855.53	344855.53
पूंजी	Capital	•••	100.00	100.00
	।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख		.00.00	100.00
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		lead	
	n. This Supplementary Stants will be accounted for unde	भारित	.ट्यं स्वीकृत	जॊ ॾ
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	ona.gou	70.00	
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing		2684.00	(कa) 2684.00
	2501-Special Programmes for Rural Development		0.01	(खb) 0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment		10557.83	(गc) 10557.83
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		1950.00	(ঘd) 1950.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		17438.29	(ङe) 17438.29
अनुदान				,
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		427.71	(चf) 427.71
को सहायता अनुदान				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	33057.84	33057.84
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे इ समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do			
	adjusted in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2216-आवास	2216-Housing		(-)2684.00	(-)2684.00
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	***	(-)7000.00	(-)7000.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	(-)1950.00	(-)1950.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments	***	(-)17438.29	(-)17438.29
अनुदान 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)427.71	(-)427.71
को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)29500.00	(-)29500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण
 - (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए निधि प्रदान करना (₹ 2684.00 करोड़) चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (i) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)(₹ 2684.00 crore).
- (ii) meeting expenditure under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 2684.00 crore).

As the expenditure under the scheme will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund and savings are available in the same section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(c)

(e)

(f)

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत ब्याज वित्तीय सहायता के लंबित (b) दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त आवंटन (₹ 350.00 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 7000.00 करोड़)
 - (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के लिए निधि अंतरण (₹ 10000.00 करोड़)

चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत व्यय को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अनुदान के राजस्व भाग (₹ 6442.17 करोड़) और पूंजी भाग (₹ 100.00 करोड़) में उपलब्ध अभ्यर्पण बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय में ₹ 3457.83 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 1950.00 करोड़)
 - (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण (₹ 1950.00 करोड़) चूंकि स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा इसलिए उक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) (i) आत्मिनर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)

(iii)

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 14438.29 करोड़)

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना

- निधि को निधि अंतरण (₹ 14438.29 करोड़)
 चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम (₹ 14438.29 करोड़) और
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹ 3000.00 करोड़) के
 अंतर्गत व्यय को क्रमश: केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि और राष्ट्रीय रोजगार
 गारंटी निधि को निधि अंतरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसलिए उक्त व्यय
 में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए गांव उद्यमशीलता 'स्टार्टअप' कार्यक्रम के लिए नए लेखा-शीर्ष खोलना (₹ 1.30 करोड़)
 - प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आसितयों के सुजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 427.71 करोड़)
 - (iii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधि अंतरण (₹ 427.71 करोड़)

चूंकि पीएमएवाई – ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत व्यय को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरित निधि के माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 429.01 करोड़ की अभ्यर्पण बचत को देखते हुए उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा। additional expenditure for settlement of claims of Interest Subvention under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 350.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 7000.00 crore).
- (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund
 (₹ 10000 00 crore)

As the expenditure under the scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme will be met from National Employment Guarantee Fund, taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section (₹ 6442.17 crore) and Capital Section (₹ 100.00 crore) of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 3457.83 crore.

- (i) Providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Rural (₹ 1950.00 crore)
- (ii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 1950.00 crore).

As the expenditure under the scheme will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme as per Atmanirbhar Bharat Abhiyan Package 3.0 (₹ 3000.00 crore);
 - (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore)
 - (iii) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore); As the expenditure under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna -Rural (₹ 14438.29 crore) and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (₹ 3000.00 crore) will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund and National Employment Guarantee Fund respectively, the above expenditure will not entail any cash outgo.
 - (i) opening new head of account Village Entrepreneurship 'Start-up' Programme for providing Grants-in-aid General to UT of Jammu & Kashmir under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 1.30 crore):
 - (ii) provinding Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural (₹ 427.71 crore).
 - transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 427.71 crore):

As the expenditure under the scheme PMAY-Rural will be met through transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund, taking into account the surrender of savings of ₹ 429.01 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86 भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये) (See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	ि) (In ₹ crores) जॊड
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			g			
राजस्व	Revenue				2251.24		2251.24
पूंजी	Capital						
जोड़ जोड़	Total				2251.24		2251.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue				0.01		0.01
पूंजी	Capital						
जोड़ जोड़	Total				0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now require	ed:				
राजस्व	Revenue	•			0.02		0.02
पूंजी	Capital						
जोड़	Total			•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			•••	2251.27		2251.27
राजस्व	Revenue			•••	2251.27		2251.27
पूंजी	Capital						
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	T:			
	II. This Supplementary Grants will be	•			ead		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rura	I Development			0.01	(कa)	0.01
2506-भू सुधार	2506-Land Reforms				0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)				0.02		0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sunnler	nentary Grants	are required fo	or.		
	म से कृषि नमनीयता हेतु जलविभाजकों को	(a)	,	•		iuvenatino	Watersheds for
	के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना	(4)	Agricultural			Innovativ	
(₹ 1.50 करोड़)।	The state of the s		•	₹ 1.50 crore).	•		20.0.00
,	। बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक		,			e in the sa	ame section of the
अनुदान मांगा जाता है।			•	n supplement	-		
•	। लेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत	(b)		• • •			eme Digital India
(ब) विभागता शतकात (के 20)	9	(~)		a Madarnizati			•

ब) (ख) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.94 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। providing Grants-in-aid General under the scheme Digital India Land Records Modernization Programme (₹ 20.94 crore) .

मांग संख्या DEMAND NO 87 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये) (See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़) (In ₹ cro		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	6212.61	6212.63	
पूंजी	Capital		101.00	101.00	
जोड़	Total	0.02	6313.61	6313.63	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital			***	
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6313.63	6313.65	
राजस्व	Revenue	0.02	6212.63	6212.65	
पूंजी	Capital		101.00	101.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जो ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) पूँजी आस्ति के सृजनार्थ अनुदान' के अंतर्गत ₹ 72.00 करोड़ रूपये और (ii) स्वायत्त संस्थाओं और व्यावसायिक निकायों हेतु सहायता अनुदान ₹ 43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।"

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनज़र सांकेतिक पूरक प्रार्थित है ।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants for creation of capital Assets for Science and Engineering Research Board ($\overline{\tau}$ 72 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for Autonomous Institutions and Professional Bodies ($\overline{\tau}$ 43 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 90 नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(1 3		, भारित	स्वीकृत	(₹ करो	ड़) (In ₹ crores) जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:	5			
राजस्व	Revenue	***	2035.00		2035.00
पूंजी	Capital		145.00		145.00
जोड़	Total	•••	2180.00		2180.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		185.00		185.00
जोड़	Total		185.01		185.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2365.01		2365.01
राजस्व	Revenue		2035.01		2035.01
पूंजी	Capital		330.00		330.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		_		_
		भारित	स्वीकृत		जॊ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	***	0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		185.00	(खb)	185.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		185.01		185.01
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दः समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do adjusted in reduction of expanditure.				
पूंजी भाग	adjusted in reduction of expenditure.				
पूजा भाग पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
**	CAPITAL SECTION				
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	···	(-)100.00		(-)100.00

	निधि को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 56.99 करोड़) ।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	(i) सगारमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश की राशि की पूर्ति सीआरआईएफ
	से की जानी है (₹ 100 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि
	(सीआरआईएफ) के लिए निधियों की अंतर लेखा अंतरण (₹ 100 करोड़) ।
	चंकि अनदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं (₹ 15 करोड़) और राजस्व भाग में

जाता है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशक (डीजीएलएल) की सामान्य प्रारक्षित

बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, (₹ 185 करोड़) का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

providing additional funds to General Reserve Fund of Directorate General of Light Houses & Light Ship (DGLL) (₹ 56.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Investment in Sagarmala Development Company (SDC) to be met CRIF (₹ 100 crore) and (ii) Inter-account transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 100 crore)

As savings are available within the same section of the Grant (₹ 15 crore) and surrender of savings in Revenue Section (₹ 185 crore), a technical supplementary has been sought-this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		•		रोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2923.03	2923.03
पूंजी	Capital		79.18	79.18
जोड़	Total		3002.21	3002.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3002.22	3002.22
राजस्व	Revenue		2923.04	2923.04
पूंजी	Capital	•••	79.18	79.18
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'कौशल विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 105 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (ii) 'प्रशिक्षुता का संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों (₹ 26.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 105.00 crore) under the scheme 'Development of Skills' and (ii) Meeting expenditure towards Scholarship/Stipends (₹ 26.28 crore) under the scheme 'Promotion of Apprenticeship'.

मांग संख्या DEMAND NO 92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		9557.57	9557.57
पूंजी	Capital		546.00	546.00
जोड़	Total		10103.57	10103.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10103.60	10103.60
राजस्व	Revenue		9557.60	9557.60
पूंजी	Capital		546.00	546.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		lead	
	,,	भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(कa) 0.01
अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02
				20 7 77
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई	हे गयी वसूलियों को शा	मिल नहीं किया ग	या है जिन्हें व्यय में से
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई घटाकर समायोजित किया जाता है!	रे गयी वसूलियों को शा	मिल नहीं किया ग	या है जिन्हें व्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !			

2235-Social Security and Welfare

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

The supplementary Grants are required for:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना (लघु शीर्ष 789 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए ₹ 27.71 करोड़ और लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए ₹ 22.29 करोड़) 2. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 25 करोड़) (ii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. वरिष्ठ नागरिकों के (ख) लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना हेतु[ं] राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 28 करोड़) 2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (₹ 26.50 करोड़) 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (₹ 34.70 करोड़) 4. औषधि मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (₹ 8 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में से ₹ 54.50 करोड़ की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं (i) Grants in aid General under the Scheme 1. Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana (₹ 27.71 crore for SCs under Minor Head 789 and ₹ 22.29 crore for OBCs/EBCs/DNTs under Minor Head 102) 2. Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes (₹ 25 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Scheme of Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna (₹ 2 crore) (iii) Scholarship/ Stipend under Scheme of Scholarship to Students of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad (₹ 10 crore)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(-)54.50

(-)54.50

(i) Grants in aid General under the Scheme 1. National Institute of Social Defence (₹ 28 crore) 2. Rashtriya Vayoshri Yojana (₹ 26.50 crore)3. National Action Plan for Senior Citizens (₹ 34.70 crore) 4. National Action Plan for Drug Demand Reduction (₹ 8 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and ₹ 54.50 crore met from Senior Citizens Welfare Fund, this will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 94 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

Demands for Grants for the year	11 2020 2021)			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जৗड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5703.60	5704.20
पूंजी	Capital	0.40	7774.87	7775.27
जोड़	Total	1.00	13478.47	13479.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13478.51	13479.51
राजस्व	Revenue	0.60	5703.62	5704.22
पूंजी	Capital	0.40	7774.89	7775.29
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	ler the following Major H		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5 5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02	0.02
*** /	, ,,			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 8.00 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 4.00 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन, सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (₹ 43 करोड़), राष्ट्री य वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(ख)

"पूंजीगत" खंड के तहत, भू-प्रतिविंबन उपग्रह (जीसैट) (₹ 16 करोड़), रेडार प्रतिविंबन उपग्रह (रिसैट)-1ए. (रु. 1 करोड़), ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टैर संयंत्र (स्प्रोब) (₹ 8 करोड़), जी.एस.एल.वी. मार्क-III सतत परियोजना (₹ 2 करोड़), लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) विकास परियोजना (₹ 3 करोड़), जीसैट-20 उपग्रह (₹ 95 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी.) (₹ 2 करोड़) जैसे उप शीर्षों के मशीनरी एवं उपकरणों के लिए; ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) सतत परियोजना (₹ 7 करोड़), चंद्रयान-III (₹ 4 करोड़), इसरो नोदन कम्लैक्स (आई.पी.आर.सी.) के आवासीय कार्य (₹ 1 करोड़) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मु.) (₹ 2 करोड़) के मुख्य कार्यों के लिए ₹ 0.01 करोड़ की टोकन अनुपुरक अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid Salaries to Semi-Conductor Laboratory (₹ 8 crore) and Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 4 crore) and (ii) Grants-in-aid General to Semi-conductor Laboratory (₹ 43 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments for Geo-Imaging Satellite (GISAT) (₹ 16 crore), Radar Imaging Satellite (RISAT)-1A (₹ 1 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) (₹ 13 crore), GSLV Mk-III Continuation Project (₹ 2 crore), Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development Project (₹ 3 crore), GSAT-20 Satellite (₹ 95 Crore), Human Spaceflight Centre (HSFC) (₹ 2 crore) and (ii) Major Works for Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) Continuation Project (₹ 7 crore), Chandrayaan-III (₹ 4 crore), Housing Works of ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 1 crore) and Indian Space Research Organisation Headquarters (ISRO Hq) (₹ 2 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 95

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ क	रॊड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5426.05	5426.05
पूंजी	Capital	***	17.95	17.95
जोड़	Total	•••	5444.00	5444.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
पूंजी	Capital		***	
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5444.02	5444.02
राजस्व	Revenue		5426.07	5426.07
पूंजी	Capital		17.95	17.95
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) आर्थिक जनगणना (₹ 88.33 करोड़) (2) (i) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान (₹ 31 करोड़) और आर.सी बोस क्रिप्टो विज्ञान और सुरक्षा (₹ 1 करोड़) जारी करने के लिए तथा (ii) आर.सी बोस क्रिप्टो विज्ञान और सुरक्षा को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional Expenditure for (1) Economic Census (₹ 88.33 crore) (2) releasing (i) Grants-in-aid Salaries to Indian Statistical Institute, Kolkata (₹ 31 crore) and R. C. Bose Cryptology and Security (₹ 1 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets to R. C. Bose Cryptology and Security (₹ 3 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

·		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	ि) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:	o,,a,gou	, 0.00		· otal
राजस्व	Revenue		3463.76		3463.76
पूंजी	Capital		51.03		51.03
जोड़	Total	•••	3514.79		3514.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital	***	6.16		6.16
जोड़	Total	•••	6.17		6.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3520.98		3520.98
राजस्व	Revenue		3463.79		3463.79
पूंजी	Capital		57.19		57.19
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	ne following Major H	lead		
		भारित	स्वीकृत		जৌ ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		6.16	(खb)	6.16
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		6.17		6.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति' स्कीम के अंतर्गत सिव्सिडियों (₹ 700 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए (ii) 'अन्य (टीआरए,सीओपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (iii) 'वस्त्र आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों (₹ 0.98 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹ 5 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए और (ii) 'पावरटेक्स इंडिया' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों (₹ 1.16 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पण वचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Meeting expenditure towards Subsidies (₹ 700.00 crore) under the scheme 'Procurement of Cotton', (ii) Meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Others (TRAs, COP) and (iii) Meeting expenditure towards Minor Works (₹ 0.98 crore) under the scheme 'Textile Commissioner'.

- (i) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 5.00 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme' and
 (ii) Meeting expenditure towards Major Works (₹ 1.16 crore) under the scheme 'Powertex India'.
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 98 पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

		_		रोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2499.83	2499.83
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total	***	2499.83	2499.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		6.26	6.26
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total		6.26	6.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2506.10	2506.10
राजस्व	Revenue		2506.10	2506.10
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follo	wing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

" आई.एच.एम./ एफ.सी.आई./ आई.आई.टी.टी.एम./ एन.आई.डब्ल्यू.एस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.05 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing Grants in Aid General to Institutes of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under the Scheme Assistance to IHMs/FCIs/IITTM/NIWS (₹ 1.05 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 99 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

, .	•	भारित	<i>(₹ करॉ</i> स्वीकृत	ड़) (In ₹ crores) जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4768.01	2492.98	7260.99
पूंजी	Capital	***	150.01	150.01
जोड़	Total	4768.01	2642.99	7411.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4768.01	2643.00	7411.01
राजस्व	Revenue	4768.01	2492.99	7261.00
पूंजी	Capital	•••	150.01	150.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. (i) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (₹ 2.76 करोड़) (ii) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा (₹ 2 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

To meet additional expenditure 1. Grant in Aid-General under the Scheme (i) Scholarship to the ST Student for studies abroad (₹ 2.76 crore) (ii) Tribal Festival, Research information and Mass Education (₹ 2 crore) 2. Scholarship under the scheme "National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students (₹ 20 crore)"

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 100 महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(₹ व	_{मरोड़}) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		30507.09	30507.09
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	30507.10	30507.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			•••
पूंजी	Capital		5.00	5.00
जोड़	Total		5.00	5.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		30512.11	30512.11
राजस्व	Revenue		30507.10	30507.10
पूंजी	Capital		5.01	5.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जो ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 59.76 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting the additional expenditure towards Grants in aid General under Anganwadi Services (₹ 59.76 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 101 **युवा मामले और खेल मंत्रालय**

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2020-2021)

			(′₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2775.90	2775.90
पूंजी	Capital		51.02	51.02
जोड़	Total		2826.92	2826.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2826.97	2826.97
राजस्व	Revenue		2775.94	2775.94
पूंजी	Capital		51.03	51.03
	।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Majo	r Head	
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(गc) 0.01
परिव्यय	Culture			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.03	0.03
 मुख्य शीर्ष 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	MAJOR HEAD 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			(11)

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (सामान्य ₹ 8.71 करोड़ और स्वच्छता कार्य योजना ₹ 0.50 करोड़), (2) राष्ट्रिय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 6.47 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) नेहरु युवा केंद्र संगठन (₹ 14.75 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 0.85 करोड़), (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 85.00 करोड़), (4) लक्ष्मीबाइ राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 1.00 करोड़) और (5) राष्ट्रिय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीमों के तहत (₹ 2 करोड़) (iii) राष्ट्रिय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की रचना के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) (iv) अर्जुन पुरुस्कार के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.30 करोड़), (v) भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत अनुदान (₹ 3.00 करोड़) और (vi) भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति घटक हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(ख)
 (i) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)
 और (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) युवा छात्रावास के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹ 1.00 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) GIA General under the scheme (1) Sports Authority of India (General ₹ 8.71 crore and Swachhta Action Plan ₹ 0.50 crore) and (2) National Dope Test Laboratory (₹ 6.47 crore) (ii) GIA Salary under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 14.75 crore), (2) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 0.85 crore), (3) Sports Authority of India (₹ 85 crore), (4) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹1 crore) and (5) National Dope Test Laboratory (₹ 2 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes National Dope Test Laboratory (₹ 2.50 crore) (iv) Other Charges under the scheme Arjuna Award (₹ 0.30 crore) (v) GIA General SC Component under the scheme Sports Authority of India (₹ 3 crore) and (vi) GIA General ST Component under the scheme Sports Authority of India (₹ 3 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant,, there will be no net cash outgo.

(i) GIA General under the scheme Sports Authority of India (₹ 2 crore) and (ii) GIA Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

To meet additional expenditure under Major Works under the scheme Youth Hostel (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, there will be no net cash outgo.

अनुबंध Annexure

संसद को विवरण के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का परिशिष्ट ANNEXURE FOR REPORT TO PARLIAMENT WITH RESPECT TO DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क.स. Sl	(समग्र शिक्षा) शीर्ष से From Heads (Samagra Shiksha)	राशि Amount	(पढ़ना लिखना अभियान) शीर्ष की ओर To Heads (Padhna Likhna Abhiyan)	राशि Amount
1	2202.01.113.01.05.31	8.4650	2202.04.200.21.01.28	5.00
2			2202.04.200.21.02.31	3.4650
3	2202.01.789.22.01.31	1.00	2202.04.789.10.01.31	1.00
4	2202.01.796.23.01.31	0.5350	2202.04.796.10.01.31	0.5350
5	2552.00.156.20.01.31	7.1102	2552.00.161.11.00.31	7.1102
6	2552.00.789.86.01.31	2.0520	2552.00.789.87.01.31	2.0520
7	2552.00.796.86.01.31	1.0978	2552.00.796.36.01.31	1.0978
8	3602.06.101.57.01.31	43.3680	3601.06.101.66.00.31	43.3680
9	3601.06.789.58.01.35	12.5160	3601.06.789.57.00.31	12.5160
10	3601.06.796.62.01.35	6.6960	3601.06.796.61.00.31	6.6960
11	3602.06.101.58.01.31	2.41	3602.06.101.56.00.31	2.41
	कुल योग Grand Total	85.25	कुल योग Grand Total	85.25